## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### Situation arising out of suicides committed by farmers in different parts of the country

MR. CHAIRMAN: Now I adjourn the House. We will meet after fifteen minutes.

The House then adjourned at six minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at twenty minutes past twelve of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

SHRI MD. SALIM: The Minister should apologise first.

MR. CHAIRMAN: Yes, he is saying something.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): Mr. Chairman, Sir, I do apolgise to you and to the whole House for not turning up exactly at 12.00 o'cloek. The reason was that the first item of laying the Papers on the Table in the other House was against my name. As soon as I finished it, at six minutes past twelve, I came here. Even then I tender my unqulified apoloev.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (*West Bengal*): *Sir, I beg to call the* attention of the Minister of Agriculture to the situation arising out of the suicides committed by the farmers in different parts of the country due to crops failure and their indebtedness to private moncy-lenders and the action taken by Government in regard thereto.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): Sir, I thank our senior colleague, Shri Gurduas Das Gupta, for calling the attention of the Government and the whole House to this issue of suicides committed by the farmers in various parts of the country. In this connection, I have to state that the State Governments of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have reported suicidal deaths by farmers numbering 269, 44 and 82, respectively. The main reasons cited for the suicides include damage to crops due to adverse weather conditions and pest attack and indebtendness of the farmers. The Government of Punjab has stated that 52 farmers had committed suicide during 1st January, 1996 to 31st May, 1998 due to crop loss and indebtedness and other factors. There has so far been no report of suicidal deaths by the farmers from other States.

It is primarily the responsibility of the State Governments concerned to provide relief to the people affected by natural calamities. The Central Government only supplements the efforts of the State Governments by providing additional resources based on the recommendations of the Finance Commissions appointed from time to time. The States have a ready allocation under the Calamity Relief Fund (CRF), to which the Centre and the States concerned contribute annually in the ratio of 3:1. The Centre's share is released in 4 equal quarterly instalments. In addition to CRF, financial assistance, if any, is provided to the States from the National Fund for Calamity Relief (NFCR), in the event of calamities of rare severity.

The Government of Andhra Pradesh is reported to have sanctioned ex-gratia of Rs. 1.00 lakh in each of the 173 cases out of 269 reported deaths. According to them, the balance cases are under consideration and are being processed. The Government of Karnataka has reportedly sanctioned Rs. 1.00 lakh in each of the 13 suicide cases which had some relation with crop loss while-the Government of Maharashtra has paid Rs. 1.00 lakh per family in 12 cases which had direct linkage with crop loss and indebtedess and Rs. 50,000/- per family in 7 cases having some linkage with crop loss. The Government of Karnataka had also released Rs. 4.00 crore as one-time assistance in the form of input subsidy to the affected small & marginal farmers and had taken steps to convert short-term loans to

medium term loans based on the Annewari.

Considering the large scale crop loss in certain districts of Andhra Pradesh, the Government of Andhra Pradesh, RBI and NABARD decided to provide a package of several measures of relief for the affected farmers who are facing debt trap due to damage to crops. These include:—

(i) Provision of 2 house under Indira Awas Yojana, (ii) Admission of children in residential school and hostels, (iii) pension under social security scheme to old persons in the family, (iv) Rescheduling of bank loans, (v) No recovery of either principal or interest of an agricultural loan for a period of two years and amounts not collected during these two years will be rescheduled to be covered in a period of 7 years, (vi) Immediate disbursal of credit by Banks for fresh crops on the enhanced scales of finance recently revised by the District Level Committees, (vii) Reduction of rate of interest to 4% for small and marginal farmers who are eligible under DRI Scheme, (viii) No compounding of interest in respect of rescheduled loans, no levey of penal interest and waiver of penal interest, if charged.

The Government of Maharashtra is reportedly taking the following steps to assist the affected farmers:—

(i) If the family is below poverty line, it will be rehabilitated by giving Government subsidy and loan through bank under the IRDP Scheme from the point of view of self-employment, (ii) Converstion of short-term crop loans into medium term loans for availing new crop loans, (iii) waiver of interest on crop loans taken by deceased farmers, (iv) If the family is destitute, their wards will be accommodated in the nearby Taluka School for education. In addition, they would be provided scholarships upto the level of SSC. (v) The affected family will be given house under Indira Awas Yojana (IAY), if they do not have house of their own, (vi) The bereaved family will be given seeds and fertilizers at Government cost, limited to 5 hectares of land, (vii) Procure good quality seeds through the State's Seeds Corporation and to provide seeds costing upto Rs. 500 per hectare, limited to 2 hectares, free of cost to the small and marginal farmers, (viii) Concession of 33% in the electricity bills, (ix) Remission in the land revenue for 1997-98.

In the context of the distress caused by indebtedness of farmers in Andhra Pradesh, the Government of India has constituted a Study Group to:

(a) examine in-depth the nature and extent of indebtedness among the farmers in the State and the magnitude of its incidence particularly in repsect of poor farmers;

(b) examine the present status of the role of informed sources of farm-credit in the State;

(c) identify constraints, if any, standing in the way of greater institutionalisation of the flow of rural credit in the State; and to suggest measures for increasing the role of public financial institutions in the purveyal of credit to the agricultural and allied sectors.

(d) to look into the question of farmers access to quality inputs, viz., seeds, fertilizers, pesticides, etc., and to suggest measures to restrict the use of pesticides & promote Integrated Pest Management and to prevent the sale of spurious pesticides.

The Group has visited the affected areas and met representatives of financial institutions & farmers' associations and the family members of some of the affected farmers and its expected to submit its report shortly.

A High Level Committee consisting of scientists from the ICAR and other concerned organisations, besides the Agriculture University, visited the affected areas

in Andhra Pradesh to investigate the causes of crop failure, mainly cotton. The committee observed that the Cotton crop was severely affected due to pest attack and the unusual weather conditions and that the situation was further aggravated by inappropriate application of pesticides. The Committee has made a number of recommendations to be followed for the 1998-99 season.

It is the responsibility of the respective State Governments to make available certified/quality seed to the farmers in time. The Government of India assesses the seed requirement and availability position, state-wise, prior to each cropping season viz. Kharif and Rabi. As per the information furnished by the State Government, the overall availability position of seeds in the country is satisfactory.

Training is conducted through extension services on safe and judicious use of pesticides. As regards, sale of spurious pesticides, prosecutions under the Insecticides Act are launched by the States/UTs against the manufacturers/suppliers of such pesticides. During 1997-98, the State Governments of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra are reported to have launched prosecutions in 26, 28 and 8 cases respectively. The Government of Andhra Pradesh is also reported to be setting up a State Pesticides Testing Laboratory in Warangal District, which was worst affected by the calamity.

Keeping in view the magnitude of the situation, the Government of India have included pest attack due to adverse seasonal conditions, in the list of natural calamities to qualify for assistance from CRF and NFCR. Governments of Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab and Rajasthan sought additional assistance from the NFCR in the wake of damage to crops due to pest attack. In consideration of the memoranda, seeking additional assistance from the NFCR, received from the Governments of Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab and Rajasthan, Central Teams visited the affected areas in these States for an on the spot assessment of the extent of damage and relief assistance required. Based on the report of the Central Team, an assistance of Rs. 12.00 crore was approved by the National Calamity Relief Committee (NCRC) from the NFCR. It was released to Andhra Pradesh in February, 1998. No additional assistance was approved for release to Punjab and Rajasthan since adequate balance was available with them under the CRF. The request of the Government of Karnataka is still under consideration. No memorandum seeking additional assistance has so far been received from the Government of Maharashtra in this regard.

Provision of relief and rehabilitation to the people affected by natural calamities is a matter of national concern and it shall be our endeavour to extend all possible assistance in the wake of calamities of rare severity.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, in the mass-suicide by farmers, the hon. Minister finds a natural calamity, which means it is something which is accidental, just like the storm that hit the western part of the country some time back. It has just been an accidential natural calamity! Is it so? If the Government doesn't seek to diagnose the basic factors which led to mass-suicides, then no remedial action can be undertaken. The hon. Minister has failed in his job. On the one hand, he has passed on the buck to the State Governments. On the other hand, he calls it a natural calamity and, therefore, the prescription that he has, as the remedial action, is nothing but just a post-calamity relief operation of the Government. In my opinion, it is not so. The attitude of the Government is quite casual in respect of problems that farmers are facing.

Sir, may I say that these mass-suicides by farmers had constituted an escape to death? In order to escape insolvency, a mass of farmers, not belonging to Andhra alone, but even Punjab where there was

supposed to have been the Green Revolution, had committed suicides. Instead of facing insolvency, they have found an escape in death. It is a great human tragedy. It is a national disaster which the Government fails to identify. It is a fall-out of the fatal farm policy. It is a concomitant of the excessive commercialisation of agriculture. It is indicative of the gross pitfall of the unguarded liberalisation that had set in. And, who are the victims, Sir? The victims are the poor and marginal farmers who canot withstand the pressure of market forces, where the principle of survival is 'the survival of the fittest'.

Sir, with the induction of cash crop culture, the risk factor has become too high. In such a situation, the agriculture of this country is largely dependent on natural rain and what the Minister doesn't take note of is that there is a complete absence of insurance cover for the vast majority of farmers who produce for the country. In such a situation, the marginal farmers and the poor farmers tend to live in dangerous uncertainty. May I submit, Sir, that there is no system to fall back upon, there is no institution to be relied upon, if the huge investment, that poor farmers would like to make in high crops, does fail? There is no cooperative movement. And I am sorry to take note that there is no peasant movement to act on behalf of the distressed peasantry. Gone are the days when thousands of peasants used to storm the citadel of power for their demand for land or for the remission of tax. Therefore Sir, this is a pitiable condition of helplessness of the middle, small and marginal farmers that they have been put in. The euphoria of Green Revolution has disappeared. Therefore, the cost of agricultural production has gone up abnormally. It has gone so high that if there is a crop failure it is very difficult, rather impossible for farmers to manage the losses arising out of it.

Sir, the question therefore is the Government has not been able to look at the problem. It is not only the Central Government, the high-tech Chief Ministers of the States having computer as their think tank don't tend to give advice to agriculturists on time. It is a total failure of the Agricultural Departments of the States also.

Sir, when cotton production had not become a commercial adventure or venture, the farmers could manage two square meals a day. It is paddy, maize and jowar that used to give them the food. But, with the high-breed cotton cultivation becoming the order of the day, there is no backup arrangement. What the Minister does not take note of, while high-breed production is taking place or is being the order of the day, is that there is no backup arrangement; there is no improvement of infrastructural facilities. It is because of this, Sir, that the farmers tend to fall into a debt trap leading to a death trap. That is the basic situation. Mr. Finance Minister, would you kindly take note that because of with withdrawal of subsidies and the way the economic policies are being formulated, the peasants are lift not only to the vagaries of the nature but also to the so-called operation of market forces? Sir, therefore, the point is on the one hand the highbreed crop plantation has made the cost heavy, on the other, there are no infrastructural facilities, and there has been no backup support for the peasantry, Therefore, the peasantry is being lured, a large section of the peasantry is being lured by the false prospects of fabulous profits, silently being worked into a debt trap, and that debt trap leads to a death trap.

Sir, king cotton has become the killer cotton. It is the commercialisation that is the killer. The gamble for white gold, for the fabulour profit is absolutely a bad match for the rain-fed soil and fragmented plot of land being worked by subsistence farmers. Sir, this is the basic reason. The hon. Minister has no time to look into it. He looks for post-calamity operation programme. Children are to be sent to school after a man is dead. He

speaking of sending the children to a school after the farmer commits suicide. He has to wait for the farmer to commit suicide so that he can send his children to a school. It is like a relief programme after a family turns pauper. Therefore, the Government is absolutely ignorant of the basic factor that is leading to it.

Sir, what are we discussing? We are discussing agriculture in the background of a steady decline in agricultural production of the country. We are discussing mass suicides of farmers in the background of corporatisation of the peasantry. There is no work of corporatisation of the peasantry in the statement. The National Commissions, one after another, have found out the truth that there has been consistent and persistent increase in the rate of corporatisation of the peasantry of the country, by more than two per cent. There is a fall in the agricultural production on the one hand and corporatisation of the peasantry on the other. There is a total lack of protective cover for farmers who have been left to the mercy of market force operation. That is the basic reason. I find that there is a craze created for fabulour profits by going in for cash crops with no infrastructure facilities. There are the basic realities that the Central Government has failed to identify. The hon. Minister for Agriculture who always boasted himself to be a farmer does not know where the shoe pinches. Sir, if you look at the causes, commercialisation has set in the process of high-tech agriculture but the high-tech agriculture cannot be undertaken by the poor or uneducated farmer is there is no proper advice given to them by the Central and State Agricultural departments. They have failed here.

Sir, the least we talk of banks the better it is. My hon. friend, the Chairman of the Assurance Committee, presented a week before a report on the rural credit. There ia almost a collapse in agricultural credit in the country after nationalisation. We have been celebrating nationalised banking system—may be some days back—on how the nationalised banking system has come to the aid of the poor farmers! Sir, the Reserve Bank of India has given a guideline that 18% of the total credit must go to agriculture. I was a member of the Committee of this House and I have moved around the country to find out to what extent banks have been funding the agriculture. I find from the report, Sir, and from my own experience that out of the 17 nationalised banks, nine nationalised banks have defaulted in the statutory obligation; much less than 18% of the total credit is given to agriculture. Out of the total fund made available to agriculture, only a small segment has been there for the poor farmers. It is the poor farmers who have been the casualty even today, in the 50th year of freedom. There has been no bank credit, not at the reasonable level, not also at the marginal level. 70% of the rural credit even today is dependent of the exhorbitant interest rates levied by the money-lenders. It is a shame and the shameful condition does not find a place in the statement so meticulously prepared by my hon. friend to pass the buck on the State Government and to call the mass suicide as a national calamity. It is a natural calamity beyond the control of the policy of the Government! The Government may be helpless but it can be sympathetic. The Government has no role to play because it was an accidental natural calamity! Sir, not only the banks have failed but the Government also has failed. Majority of the foreign banks operating in the country do not give a single paisa to the poor farmer in total violation of the statutory requirement as has been fixed by the Reserve Bank of India. Who is to be blamed? who is to enforce the law of the country? In respects of the farmers, who has to enforce the law of the country? The Reserve Bank of India has failed, the Ministry of Agriculture has failed, most of the managements of the nationalised banks have failed to provide a minimum

credit compelling them to become dependent on money-lenders. This is the taste of freedom for the poor farmers. Sir, the question is: Why should there be no crop insurance?

My question to the Government is as to why there is no reference to the crop insurance in the statement. Why should there not be crop insurance if there can be an insurance against motor accident, if there can be a medical insurance, etc.? Why can there not be a crop insurance? I would like to know as to why there cannot be a crop insurance at least for commercial crops. Will the Minister for Finance intervene in the discussion and kindly englighten the House whether the Ministry of Finance is going to take up this issue with the insurance companies that this has to be done? Why should there not be a crop insurance? Sir, I remember that the predecessor of Mr. Sompal, Mr. Chaturananji, had raised this issue. It is the Ministry of Finance that comes in the way. The Ministry of Finance had all his support for the economic reforms. The heart of the Ministry of Finance bleeds if there is a small ripple in the Bombay Stock Exchange. He has always been very candid and is someone comes and say, 'the Enforscement Department is too hard on me, Sir, please save me from the claws of the repressive Enforcement Department', his heart shall bleed. Of course, it should. Why should it not? Does his heart bleed for the millions of agriculturists of the country who have been suffering throughout? I take the privilege of bringing to his notice the pitiable condition of the agriculturists because he does not seem to be in favour of a crop insurance scheme even now. Why should it be not there now? It is only the crop insurance which can protect the small and the marginal farmers from the crop failure. Why should it not be there? Sir, the point is even today the irrigation is dependent on nature. Why should it be so when science has advanced, when we have been able to get the latest technology by having an explosion at Pokharan, etc.? Why should we not have a better technology for irrigation and why should irrigation suffer? Why should there not be a better water management scheme and better artificial scheme to pump water in the farms so that the agricultural production can pick up? Why does it still depend on an absolutely uncertain rain-fed irrigation in the country? Sir, again there is a question of low-graded pestsicides, insescticides and fertilisers. Who is responsible for lowgraded pesticides? Why is there not any quality control? With the induction of reforms we were told that the market should be allowed to move according to its own wish and there should not be any control. Does it mean that the quality control should be removed? Does it mean that most of the pesticides which have been banned in the western countries should be allowed to be dumped in India? Sir, I am told that out of 138 pesticides, more than 70 are banned in most of the leading countries of the world. But those companies are surreptitiously dumping them in India which are not only low-graded but very harmful also. What is the Government of India doing? There is no reference to it as to why the low-graded pesticides find their way in the agricultural market of the country. Why? Who has allowed them? Who is to be blamed for this? Sir, I am told that domestic prices of cotton had suffered because the Government did not release the export quota of textile on time. There was a delay in issuing licences for export of garments. I am told that this should be considered as one of the causes for the catastrophic fall in the prices of cotton. If it is so, it must be looked into. Sir, I plead with the Government for a comprehensive assessment of the disaster that has overcome the country. It is not only Andhra or Karnataka where people are committing suicide but people have committed suicide in Punjab also which is a paradise for agriculture. Therefore, there is something wrong with the system. The system must have failed.

Where has the system failed? Sir, it is not a natural calamity. And if the system has failed, it is for those who run the system to take note of it and take immediate corrective measures. Even after this national disaster, the Government does not seem to be alive to the situation. Therefore, the hon. Minister is able to produce a statement which is extremely casual and which does not go into the root of the problem. I wish the Government take steps to liberate the peasantry from the shackles of money lenders. I wish the Government take steps to protect small and medium farmers from crop failure by immediately ordering for crop insurance. I ask the Government to be more vigilant. I ask the Government to take steps so that agriculture is revived and we need not import foodgrains again by spending our hard earned foreign exchange which is again on the drain because of sanctions that have been imposed on us. Therefore, it is in the interest of the country that the interest of the peasantry has to be looked into more scrupulously by my hon. friend, Mr. Som Pal. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Mr. Salim. According to rules, the first person who seeks clarification on the Calling Attention may have seven minutes. Others who seek clarifications have to restrict themselves to five minutes each.

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Sir, the rules start from the beginning and they have to be followed. It would have been better if the mover of the Motion had been reminded of the rules in the beginning. Sir, I will keep myself in proportion to that.

सर, मैं सवाल ही पूछूंगा, लेकिन पिछले मार्च से जुलाई महीने तक राज्य सभा को इंतजार करना पड़ा कि वह किसानों द्वारा आत्म-हत्या के मामले पर चर्चा करे। इस संबंध में मैं खुद को भी, संसद को और सिस्टम को भी ब्लेम करता हूं कि इतने गंभीर मामले में जिस पर मंत्री जी कह रहे हैं, जो मूव करने वाले सदस्य हैं वह भी और हम सभी इसे गंभीर मानते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च पंचायत में यहां हम अपने भाषणों में कहते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे माई-बाप हैं, वह सरकार का फैसला करते हैं, लेकिन इस संसद को किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामले में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने में कई महीने लग गए। उन्हें राहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि किसानों को और संसद को इतने महीने इंतजार करना पड़ा कि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया जाय। अब मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित हुआ तो मंत्री महोदय ने जो बयान दिया, यह मार्च महीने में जब उस सदन में यह सवाल उठा था तब भी यही बयान था, मई महीने में जब उस सदन में कुछ प्रश्न आए तब भी यही बयान था और आज भी यही बयान है। मैं पेरा बाइज दिखा सकता हूं कि अगर ये मंत्री न होते और दूसरा कोई मंत्री होता, यह सरकार न होती और दूसरी कोई सरकार होती तो भी यही बयान होता। सर, 1987-88 में जब आंध्र के कपास पैदा करने वाले किसानों ने आत्म-हत्या की थी, उस समय अगर मंत्री जी का बयान निकालकर देखा जाय तो यह भी इसी तरीके का था, सिर्फ एस०सी०आर०एफ/एन०सी०आर०एफ० का जो नया नियमन निकला है, उस के बारे में कुछ चर्चा है। इसलिए मैं पूछता हूं कि यह हम कहां जा रहे हैं? क्यों हम चर्चा कर रहे हैं।

सर, पहला सवाल तो यह है कि यह किसानों की आत्म-हत्या है या हत्या है। मैं समझता हूं कि यह हत्या है। किस तरह से उन्हें हत्या की ओर धकेला जा रहा है और कौन उस के लिए जिम्मेदार है, वह बात बाद में आएगी। दूसरे में समझता हूं कि मंत्री महोदय के स्टेटमेंट के बारे में सरकार में पहले यह फैसला हुआ कि यह प्रमाणित किया जाए कि यह प्राकृतिक आपदा है। कौन जिम्मेदार है, तो मौसम जिम्मेदार है। किसान अगर मारा गया तो कौन जिम्मेदार है, ऊपर वाला। सर, आजादी के 50 साल बाद आज भी हमारे किसानों को सूखा हो या बाढ़, ओला हो या पाला इन से परेशान होना ही पड़ता है। इसलिए इस बयान से अगर मैं कोट करूं तो प्रमाणित हो जाएगा कि जिन्होंने यह स्टेटमेंट बनाया उन को यह ब्रीफ मिली कि ध्यानाकर्षण आया है, आप एक तीन पेज का स्टेटमेंट बना दो और उस में जिम्मेदार ठहरा दो मौसम को। यह ऊपर से नीचे तक दिखाई देता है। फर्स्ट पेज में अगर पहला पैराग्राफ देखें तो राज्य सरकारों से जो रिपोर्ट आई है, उस में यह है कि फसल की क्षति हुई है, किसान कर्ज से लदे हुए हैं, यह सब कह रहे हैं। यहां तक कि थर्ड पैरा में जहां आंध्रप्रदेश की जिक्र आया है वहां कहते हैं कि आंध्रप्रदेश सरकार ने 269 कथित मौसमों के मामलों में से 173 मामलों में प्रत्येक को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि की सूचना दी है। तो इस

में जो आत्म-हत्या का मामला था, उसे भी मौसम का मामला बना दिया गया है। वह अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन हिंदी में है। तो जो लोग इसे लिख रहे थे, उन के दिमाग में मौसम बहुत ज्यादा था। वह मौसम में बहुत ज्यादा पीड़ित थे कि कहां-कहां मौसम लगाया जा सकता है।

पहली बात तो यह है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि मिटिरियोलोजिकल डिपार्टमेंट ने ठीक तरह से कोई निर्देश दिया था, जैसे साइकलोन के मामले में या बाढ़ के मामले में आप कहते हैं। दूसरा सवाल, हमारा यह कहना है और जैसा जो मूवर थे उन्होंने भी कहा, कि यह जो तरीका हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनाया है, जो नीति हमने अपनाई है, जो स्ट्रटजी हमने अपनाई है, उसमें या इस बयान में कहीं यह दर्शाता नहीं है, बताता नहीं है कि सरकार किसी भी जगह, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एग्रीकल्चर डिमार्टमेंट हो या फाइनेन्स मिनिस्टरी हो, यह फिक्रमंद है कि कहां वह फंसा हुआ है, कैसे उसे निकाला जाए? इस सबका कारण क्या है?

चेयरमेन सर, अगर उसके बाद वाले पैराग्राफ को आप देखेंगे, जो नेकस्ट पेज पर है, उसमे लिखा है—"आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर फसल की क्षति को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने फसलों की क्षति के कारण ऋण जाल में फंसे प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई उपायों का एक पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है।..." यह हाऊस को मिसलीड किया जा रहा है। मैं समझता हूं यह जो पैकेज है, ऋण जाल में जो फंसे हुए जितने किसान हैं उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के, उन जिलों के, उनके लिए नहीं है बल्कि क्वालिफाई जो किसान हैं उनके लिए है और जो आत्महत्या कर चुके हैं वही क्वालिफाई है ...(**व्यवधान**)...

†[सर, मैं सवाल ही पूछ रहा था, लेकिन पिछले मार्च से जुलाई महीने तक राजीव सभी को इंतजार करना पड़ा कि वह किसानों द्वारा आत्म हत्या के मामले पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में मैं खुद को भी, मंत्री को और सिस्टम को भी बलिम करता हूं कि इतने

तमबीर मामले में जिस पर मंत्री जी कह रहे हैं, जो मरने करने वाले सदस्य हैं वह भी और हम सभी इसे गंभीर मानते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च पंचायत में यहां अपने विचारों में कहते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे माई बाप हैं, वह सरकार का फैसला करते हैं, लेकिन इस सेक्टर को किसानों द्वारा की जा रही आत्म हत्या के मामले में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने में कई महीने लग गए, इनसे राहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि किसानों को और सेक्टर को इतने महीने इंतजार करना पड़ा कि मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया जाए। अब मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट हुआ तो मंत्री महोदय ने बयान दिया, यह मार्च महीने में जब इस सदन में यह सवाल उठा था तब भी यही बयान था, मई महीने में जब इस सदन में कुछ प्रश्न आए तब भी यही बयान था और आज भी यही बयान है। मैं पीड़ा और दुःख से कहना चाहता हूं कि अगर यह मंत्री न होते और दूसरा कोई मंत्री होता, यह सरकार न होती और दूसरी कोई सरकार होती तो भी यही बयान होता। सर, 1987-88 में जब आंध्र प्रदेश के कपास पैदा करने वाले किसानों ने आत्म हत्या

دھیان آکرشن آیا ہے، آپ ایک تین پوائنٹ کا اسیسمنٹ بنا دو اور اس میں ذمہ دار ٹھہرا دو موسم کو - یہ اوپر سے نیچے تک دکھائی دیتا ہے پہلے صفحہ میں اگر پہلا پیراگراف دیکھیں تو راجیہ سرکاروں سے جو رپورٹ آئی ہے اسمیں یہ ہے کہ فصل کو نقصان پہنچا ہے، کسان قرض سے دبے ہوئے ہیں یہ سب لکھا ہوا ہے - یہاں تک تو ٹھیک ہے پیرا میں جہاں آندھرا پردیش کا ذکر آیا ہے وہاں کہتے ہیں کہ آندھرا پردیش سرکار نے ۴۹۹ تحصیل موسموں کے معاملے میں سے ۳۷۲ معاملوں میں ہر ایک کو ایک لاکھ روپیہ کی انوگرہ راشی کی سوغات دی ہے - تو اسمیں جو آپ ہتیا کا معاملہ تھا اسے بھی موسم کا معاملہ بنا دیا گیا ہے - وہ انگریزی میں نہیں لکھی ہندی میں ہے - تو جو لوگ اسے لکھ رہے تھے، ان کے دماغ میں موسم بہت زیادہ تھا - وہ موسم سے بہت زیادہ پیڑت تھے کہ کہاں کہاں موسم لگایا جا سکتا ہے -

پہلی بات تو یہ ہے کہ قدرتی آفت نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے یا تو جیکل ڈپارٹمنٹ نے ٹھیک طرح سے کوئی رپورٹ دیدیا تھا جیسے سائیکلون کے معاملے میں یا باڑھ کے معاملے میں آپ کہتے ہیں - دوسرا سوال ہمارا یہ کہنا ہے کی تھی، اس وقت کا اگر منتری جی کا بیان نکالکر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طریقے کا تھا، صرف ایس - سی - آر - ایف / ایس - سی - آر - ایف کا جو نیا اصول نکالا ہے، اس کے بارے میں کچھ چرچہ چاہیے - اس لئے میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم چرچا کر رہے ہیں؟

سر، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کسانوں کی آتم ہتیا ہے یا ہتیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہتیا ہے - کس طرح سے انھیں ہتیا کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور کون اسکے لئے ذمہ دار ہے وہ بات بعد میں آئے گی - دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ منتری مہودے کے اسیسمنٹ کے بارے میں سرکار میں پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ پرمانت کیا جائے کہ یہ قدرتی آفت ہے - کون ذمہ دار ہے، تو موسم ذمہ دار ہے - کسان اگر مارا گیا تو کون ذمہ دار ہے، اوپر والا؟

سر، آزادی کے پچاس سال بعد آج بھی ہمارے کسانوں کو سوکھا ہو یا باڑھ، اولا ہو یا پالا - ان سے پریشان ہونا ہی پڑتا ہے - اسلئے اس بیان سے اگر میں کوئی کمیوں تو ثابت ہو جائیگا کہ جنہوں نے اسیسمنٹ بنایا ان کو یہ بریف ملی کہ

**श्री संजय निरुपम:** पैकेज क्या दे रहे हैं महाराष्ट्र में वह में बता रहा हूं ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: He has not yielded. *(Interruptions)*

**श्री मोहम्मद सलीम:** मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी। वह तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। महाराष्ट्र का जिक्र मैं करुंगा, जब उसकी बात करुंगा। अभी तो आंध्र प्रदेश के बारे में कह रहा हूं, जो वहां नाबार्ड/रिजर्व बैंक ने मिलकर पैकेज बनाया है। उसमें मेरा पहला सवाल यह है। गुरुदास दासगुप्त जी ने भी कहा, जो इन्दिरा आवास योजना में मकान मिलेगा, वह जितने किसान ऋण जाल में फंसे हुए हैं उन सबको मकान देंगे या जो मारे गए हैं उनके नेक्स्ट टू द किन फैमिली मैम्बर को देंगे? अगर इनको देंगे तो ऋण जाल में फंसे हुए किसनों को ऋण जाल से निकालने की कोशिश कहां हो रही है? दूसरा, उनके बाल-बच्चों को होस्टल में भरती किया जाएगा। यह क्या ऋण जाल में फंसे किसानों के लिए पैकेज है या जो किसान क्वालिफाई कर चुके हैं अर्थात आत्महत्या कर चुके हैं उनके बच्चो के लिए आप कर रहे हैं? किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? सदन को। यह जो आप किसानों के लिए पैकेज दे रहे हैं, इसके लिए क्या पहले उस किसान को आत्महत्या करने पड़ेगी? इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कारण आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। किसान को आत्महत्या करने पड़ेगी और उसके बाद उसके बच्चों को हम होस्टल में डाल सकते है, उसके बाद हम उसे एक लाख रुपए का रिलीफ पैकेज दे सकते हैं, उसके बाद हम उसको इन्दिरा आवास योजना में घर दे सकते हैं। इस तरह तो आप उनको सुसाइड के लिए एनक्रेज कर रहे हैं। जो किसान ऋण जाल में फंस गए, वह क्यों फंसे? उनको किस तरह से निकाला जाएगा? उनके लिए आपने क्या पैकेज बनाया है?

**श्री मोहम्मद सलीम:** मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी।

اس کے بچوں کو ہم ہوسٹل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بجوہم اسے ایک لاکھ روپے کا ریلیف پیکیج دے سکتے ہیں، اس کے بجوہم اس کو اندرا آواس یوجنا میں مکان دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے تو آپ ان کو سوسائڈ کے لئے انکریج کر رہے ہیں۔ جو کسان قرض کے جال میں پھنس گئے، ان کو کس طرح سے نکالا جائے گا؟ ان کے لئے آپ نے کیا پیکیج بنایا ہے:]

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Sir, the Andhra Pradesh Government have given maxamimum relief to the families which have been affected by the farmers suicidal deaths. Sir, is it wrong to give them houses and bostels for their children.

MR. CHAIRMAN: The Minister will reply... (*Interruptions*)...

SHRI MD. SALIM: he has supplemented me.

यहां जो आप यह कह रहे हैं—"एफेक्टेड", इसका मतबल क्या है? क्या जिन्होंने सुसाइड कर लिया? या तो सरकार यह कहे कि मौसम, ओला, पाला, जो भी आप कह रहे हैं, जो बारिश हुई बेमौसम की, पेस्ट अटैक हुआ, उनमें जो लोग एफेक्ट हुए, उन सबने आत्महत्या कर ली। अब एफेक्टेड जितने लोग थे, मैथेमेटिकली केलकुलेट करने के क्या सभी आत्महत्या कर चुके हैं? क्या उसके लिए आप यह पैकेज बनाए हैं? या जिन्होंने आत्महत्या नहीं की, वह सब लोग भी एफेक्टेड में हैं? लेकिन, आपकी पालिसी यह बता रही है कि जो एफेक्टेड होंगे, यानि उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए। आखिर, मतलब क्या है? किसके लिए आप नीति बना रहे हैं? किसके लिए आप पैकेज बना रहे हैं? इसलिए आपकी यह बात ऊपर ऊपर से ही देखने की है। सिर्फ ऊपर से देखने की है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे।

وہ تو اپنی اپنی پراپرٹی کا کلیم کریں گے۔ مہاراشٹر کا ذکر میں کروں گا، جب اس کی بات کروں گا۔ ابھی تو آندھرا پردیش کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو وہاں نابارڈ کے ذریعہ ورلڈ بینک نے پیکیج بنایا ہے۔ اس میں میرا پہلا سوال یہ ہے، مگر وہ اس داس گپتا جی نے بھی کہا ہے، جو اندرا آواس یوجنا میں مکان ملے گا وہ جتنے کسان قرض کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں ان سب کو مکان دیں گے، یا جو مارے گئے ہیں ان کو نیکسٹ آف دی کن فیملی ممبر کو دیں گے؟ اگر ان کو دیں گے تو قرض کے جال میں پھنسے ہوئے کسانوں کو قرض جال سے نکالنے کی کوشش کہاں ہو رہی ہے؟ دوسرا ان کے بال بچوں کو ہوسٹل میں بھرتی کیا جائے گا۔ یہ کیا قرض کے جال میں پھنسے کسانوں کیلئے پیکیج ہے یا جو کسانوں کو ایفائی کر چکے ہیں یعنی اتم ہتیا کر چکے ان کے بچوں کے لئے آپ کر رہے ہیں؟ کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ سدن کو۔ یہ جو آپ کسانوں کو پیکیج دے رہے ہیں اس کے لئے کیا پہلے ان کسانوں کو اتم ہتیا کرنی پڑے گی؟ اس کے لئے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کوئی کارن آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ کسان کو اتم ہتیا کرنی پڑے گی اور اس کے بعد

सर, मैं एक एक स्टेट का बोलूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा, पंजाब की बात करूंगा। क्या एक एक स्टेट के एम०पी० उठकर के डिफैंड करेंगे? प्लीज, किसके लिए डिफैंड आप कर रहे हैं? मैं कोई आंध्र प्रदेश की सरकार के विरोध में या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विरोध में या यहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के विरोध में नहीं हूं। हमने खेती के बारे में, किसान के बारे में जो नजरिया अपनाया है, आज उसमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर राज्यसभा इसको नहीं देखेगी या अगर हम यह सोचेंगे कि जिसकी यह बीमारी है वह देखे तो किसान फिर और कहीं नहीं जाएगा, वह आत्महत्या ही करेगा क्योंकि उसके बारे में अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो फिर वह क्या करे? उसे हम उसी तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है और उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे यहां खेती के बारे में हमने ऐसा किया है कि जो ट्रेडीशन क्रोप है वह शिफ्ट हो रही है, नई पालिसी आई हैं। यहां पहले भी ओला होता था, पहले भी पाला होता था, पहले भी सूखा होता था, पहले भी बाढ़ आती थी, आज भी वही सब होता है। हम पिछले 50 साल में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। आज भी डिपेंडेबल एग्रीगेशन सिस्टम हमने नहीं बनाया है। पहले ऐसी आत्महत्या की लहर तो नहीं होती थी। कुछ जो हमारा सिस्टम था उसको हम तोड़ रहे हैं। ट्रेडीशनल क्रोप जब होती थी और जब किसान उस क्रोप में फैल्योर होता था फिर वह नई क्रोप के लिए तैयारी करता था। हो सकता है बैंक बेलेन्स उनके पास कुछ न हो,...

1 P.M.

क्योंकि वह लेबर इंटेंसिव होता था, पूरे परिवार उसमें लगे रहते थे। अगर उनकी पूरी मेहनत बेकार गई तो उनका जो क्रॉप कुछ बचा हुआ होता था, अगर मार्किट में फैल्योर हो गया या और कुछ हो गया, जैसे दाल है, चावल है, उससे उनका थोड़ा रहने का और थोड़ा बीज का बंदोबस्त हो जाता था और कोई खतरा नहीं होता था। लेकिन आज हम जिसे एन्करेज कर रहे हैं वह है केपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव नहीं है। .....

†[ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں "افیکٹیڈ" اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جنہوں نے سوسائڈ کر لیا؟ یا تو سرکار یہ کہے موسم کا اولہ، پالہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں جو بارش ہوئی بے موسم کی، پیسٹ اٹیک ہوا، ان میں جو لوگ افیکٹ ہوئے ان سب نے آتم ہتیا کر لی، اب افیکٹیڈ جتنے ہوئے تھے، میننگ مجسٹیریل کیلکولیٹ کرنے سے کیا سبھی آتم ہتیا کر چکے ہیں۔ کیا اس کے لئے آپ یہ پیکیج بنائے ہیں؟ کیا جنہوں نے آتم ہتیا نہیں کی وہ سب لوگ بھی افیکٹیڈ میں ہیں؟ لیکن آپکی پالیسی یہ ہے بتا رہی ہے کہ جو افیکٹیڈ ہوں گے یعنی انکو آتم ہتیا کرنی پڑیگی۔ تو ایسا نہ کرنے کے لئے۔ آخر مطلب کیا ہے؟ کس لئے آپ نیتی بنا رہے ہیں؟ کس کے لئے آپ پیکیج بنا رہے ہیں؟ کس لئے آپکی یہ بات اوپر اوپر سے ہی دیکھنے کی ہے۔ صرف اوپر سے دیکھنے کی ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔

سر، میں ایک ایک اسپیشل کا بولونگا۔ مہاراشٹر کی بات کرونگا، پنجاب کی بات کرونگا۔ کیا ایک ایک اسپیشل کے لئے ہی اسٹیٹ کے ایم پی اسٹیٹ کے ڈفینڈ کریں گے؟ پلیز کس کے لئے ڈفینڈ آپ کر رہے ہیں؟ میں کوئی آندھرا پردیش کی سرکار کے ورودھ میں یا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کے ورودھ میں یا یہاں کے ایگریکلچر کے ورودھ میں

[ ] Transliteration in Arabic Script.

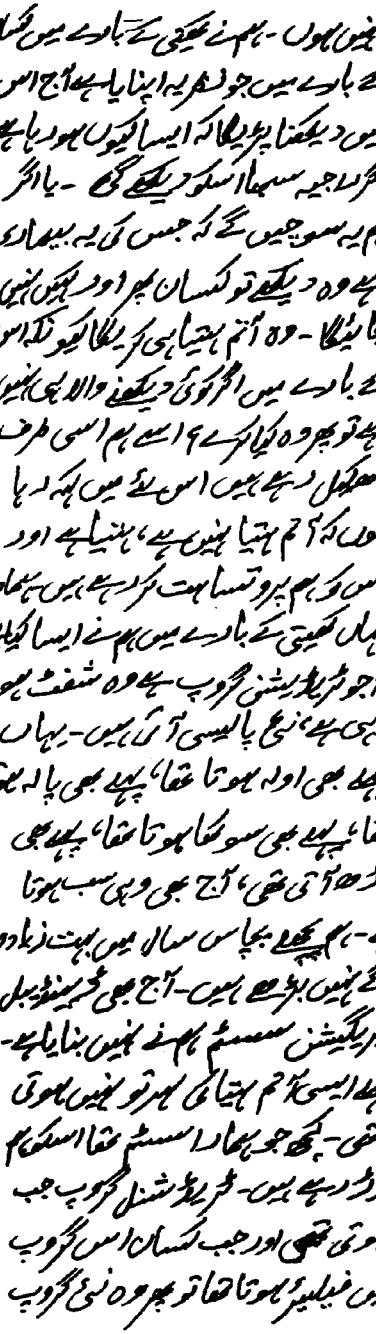

CHAIRMAN: Now it is 1 o'clock; the House stands adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after launch, at three minutes past two of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): We continue with the discussion on the Calling-Attention Motion. Shri Md. Salim to continue his speech.

**श्री मोहम्मद सलीम:** महोदय, हम लोग देश भर में कई राज्यों में किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे थे और जब लंच के लिए ब्रेक हुआ, उससे पहले मैं सरकार से यह पूछ रहा था कि यह आत्महत्या है या हत्या की तरफ धकेला जा रहा है? सरकार का मतलब इस सरकार या इस मंत्री से नहीं है।

It is a continuing entity.

दूसरी बात यह है कि ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है, जब कि हम कह रहे हैं कि कहीं न कहीं गलती है सिस्टम में। आज जिस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, उसके बारे में हम लोग कुछ सवालात कर रहे थे। मंत्री जी का कहना है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने नाबार्ड और आर०बी०आई० से बात करने के बाद एक स्ट्रैटेजी ली है कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं और ऋण के जाल में फंसे हुए हैं, उनको कैसे बचाया जाए। मैं बता रहा था कि यह टारगेटेड है उनके लिए जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके परिवारों के लिए। वहां कहा जा रहा है कि—

> "...Reduction of rate of interest to four per cent for small and marginal farmers who are leigible under DRI scheme..."

What is new about it?

डी०आर०आई० तो हर बैंक में है। दिक्कत यह है कि वह लागू नहीं होती। कोई नेशनेलाईज्ड बैंक, कोई शैड्यूल्ड बैंक, कोई कामर्शियल बैंक वह एक परसेंट क्रेडिट डिफरेंशिल रेट ऑफ इंट्रेस्ट गरीबों को देने को तैयार नहीं है। वित्त मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। अगर वे रहते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर का मामला नहीं है, यह फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी संबंधित है। तो एक भी बैंक डी०आर०आई० स्कीम का जो कोटा है उसको पूरा नहीं करता। क्यों नहीं करता उनसे आप पूछिए। वह बोलेंगे कि कोई एप्लीकेंट भी नहीं मिलता, कोई चाहता ही नहीं है 4 परसेंट इंटरेस्ट में। यह उनका जवाब होता है कि चार परसेंट इंटरेस्ट में—डिफ्रेंसियल रेट आफ इंटरेस्ट में लोन लेने के लिए उत्साही नहीं है। जब आत्महत्या हो गई, यह आपदा हो गई तो उसे टैकिल करने के लिए, चुनौती के आधार पर नाबार्ड और आर०बी०आई० ने फैसला लिया है कि 4 परसेंट इंटरेस्ट में हम लोन देंगे। किसके साथ यह मजाक कर रहे हैं आप? जो स्कीम लागू है, आलरेडी स्कीम है—नथिंग न्यू। हमारे पूरे प्रश्न का थ्रस्ट यह है कि जब आत्महत्या हो रही है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसकी वजह क्या है और उसके बाद उसको सुधारने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हम कौंसिल आफ स्टेट में यहां बैठकर बातें कर रहे हैं। तो यह देखा जाता है कि यह बड़ा सुपरफ्शिल है। ऊपर से मामले को कुछ ढकने की कोशिश की जा रही है और जो सवाल मैं यहां पर पूछ रहा हूं वह बार-बार इसके ऊपर ही आधारित कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाइए, स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं।

> "In the context of the distress caused by indebtedness of farmers in Andhra Pradesh, the Government of India has constituted a Study Group to:"

टर्म्स आफ रिफ्रेंस तय हुआ है। तो इन्होंने स्टडी ग्रुप बनाया है। किस लिए बनाया है। आन्ध्र प्रदेश के लिए बनाए हैं। यह आपका निजी मामला है, कॉअलेशन के पार्टनर का मामला है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पूरे देश में जो स्थिति है, आप खुद कह रहे हैं अक्रोस दी बोर्डर। आन्ध्र में है, महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ है। फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा दूसरे राज्यों में भी यही हुआ है। यही स्थिति अगर चली तो इसके साथ कई और राज्य भी जुड़ सकते हैं। आज कपास का किसान तथा दूसरी जो कैश क्रॉप हैं उसके भी किसान इस आंकड़े में आ जाएंगे और शामिल हो जाएंगे । तो आपने यह अचानक स्टडी ग्रुप आन्ध्र का क्यों किया। लिखते हैं कि हमने यह-यह किया है, स्टडी ग्रुप का टर्म्स आफ रिफ्रेंस है कि वह क्या-क्या देखेंगे। जरूरत इस बात की है कि आप एक्शन लें।

उसी तरह से पैरा नम्बर-8 में आप आइए।

> "It is the responsibility of the respective State Governments to make available certified/quality seed to the farmers in time."

दस साल से, पन्द्रह साल से जितने स्टेटमेंट आते हैं इसी तरह से आते हैं कि अपनी जो जिम्मेदारी है वह दूसरे के हाथ में किस तरह से हम सौंप देते है। मुम्बई कहेगा कि दिल्ली देखो, दिल्ली कहेगा कि मुम्बई देखो। अगर किसान आत्महत्या नहीं करें तो जाएं कहां? कोई तो जिम्मेदारी लेनी होगी, कहीं तो यह कहेंगे कि कहां गलती हुई है उसको ढूंढकर निकालें। इतने दिन के इंतजार के बाद भी, कॉलिंग अटेंसन के बाद भी आज स्टेटमेंट से हमें यह नहीं लगता कि यह सरकार सीरियश है। मैं यह नहीं कहता कि कोई मैजिक है यह रातों-रात खत्म कर देंगे। पुराने जमाने से यह मामला इतना बिगड़ा हुआ है। कम से कम यह तो आप दिखाएं कि जो एफेक्टेड फेमिली हैं, जो आत्महत्या करने वालों के बच्चे हैं, उन लोगों को कम से कम आप यह मेसेज तो दें कि you are serious and you mean business. इतना तो हो सकता था। जिसने आत्महत्या करली उसे आप लौटा नहीं देंगे। लेकिन उन तमाम स्कीमों के बारे में कहना कि जब हो जाएगा तो फिर हम रिलीफ देंगे। तो वह रिलीफ कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो सीड के बारे में यह कहना है कि पिछले 10 साल में इस देश में

लिबरेलाइजेशन के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर, आर्थिक नीति के नाम पर हमने पैटर्न शिफ्ट किया है, जो एग्रीकल्चर का हमारा क्रॉप पैटर्न है वह शिफ्ट किया है। उस समय ऐसा होता था कि जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी तो क्रॉप्स फेल्योर होता था। लेकिन क्रॉप्स फेल्योर होने के बाद भी किसान के पास नए सीजन में नए उद्यम शुरू करने के लिए वह कोशिश करते थे। लेकिन जब कैश क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया और जब डिपेंडेबिल इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जब उसके पास केपिटल नहीं है, जब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम गांव में नहीं है, तो उस वक्त गवर्नमेंट तो यह कह रही थी कि विदड्रा करो कृषि से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम दस साल से मल्टीनेशनल कम्पनीज, देशी कम्पनीज नए-नए ब्रांड देकर के एडवरटाइजमेंट के जरिए वह सीड बेचेंगे। हमारी जो स्थिति है वह स्थिति और भी बिगड़ी है। यहां स्टेट गवर्नमेंट अगर यह एंश्योर नहीं करती है कि कितनी जरूरत है किस तरीके की। मैं यह कह रहा था कि सीड्ज़ के बारे में आप शुरू से देखें, इसके लिए एक तो इरिगेशन चाहिए, पानी चाहिए और बिजली चाहिए। सरकार इनको विदड्रा कर रही है। जिसके पास है वह पंप लगा ले, जिसके पास है वह रुपया जमा कर दे। इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करते। पहले किसानों ने कहा कि हमें बिजली चाहिए, उनको गोली खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि पानी चाहिए, उनको गोली खानी पड़ी, उन्होंने कहा कि हमें सीड्ज़ चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्ज़ चाहिए और ये सब चीज़ें सही कीमत पर चाहिए, बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर विदड्रा करेगी उदारीकरण के नाम पर, अगर कंपनीज़ आएंगी और वे सिर्फ विज्ञापनों के ज़रिए, लालच के ज़रिए यह दिखाएंगी कि इससे इतनी लागत में इतना फायदा है तो यह जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इसमें अगर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसान इस बंध में फंस जाएंगे। उनके पास तो पैसा भी नहीं है। बैंक लोन देते हैं क्रेडिट सिस्टम से, किसको दे रहे हैं? भाषणों में यहां पर प्रश्न किया और जवाब आ जाएगा कि एग्रीकल्चर प्राइयॉरिटी सेक्टर में बैंक लोन्स का जो 15 परसेंट है, वह किसानों को मिलेगा। यह तो सरकारी आंकड़ा है। अभी गुरुदास जी बोल रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला है लेकिन कोई बैंक इस 15 परसेंट को पूछता नहीं है। जब वह नहीं पूछता तो वह नाबार्ड के ज़रिए रूरल इनफ्रास्ट्रक्चर डेलवपमेंट फंड में चला जाता है। जो किसानों को रुपया मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है और किसानों को दे भी रहे हैं आप तो आपने यह किया है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड, आप समझेंगे, दर्द है आपको, हमदर्दी है किसानों से। हमारा जो अनुभव है गांवों में, ज़मीनी अनुभव है। वहां पर क्या होता है? एलाइड कहकर देखा जाता है कि वे फर्टिलाइज़र डीलर्स, वे सीड डीलर्स जो स्यूरियस, जो नकल और खराब स्टैंडर्ड के सीड्ज़ और फर्टिलाइज़र्स दे देते हैं, पेस्टिसाइड्ज़ देते हैं, बैंक से लोन उनको मिलता है। मैं चैलेंज करता हूं, मेरा पहला सवाल यह है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से कि जितने लोग मारे गए, आपका आंकड़ा, हमारा आंकड़ा सही नहीं है, अखबार का आंकड़ा सही नहीं है फिर भी मैं मान लेता हूं, आपका ही आंकड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ आंकड़ा है, उसमें आप यह बताएं कि इसमें से कितने लोग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम से कवर किए गए थे? चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपेरेटिव सोसायटीज़ हों, चाहे वे नेशनलाइज्ड बैंक हों या कोआपरेटिव बैंक हों, सवाल यह है कि वे लोग कवर नहीं हुए तो इनको जाना पड़ेगा मुनाफाखोरों के पास, सूदखोरों के पास, महाजनों के पास। जो आंध्र के केस हमने स्टडी किए हैं, उनमें पता चला कि इंटरेस्ट रेट उनको 60 परसेंट देना पड़ता है। इस देश में दिक्कत यह है कि जितने गरीब हैं, उनको उतनी ज्यादा कड़ी शर्तों पर, उतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ता है और जो जितने अमीर हैं, उनके लिए उतनी आसान शर्तों पर उतना आसान अरेंजमेंट है लोन लेने का। तो इसको कौन रोकेगा? इस बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। आपको फाइनेंस मिनिस्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आत्महत्या की, उसका पहला कारण जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है, उसका फेलियोर है जिसने उनको कवर नहीं किया। तो वे महाजन के पास चले गए, डीलर के पास चले गए और उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने स्यूरियस पेस्टिसाइडज़ इस्तेमाल किए।

दूसरा सवाल यह है कि जो सीड्ज़ और पेस्टिसाइड्ज़ के डीलर्स थे, उनमें से कितने लोग जो अफेक्टेड एरियाज़ में हैं, कितनों ने बैंक से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट सिस्टम से लोन लिया? फर्टिलाइज़र कंपनी को आप दे रहे हैं, सीड कंपनी को आप दे रहे हैं डीलर नेटवर्क बनाने के लिए, डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए तो हमारा दूसरा सवाल यह है कि जो डीलर्स हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो क्रेडिट सिस्टम है, उससे लोन लिया था।

3915/LS/84

तीसरा सवाल यह है कि जो मार्केटिंग है, यह जो कॉटन कारपोरेशन बनाया, बेकार है। किसान आज भी महाजन के पास है। चाहे वह कोई भी क्रॉप हो, उसमें जब भी लोएस्ट मार्केट प्राइस होता है, उस समय किसान को मजबूर होना पड़ता है बेचने के लिए और यह स्थिति अभी भी चल रही है। तो आप किस तरह से यह गारंटी करेंगे कि आप जो प्राइस घोषणा करते हैं, रिम्युनेरेटिव प्राइस की, वह उन्हें मिले? अब मैं खत्म ही करूंगा। मैं यह कह रहा था कि हमारी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और गवर्नमेंट का जो लिंकेज सिस्टम है, फॉरवर्ड लिंकेज हो या बैकवर्ड लिंकेज हो, उसको आप किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे? नाबार्ड के ज़रिए क्या आप स्टडी कराएंगे कि हमारे रूरल क्रेडिट सिस्टम की चाहत कितनी है? उसकी डिमांड कितनी है? कोई सर्वे होना चाहिए और फिर उसके बाद देखा जाए कि जो हमारा आर्गेनाइज्ड सिस्टम है, वह कितनों को कवर करता है? तो जो गैप है, उस गैप को हम किस तरह से पूरा करें। अगर उस गैप को हम पूरा नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल, इस राज में नहीं तो उस राज में किसान महाजनों के शिकार होते रहेंगे और इनडैप्टीनैस बढ़ेगी, उस पैसे को वह वापिस नहीं कर पाएंगे एक लाख रुपये आपने ग्रहत दी—तेलंगाना रिजन का स्पैसिफिक केस है—वहां किसान मारे गये, आत्महत्या की—एक लाख रुपये आपने दिये। एक लाख कैसे दिये गये। 25 हजार रुपये विडो को कैश दिये गये। 25 हजार रुपये कैश देने के दूसरे दिन ही जिस महाजन का रुपया लेकर वह किसान मारा गया, उस महाजन को 20 हजार रुपये वापिस कर दिये, उस महाजन ने ले लिए। बाकी 75 हजार रुपये बैंक में बच्चों की पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए डाल दिए। इस तरह का सिस्टम वहां पर है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसी):** आप कनक्लूड कीजिए। आपने काफी समय ले लिया है।

**श्री मोहम्मद सलीम:** सर, तो एक लाख रुपये दिये गये है, यह कहना ही काफी नहीं होगा। आपको यह भी देखना होगा कि सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें और यह जो हत्याएं हुई हैं—मैंने जहां से शुरू किया, वहीं पर खत्म कर रहा हूं—इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह जिम्मेदारी आज नहीं तो कल आपको लेनी पड़ेगी। कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। धन्यवाद।

†[ ]

†[ ] Transliteration in Arabic script.

رہے ہیں، ہم کاؤنسل آف اسٹیٹ میں یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا اسپیشل ہے۔ اوپر کا معاملہ کچھ ڈھلکے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو سوال میں یہاں پر پوچھ رہا ہوں وہ بار بار اسکے اوپر ہی آ دھارت کر رہا ہوں۔ سنٹرل گورنمنٹ میں آجایئے اسٹیٹ گورنمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔"

In the context of the distress caused by indebtedness of a farmers in Andhra Pradesh, the Governmet of India has constituted a Study Group to":

"ٹرمس آف ریفرنس طے ہوا ہے" تو انھوں نے اسٹڈی گروپ بنایا ہے۔ کس لئے بنایا ہے۔ آندھرا پردیش کے لئے بنائے ہیں، یہ آپ کا نجی معاملہ ہے کو لیشن کے پارٹنر کا معاملہ ہے۔ راشٹرپتی درشٹی کون سے پورے دیش میں جو حالت ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، اگر اس دی بار ڈور۔ آندھرا میں ہے، مہاراشٹر میں زیادہ ہوا ہے۔ پھر اسکے بعد پنجاب، ہریانہ اور دوسرے راجیوں میں بھی یہی ہوا ہے۔ یہی استھتی اگر چلی تو اسکے ساتھ کئی اور راجیہ بھی جڑ سکتے ہیں، آج کپاس کا کسان اور اور دوسری جو کیشن کراپ ہیں اسکے بھی کسان اس آنکڑے میں آجائینگے

کوئی کمرشیل بینک وہ ایک پرسینٹ گریڈیٹ ڈفرینشیل ریٹ آف انٹرسٹ غریبوں کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے۔ وزیر خزانہ یہاں موجود نہیں ہیں، اگر وہ رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ یہ صرف ایگریکلچر کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ فائنینس منسٹری سے بھی متعلق ہے۔ کوایک بھی بینک ڈی۔آر۔آئی۔اسکیم کا جو کوٹہ ہے پورا نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا ان سے آپ پوچھئے، وہ بولیں گے کہ کوئی اپلیکنٹ ہی نہیں ملتا، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ یہ فیصدی انٹرسٹ میں یہ انکا جواب ہوتا ہے کہ یہ فیصد انٹرسٹ میں ڈفرینشیل ریٹ آف انٹرسٹ میں لون لینے کے لئے اتساہی نہیں ہے۔ جب آتم ہتیا ہو گئی، یہ آباد ہو گئی تو اسے ٹھیک کرنے کیلئے، چنوتی کے آدھار پر نابارڈ اور آر۔بی۔آئی۔ نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ فیصد انٹرسٹ میں ہم لون دینگے۔ کس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ جو اسکیم لاگو ہے، آل ریڈی اسکیم ہے "نتھنگ نیو"۔ ہمارے پورے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آتم ہتیا ہو رہی ہے تو اسکے لئے سرکار کیا کر رہی ہے، اسکی وجہ کیا ہے اور اسکے بعد اسکو سدھارنے کیا کوشش کر

ہیں، جو آتم ہتیا کرنے والوں کے بچے ہیں، ان لوگوں کو کم سے کم آپ یہ میسیج دیں کہ "یو آر سیریس اینڈ یو مین بزنس" اتنا تو ہو سکتا تھا۔ جس نے آتم ہتیا کر لی اسے آپ لوٹا نہیں دینگے، لیکن ان تمام اسکیموں کے بارے میں کہا کہ جب ہو جائے گا تو پھر ہم ریلیف دیں گے۔ تو وہ ریلیف کہیں نہیں پہنچائے گا۔ تو سیڈ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پچھلے ۱۰ سال سے میں اس دیش میں لبرلائزیشن کے نام پر، اوداری کرن کے نام پر، آرتھک نیتی کے نام پر ہم نے پیرون شفٹ کیا ہے، جو ایگریکلچر کا ہمارا پیرون ہے وہ شفٹ کیا ہے، اس سے ایسا ہوتا تھا کہ جو ہماری کریڈیشنل کراپس تھیں تو کراپس فیلیور ہوتا تھا۔ لیکن کراپس فیلیور ہونے کے بعد بھی کسان کے پاس نئے سیزن میں نئے تو ہیم شروع کرنے کے لئے وہ کوشش کرتے تھے، لیکن جب کنیشن کراپ پیٹرن چینج ہو گیا اور جب ڈیپنڈ ایبل ایریگیشن سسٹم نہیں ہے، جب اسکے پاس کیپیٹل نہیں ہے جب انسٹی ٹیوشنل کریڈٹ سسٹم گاؤں میں نہیں ہے، تو اس وقت گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی تھی کہ وڈرا کر کے کر شی سے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہم دس سال سے ملٹی نیشنل کمپنیز اور شامل ہو جائینگے۔ تو آپ نے یہ اچانک اسٹڈی گروپ آنند ورما کا کیوں لیا۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے، اسٹڈی گروپ کا ٹرمس آف ریفرنس ہے کہ وہ کیا کیا دیکھیں گے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایکشن لیں۔

اسی طرح سے پیرا نمبر ۸ میں آپ آئے۔]

"It is the responsibility of the respective State Govts. to make available certified/ quality seed to the farmers in time."

[دس سال سے، پندرہ سال سے جتنے اسیسمنٹ آتے ہیں اسی طرح سے آتے ہیں کہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں کس طرح سے ہم سونپ دیتے ہیں، ممبئی کہے گا کہ دلّی دیکھو، دلّی کہے گا کہ ممبئی دیکھو۔ اگر کسان آتم ہتیا نہ کریں تو کہاں جائیں؟ کوئی تو ذمہ داری لینی ہوگی، کہیں تو یہ کہیں گے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اسکو ڈھونڈ کر نکالیں۔ اتنے دن کے انتظار کے بعد بھی کالنگ اٹینشن کے بعد بھی آج اسمبلی سے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ سرکار سنجیدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میجک ہے یہ راتوں رات ختم کر دینگے۔ پرانے زمانے سے یہ معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے، کم سے کم یہ تو آپ دکھائیں کہ جو متاثرہ فیملیز

] Transliteration in Arabic script.

ں ہے تو پھر کسان اس بفر میں پھنس
ے ہیں ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے۔
نک لون دیتے ہیں کریڈٹ سسٹم سے،
ں کو دے رہے ہیں؟ بھاشنوں میں
یہاں پر پرشن کیا اور جواب آ جائیگا کہ
یگر یکلچر پرائرٹی سیکٹر میں بینک لون
ا جو 15 پرسینٹ ہے، وہ کسانوں کو
ملیگا۔ یہ تو سرکاری آنکڑا ہے۔ ابھی
ترودا جی بول رہے تھے کہ فائننس
سٹری کا معاملہ ہے لیکن کوئی بینک
15 پرسینٹ کو پوچھتا نہیں ہے۔ جب
نہیں پوچھتا ہے تو وہ نابارڈ کے ذریعہ
رول انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ میں
ل جاتا ہے۔ جو کسانوں کو روپیہ ملنا
ہیے، وہ نہیں مل رہا ہے اور کسانوں
دے بھی رہے ہیں آپ تو آپنے یہ کہا
ہ ایگریکلچر اینڈ ایلائیڈ، آپ سمجھیں گے
رہے آپ تو، ہمدردی ہے کسانوں
ے۔ ہمارا جو انوجھتو ہے گاؤں میں زمینی
نوجھتو ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ الائیڈ
ہہ کر دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرٹیلائزر ڈیلرس
ہ سیڈس ڈیلر جو اسپوریس، جو نقل
ور خراب اسٹینڈرڈ سیڈس اور
رٹیلائزرس دے دیتے ہیں، پیسٹی
سائڈز دے دیتے ہیں بینک سے لون
انکو ملتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں میرا
دیش کمپنیز نئے نئے ہائبرڈ کے
ایڈورٹائزر کے ذریعے وہ سیڈ بیچیں گے،
ہماری جو استھتی ہے وہ استھتی اور
بھی بگڑی ہے۔ یہاں ایسیٹ گورنمنٹ
اگریکلچر انشورینس کرتی ہے کہ کتنی ضرورت
ہے کس طریقہ کی۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیڈز کے بارے
میں آپ شروع سے دیکھیں، اس کے لئے
ایک تو اریگیشن چاہیئے، پانی چاہیئے اور
بجلی چاہیئے۔ سرکار اس کو ودڈرا کر رہی ہے۔
جس کے پاس ہے وہ پمپ لگا لے، جس
کے پاس ہے وہ روپیہ جمع کر دے۔ اس
دیش میں کسان آتم ہتیا نہیں کرتے پہلے
کسانوں نے کہا کہ ہمیں بجلی چاہیئے، ان کو
گولی کھانی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ پانی چاہیئے،
ان کو گولی کھانی پڑی، انہوں نے کہا کہ ہمیں
سیڈز چاہئیں، پیسٹی سائڈز چاہیئے اور یہ
سب چیزیں صحیح قیمت پر چاہیئے، بہت
زیادہ منافع خوری ہو رہی ہے، کوئی سننے
والا نہیں ہے۔ ان کو زیادہ قیمت پر خریدنا
پڑ رہا ہے۔ گورنمنٹ اگر ودڈرا کر رہی ہے
کرن کے نام پر، اگر کمپنیز آئیں گی اور وہ صرف
وگیاپنوں کے ذریعہ، لالچ کے ذریعہ یہ
دکھائیں گی کہ اس سے اتنی لاگت میں
اتنا فائدہ ہے تو یہ جو پیٹرن چینج ہو
رہا ہے، اس میں اگر سرکار کی کوئی ذمہ داری

سے آتم ہتیائی اس کا پہلا کارن جو انسٹی ٹیوشنلائزڈ رورل کریڈٹ ڈیوری سسٹم ہے اس کا فیلیور ہے جس نے ان کو کوئی نہیں دیا تو وہ مہاجن کے پاس چلے گئے، ڈیلر کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک انھوں نے اسپوریس پوسیشسارڈ استعمال کیے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سینڈ اور پیسٹیسائڈ کے ڈیلرس سے ان میں سے کتنے لوگ جو افیلیئیٹو ایریاز میں ہیں ان میں سے کتنوں نے بینک سے انسٹی ٹیوشنلائزڈ کریڈٹ سسٹم سے لون لیا؟ فرٹیلائزر بھی تو آپ دے رہے ہیں، سیڈ بھی تو آپ دے رہے ہیں ڈیلرنیٹ ورک بنانے کے لیے، ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بڑھانے کے لیے تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ڈیلرس ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں، جنھوں نے انسٹی ٹیوشنلائزڈ جو کریڈٹ سسٹم ہے، اس سے لون لیا تھا؟

تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مارکیٹنگ ہے، یہ جو کاٹن کارپوریشن بنایا، بیکار ہے کسان آج بھی مہاجن کے پاس ہے چاہے وہ کوئی بھی کراپ ہو اس میں جب لو ئیسٹ مارکیٹ پرائز ہوتا ہے اس وقت کسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے

پہلا سوال یہ ہے ہمارے فائنانس منسٹر سے کہ جتنے لوگ مارے گئے آپ کا آنکڑا ہمارا آنکڑا، اخبار کا آنکڑا صحیح نہیں ہے پھر بھی میں مان لیتا ہوں آپ کا جو آنکڑا ہے، اسسٹیٹ گورنمنٹ کا دیا ہوا آنکڑا ہے، اس میں آپ یہ بتائیں کہ اس میں کتنے لوگ انسٹی ٹیوشنلائزڈ کریڈٹ ڈیوری سسٹم سے لون لے کے مرے تھے؟ چاہے گرامین بینک ہو، چاہے پرائیویٹ ایگریکلچر تو آپریٹیو سوسائٹیز ہوں، چاہے وہ نیشلائزڈ بینک ہوں، یا تو آپریٹیو بینک ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کو دیش ہوئے تو ان کو جانا پڑے گا مناف خوروں کے پاس سود خوروں کے پاس، مہاجنوں کے پاس جو آندھرا کے کیس ہم نے اسٹڈی کیے ہیں ان میں پتہ چلا کہ انٹرسٹ ریٹ ان کو ۶۰ پرسینٹ دینا پڑتا ہے۔ اس دیش میں دقت یہ ہے کہ جتنے غریب ہیں ان کو اتنی زیادہ کڑی شرطوں پر، اتنی زیادہ انٹرسٹ ریٹ پر لون لینا پڑتا ہے اور جتنے امیر ہیں ان کے لیے اتنی آسان شرطوں پر اتنا آسان ارجنٹ ہے لون لینے کا۔ تو اس کو کون روکے گا؟ اس بارے میں تو کوئی چرچا نہیں ہے آپ کو فائنانس منسٹر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی آپ کو جواب دینا پڑیگا کہ جن لوگوں

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (उत्तर प्रदेश): किसानों का कर्जे के नीचे दबकर आत्महत्या कर लेना—इसमें न वर्तमान सरकार का कोई दोष है और न दोष किसी एक का है। यह राष्ट्रीय समस्या है और इसमें सभी दोषी हैं, सभी दोषमुक्त होना चाहते हैं, किसान कर्जे के नीचे क्यों दबता है। जैसे-जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है और रासायनिक एवं महंगे बीज लेने पड़ रहे हैं, उससे किसान पर अधिक कर्ज चढ़ा है। मैं अभी देख रहा था, प्रोफेसर एस० एस० शेरगिल की एक

मैग्जीन है "पांच दरिया", उसमें उन्होंने पंजाब का जिक्र करते हुए लिखा है कि "पंजाब के किसानों के जिम्मे जो कमर्शियल बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनका कर्जा 1106 करोड़ रुपये है, कोऑपरेटिव सोसायटीज़ का कर्जा 1547 करोड़ रुपये है और जो महाजन हैं, जो कमीशन एजेंट हैं उनका कर्जा 2640 करोड़ रुपये है। यह बड़े दुख की बात है कि इस देश में सभी राजनैतिक दल और हम सभी लोग किसान को अनाज का दाता, अनाज देने वाला मानते हैं और अनाज दाता ही आत्महत्या करे, इसके लिए बहुत फिक्र की जरूरत है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी के स्टेटमेंट को गंभीरता के साथ पढ़ रहा था। उसमें अन्य राज्यों का विवरण ज्यादा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आन्ध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, पंजाब से क्या रिपोर्टिंग है और भारत से क्या है, इस बात का ज्यादा जिक्र है। सर, मैं चार-पांच छोटी-छोटी बातें दो-तीन मिनट में कहकर समाप्त करूंगा। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से ऋण में फंसे किसान—जिनमें से कुछ आत्महत्या कर गये और कुछ नीम आत्महत्या करने की स्थिति में हैं—उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की झलक दिखाई नहीं देती जिसकी हमें माननीय मंत्री जी से बहुत उम्मीद थी। जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि एक तो जो बैंक के कर्जे किसानों के ऊपर हैं—शुरू में मैं अर्ज कर दूं, मेरी तज़वीज़ माननीय कृषि मंत्री जी से और सरकार के बड़े मंत्री श्री आडवाणी जी भी यहां तशरीफ रखे हुए हैं, उनसे मेरी अर्ज है कि पंजाब में ऐसी स्थिति 1920, 1930, 1935, 1938 और 1940 में हुई थी। तब जिस भी किसान को कर्जा देना होता था, महाजन उसकी जमीन अपने नाम रहन कर लेता था, मॉर्टगेज कर लेता था, एक-एक गांव में 90 प्रतिशत लोगों की जमीन रहन थी। हमारे बाप-दादा की जमीन भी रहन थी, लेकिन सर छोटू राम ने एक ही दिन कानून बना दिया कि जिस किसान की जमीन 20 साल से किसी साहूकार के पास—जो खुद खेती नहीं करता है... वह कमीशन एजेंट है या कोई और चीज है, वह खुद किसान नहीं है। अगर उसके पास रहन है तो सारी की सारी जमीन 20 साल के बाद उसकी हो जाएगी बगैर पेमेंट किए हुए। सोमपाल जी खुद जानते हैं कि इससे हजारों नहीं लाखों फैमलीज को रिलीफ मिलेगी, अगर अब हम कोई ऐसा सर छोटू राम जैसा कदम उठायेंगे तो। वरना हम कितने ही भाषण कर लें, जितने मर्जी पेपर लिख लें, ग्राउण्ड पर कर्जे के जंगल से किसान निकल नहीं सकेगा। मैंने इस आधार पर दो-तीन बातें आपके नोटिस में लानी हैं।

पहली बात यह है कि किसान ब्याज नहीं दे सकता है। मेरे ख्याल में किसान असल कर्जा वापस करने के लिए तैयार है परन्तु किसान कम्पाउण्ड किया गया ब्याज पर पड़ा ब्याज नहीं दे सकता है, वह अपनी दे जान देता है। ऐसी स्थिति में एक तो केन्द्र सरकार यह फैसला करे कि उसके जो बैंक हैं, उन्होंने जो कर्जे दिए हुए हैं उसमें न तो प्रिंसीपल और न ही इन्टरेस्ट दो साल के लिए कम से कम 1998, 1999 और 2000 तक रिकवरी है वह दो साल के लिए मुल्तवी कर दी जाए ताकि किसान को एक दफा राहत मिले। दो साल के बाद इन्टरेस्ट सारा छोड़ दिया जाए। जो मूलधन है, जो प्रिंसीपल अमाउन्ट है वह पांच साल में दस किश्तों में खरीफ और रबी की फसल के समय किश्तों में ले लिया जाये। तमाम बैंकों से जो कर्जे दिए जाते हैं उसको रि-शिड्यूल केन्द्र सरकार को करना चाहिए। एक तो मैंने अर्ज किया कि दो साल के लिए सारा पैसा लेना मुल्तवी कर दिया जाए जो केन्द्र सरकार का है। दूसरे जो शार्ट-टर्म लोन है उसको लांग टर्म में तब्दील कर दिया जाए ताकि किसान उसको दे सकें।

पंजाब में पिछले 14 महीने में पेस्टीसाइड्स की बिक्री हो रही है। इस बात को मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि 20-20 एकड़ में जिन लोगों ने कॉटन बोया हुआ था उसमें छिड़का हुआ पेस्टीसाइड्स गलत निकला तो उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ, 20-20 एकड़ में फसल जाया हो गई और आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है कि नकली पेस्टीसाइड्स विक्रेता को पकड़ा गया हो। सरकार इस मामले में कोई दखल ही नहीं दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए।

सर, मैं यह अर्ज करता हूं कि पेस्टीसाइड का छिड़काव करते समय किसान के बच्चे की या किसान की मृत्यु हो जाती है उसके लिए हमने कोई प्रावधान नहीं किया है और इस स्टेटमेंट में उसका भी जिक्र होना चाहिए था।

सर, एक जो मनी-लेण्डर्स के पैसे है, उस पैसे पर वह किसान से ब्याज ही 36 प्रतिशत सालाना और 40 प्रतिशत सालाना ले लेते हैं और फिर वह कम्पाउण्ड होकर बढ़ जाता है। उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

आखिर में, मैं एक दफा जोर से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी ब्याज की रकम, इन्टरेस्ट की रकम किसान के सिर से खत्म नहीं की जाएगी तब तक किसान द्वारा की जाने वाली आत्महत्या बन्द नहीं होगी। कोई किसान इतना गिरा हुआ नहीं है कि वह कर्जे को वापस न करे।

किसान पंचायत में बैठता है और वह बहुत ही सेल्फ रेसपेक्टिड आदमी है। वह असल धन वापस करना चाहता है। वह तो गांव में कहता है कि मैंने आपका पैसा देना है भाई और मैं हाथ जोड़कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर ब्याज ज्यादा मत डालिए। इसके लिए अगर आप आज कुछ भी स्टेप्स अनाउन्स कर दें तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise with a heavy heart to associate myself with the sentiments expressed by my hon. friends. But unfortunately, whenever a debate about the plight of the farming community takes place, politics is coming into our discussion and we are not able to come to a meaningful conclusion. I was carefully listening to the speech of my friend, Shri Gurudas Das Gupta, in the morning, forgetting that his own Government was there in office till the other day. He was making such a sweeping remark against the Minister and against the insensitivity of the Government. Sir, I do not want to go into that controvesy because the subject which is dearer to me, will get affected. But the wrong policies that have been pursued all these years, the wrong priorities that were pursued all these years were responsible for the present plight of the farming community. It is not an overnight development that the farmers of Andhra Pradesh have committed suicide. Even in 1987-88, one hundred farmers ahd committed suicide in Guntur, Krishna and Prakasam belt mostly cultivating the cotton crop. Subsequently, last year, and this year also, not only in Andhra Pradesh but also in the neighbouring States of Karnataka, Maharashtra, and to some extent, in Punjab, these things have taken place and they are spreading to other areas also. What is the reason? The farmer always believes in self-respect. He never wants to avail himself of any loan facility. You see anybody who is involved inthe shares scam or the banking scam or the companies which have become insolvent on record. None of them have committed suicide. Even the people who have been exposed in the Media, who have been talked about time and again—I do not want to bring those names—none of those fellows have ever made an attempt to commit suicide. I do not want them to commit suicide. I want them to be punished, to be put behind the bars. But the farmers in the rural areas, the poor fellows having two acres of land or three acres of land or five acres of land are losing hope because there is no way by which they can repay the loans which have been taken either from the banks or from the private money-lenders. I would like to refer to one report relating to the State of Maharashtra. Mr. Umesh Chandra, Secretary, Agriculture, Government of Maharashtra, has stated that the year 1997-98 has been the worse for the Maharashtra farmers. He further said that more than 50 per cent of the crops of the farmers have been affected, that is, in an area of 4,67,000 hectares of land, fifty per cent of the crops of the farmers have been affected. Same is the case with Karnataka. Coming to the neightbouring districts of Andhra Pradesh and Karnataka, that is, Gulbarga and Bidar, there also, fifty per cent of the crops of the farming community were lost whether it was cotton or whether it was any other commercial crop. Same is the case in Andhra Pradesh. It is also a fact and we have to admit it that monsoon also have some affect on the fortunes of the farmers whether it is flood, whether it is drought, whether it is cyclone, whether it is untimely rain or whether it is hail storm, all of them are having a terrible effect on the fate of the farming community. If you go by records, then you will find that the credit that was due for the farming community was around 18 per cent. What is the achievement? As per the record, it is not around 13 per cent. Who is responsible for this? I simply feel that there are very many senior Members in this House. In this country since independence, the Parliament, the Planning Commission,

the Media, the political parties, all are offering lip-service to the rural India. We are more concerned about the organised sector. We are more concerned about the people who have got resources and sources to raise their voice and reach Delhi. we have less concern about the people who are residing in the remote areas of this country. This is the main reason which has led to this situation. Otherwise, if you see the debates that are going on in both the Houses of Parliament, you will find that enough time is not given to these issues. I am not making any allegation against anybody. But as I told you, even in the Planning Commission, the people are saying that about 65 per cent of the credit for the agricultural community even today is coming from the private sources. Even the banks which were nationalised, which have got a social responsibility

and which are under the control of the Government of India, are not able to enforce even the directives given by the Reserve Bank of India. What is happening to them? Who is monitoring them? Why are you not pulling them up? Why are you not able to reach the target? Eighteen per cent is not a big target for a community which represents about 70 per cent of the population and you are just giving them a credit facility to the extent of 18 per cent. Even that eighteen per cent target is not achieved. We are not able to reach the target of eighteen per cent. That being the case, let the Parliament in its collective wisdom come together, let the political parties also come together.... Mr. Chaturanan Mishra was Minister for Agriculture the other day. Sir, in his regime also, these suicides had taken place in Andhra Pradesh. They are taking place today, and they will take place even tomorrow. The reasons are: the system is the same, the facilities are the same, the loans are the same, the harassment is the same and the failure of the monsoons is also the same. We are not taking any effective, protective measures. There is no remunerative price. There is a restriction on the movement of foodgrains. An Andhra farmer cannot take his cotton to maharashtra; a Maharashtra farmer cannot sell his cotton in Hyderabad which is just adjacent to Maharashtra where the prices are remunerative. An Andhra farmer cannot take his paddy to Tamil Nadu where there is a demand for paddy. This is the situation. In spite of the fact that the Government of India, under the able leadership of Vajpayeeji, earlier under the leadership of Deve Gowdaji, has declared that in India there is no restriction, the entire India is considered as one food zone, the States are putting restrictions on the movement of foodgrains.

Secondly, I want to make a point about spurious pesticides. Today, the biggest menace is spurious pesticides. You know that the pesticides have become costly and the manures have become very costly. The successive Governments have been reducing the subsidy on fertilisers. That being the case, on the one hand, there is a reduction in subsidy on fertilisers, but on the other, there is an increased supply of spurious pesticides, and also of spuirious seeds. These seeds are not germinating, resulting in a huge loss to the farming community. Let there be a serious application of mind by both the Central Government and the State Governments. I request the Minister to take initiative to call a meeting of the States which are affected by this menace. What are we doing now? What are the States doing? Condoling the death and paying compensation to the remaining members of those families! That seems to be our policy. Giving one lakh rupees or giving a job under the JRY or giving a house under the Indira Awas Yojana or sending the children to school—I am not finding fault with those types of measures. But what about the preventive measures, to prevent such suicides at least hereafter? For that, there should be effective legislation or effective measures by the Central Government or the State Government. The Government should also take effective measures (i) to get them the needed credit flow from the banks; (ii) to arrest

the menace of spurious pesticides by making an effective legislation and (ii) to make available the seeds which are genuine and also to take action against the people who are selling these spurious seeds, and (iv) to go in for a comprehensive crop insurance scheme. This crop insurance scheme has been talked about by so many Prime Ministers, by so many Ministers, but nothing is happening. Even under the leadership of Chaturanan Mishraji, a crop insurance scheme was proposed. It was only a pilot scheme. It was only for 24 districts, and it was only up to ten thousand rupees. Of what use is this amount of ten thousand rupees for a cotton crop? Even that amount of ten thousand rupees is not coming. And there is no premium also. Sir, unless you engage yourself in this serious issue of having a comprehensive crop insurance scheme, bring a legislation also educate the farmers across the country about the need for such a crop insurance, unless the farmers pay the premium to some extent, the scheme will not be viable, it will not be effective, and it will not be easy to implement also because the losses are huge. That being the case, let there a national debate, let there be a consensus, let there be an effort by all political parties to back up the crop insurance scheme and let the Government take initiative to bring a crop insurance scheme on an all India basis, covering the commercial crops.

The next point I want to stress is, a Committee was set up by the Government of India, the Committee had visited certain parts of Andhra Pradesh and other places, but they have yet to submit a report. I don't know why they are taking that much time. The Committee should be asked to expedite its report and then the Government should start taking action on that.

The fourth point is about assistance to Karnataka Government. No assistance is given to karnataka. I don't know the reasons. I would like the hon. Minister to explain to the House the reasons for not giving assistance to Karnataka even after the Karanataka Government has sought additional assistance. The Minister has himself admitted this in his statement.

The fifth point is regarding banning certain pesticides which were internally acknowledged as harmful to the crops. Sir, 138 brands of pesticides were banned in many parts of the world. That being the case, why doesn't the Indian Government also take up the issue, talk to the State Governments and then come with a comprehensive legislation identifying and banning those brands which are harmful for farming community.

Sixthly, with regard to the relief, I suggest to the Government of India that mere postponement or mere restructuring of the loan will not suffice because they are in distress. They are comming suicide. In Andhra Padesh alone, 269 farmers had committeed suicide. That shows the gravity of the situation. In Karnataka also, 26 people had committed suicide, up till now. The Government has confirmed it. Now the Government should go in for a sort of interest-waiver to all the affected farmers in the affected areas. The Government should also pay compensation to the people who have lost their crops. This is a serious issue. The Government should apply its mind to these points (1) postponement and rescheduling of repayment of loans, (2) waiver of interest for all, and (3) payment of compensation to the small and marginal farmers in those affected areas. Unless these steps are taken at the earliest, the situation will go out of control. This has become a psychological thing now. It is having some effect on other farmers also. They feel that the best way to get out of the thing is to end their life. Now there is a temptation. The payment of Rs. 1 lakhs, the house and other things may also tempt the people to take recourse to suicide. I request, through you, Sir, the Government to take a serious not of what is happening in various parts of the country. There is no politics involved

in this. There is no ideology involved in this. There is no philosophy involved in this. What is needed is to take corrective steps by both the Central and State Governments, to understand the plight of the farming community and to go in for long-term and short terms measures. Thank you.

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला** (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने का गम्भीर मामला आज सदन में उठा है, इस मसले पर बहस करने के लिए मैंने 29 मई को पिछले सेशन के फर्स्ट फेज़ के शुरू होने से पहले 15 मैम्बरों से हस्ताक्षर करवा कर मोशन दिया था। नतीजा यह हुआ कि पहले सेशन में कम से कम 10 तारीखें इसके लिए रखी गई और अल्टीमेटली आज यह मुद्दा हाऊस के सामने आया है। इससे जाहिर है कि हाऊस समूचे तौर से कितनी गम्भीरता से इस मसले को ले रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन को न दोहराऊं। सबसे पहले आत्महत्याओं की जो संख्या है, जो वाल्यूम है, इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में मुझे सख्त आपत्ति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े मीडिया को हैदराबाद में, बंगलौर में, चण्डीगढ़ में या दिल्ली में किसी ने दे दिये है और देने वाले कौन हैं, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्हीं फिगर्ज़ को पूरे देश के बुद्धिजीवियों और पार्लियामेंट के मैम्बरों ने ठीक मान लिया। मुझे इस बात का इतना दुख है जिसकी कोई इंतेहा नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आत्महत्याओं की घटनाएं किसी एक प्रान्त, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में कहीं भी सीमित नहीं हैं। यह बिल्कुल गलत बात है कि केवल आन्ध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में आत्महत्याएं हुई है और कुछ पंजाब में हुई है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जब थक गया तो मैंने अपने स्तर पर जा कर देखा क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन आंकड़ों को इक्ट्ठा करने के लिए तैयार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है इस विषय पर कोई कमेटी या कमीशन बनाने के लिए जब तक आप यह पता नहीं लगाएंगे कि आत्महत्याएं कितने लोगों ने की हैं, इनका ट्रेंड क्या है, कौन से सालों में हुई है, उनकी उम्र क्या है, मेथड क्या है आत्महत्या करने का, क्या चीज़ खा कर आत्महत्या करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जमीन है या नहीं है, उनका परिवार क्या है, जब तक यह आंकड़े आपके सामने नहीं आएंगे, किसानों के किसी भी मसले को सरकार हल नहीं कर सकती है। लीपापोती करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने स्तर पर अपने इलाके के पांच गांवों में आत्महत्याओं के आंकड़े इक्ट्ठे किये हैं। जींद जिले में छातर एक गांव है जिसमें 27 नौजवानों ने आत्महत्याएं की है पिछले दो साल में। मेरे पास सब के नाम है, उम्र, आत्महत्या का कारण और पूरी परिस्थिति है। इसके इलावा तीन चार गांवों की और लिस्ट है। एक गांव में 15, एक गांव में 10, एक गांव में 25 आत्महत्याएं हुई। एक पेटर्न बिल्कुल सब में जाहिर है, मैं आपको दो चार के नाम और उम्र पढ़ कर सुनाऊंगा। जो पहला आदमी है उसकी उम्र 28 साल है, दूसरी की 26 साल है, तीसरे की 24 साल है, अगले की 23 साल है, फिर उसके बाद 33 साल, फिर 20 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 22 साल है, फिर 20 साल है। मेरा कहना यह है कि 16, 17, 18 साल से, 20 साल से लेकर 35 साल के बीच की उम्र के लोग हैं 99 परसेंट जो आत्महत्या कर रहे हैं। और क्या परिस्थिति है? परिस्थिति यह है कि 95 परसेंट किसानों के पास आज देश में जमीन की जो जोत है, होल्डिंग है वह 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम है। उनमें 50 प्रतिशत के पास केवल 1 से 2 किला जमीन है। आज किसान के अपने परिवार को छोड़कर आमतौर से एक किसान के दो-दो, तीन-तीन बेटे हैं। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी शादी हो चुकी थी सामाजिक कारणों से। जब स्कूल या कालेज छोड़कर बाहर आए तो उनके दो-दो, तीन-तीन अपने बच्चे भी है। आज जमीन के ऊपर औसतन तीन परिवार है—एक किसान का और दो उनके बेटों के और उनके दो-दो, चार-चार बच्चे और पत्नियां हैं। ये सब उस दो एकड़, तीन एकड़, चार एकड़ या पांच एकड़ जमीन के ऊपर बोझ हैं। सरकार अगर सिचुएशन को, दिशा को बदलना चाहती है तो सरकार जब तक उन नौजवान लड़के-लड़कियों के लिए जिनके परिवार हैं जो पढ़े लिखे हैं जो इस देश का काम कर सकते हैं, रोजगार के साधनों की व्यवस्था नहीं करेगी, उनको कोई ओपनिंग नहीं देगी तब तक न सुसाइड रोक सकती है न इस खेती के बारे में जो डिसास्टरस सिचुएशन है उसको एवाइड कर सकती है। मैं सरकार से इसी स्थान पर यह कहना चाहूंगा कि आप कोई योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से उनको कोई रोजगार दीजिए। उन पढ़े लिखे नौजवानों के ऐसे प्रति परिवार को आप कम से कम 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए तो शायद यह तुरंत, इमीडिएट एक बड़ी भारी उनकी सहायता होगी।

कृषि मंत्री जी बहुत नौजवान आदमी हैं। आंकड़े देते हैं आन्ध्र प्रदेश के कि वहां पर 2 सौ या सवा 2 सौ या

270 आदमियों ने सुसाइड किया। यह 19 जून का आब्जर्वर है। जिलों के नाम दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं। 16 हजार आदमी अकेले आन्ध्र प्रदेश में, इस पेपर के अनुसार हैं जो पिछले 2 से 3 साल में खुदकुशी कर चुके हैं। अकेले हरियाणा में जिसके बारे में प्रांतीय सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं दी और दिल्ली की सरकार के नाक के नीचे हैं, दिल्ली की सरकार ने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं—कम से कम 10 से 15 हजार नौजवान पिछले 3 साल में खुदकुशी कर चुके हैं। मैं इस बात के लिए यूनिवर्सिटी के चांसलर से मिला। मैंने दरख्वास्त की कि आपके पास नौजवानों की टीम है, आपके पास लेक्चरर्स हैं क्यों नहीं आप हरियाणा के 16 जिलों में 5-5 रैंडम सैम्पुल गांव लेकर सर्वे करवा लेते है, 15 दिन में आपके पास हरियाणा के रफ फिगर्स होंगे। मुझे जवाब मिला कि इसमें राजनीति है। वाइस चांसलर ने कहा कि राजनीति है। मैं इसे करूंगा तो सरकार से मुझको खतरा हो जाएगा। क्या सरकार के पास इदारे नहीं है? आंध्र में सरकार टीम भिजवा सकती है।

जो मेरा अनुमान है, जो आधारित है किसी बात पर, खाली नहीं है, थोथा नहीं है, 2 लाख से ज्यादा किसान हिंदुस्तान में पिछले 2 और 3 साल के बीच में आत्महत्या कर चुके हैं। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं। भारत सरकार क्यों नहीं इसका पता करती। भारत सरकार क्यों आंख मूंदने की कोशिश करती है। भारत सरकार के हाथ लम्बे हैं। सरकार चाहे तो एक महीने के अंदर रैंडम सर्वे करवाकर या असल सर्वे करवाकर आंकड़े इकट्ठे कर सकती है ताकि नेशनल लेविल पर इस मुद्दे को ठीक से लिया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसान की यह दशा—आज हमारे माननीय सदस्य जो भा०ज०पा० के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि यह तो परंपरा से चली आती है। पहली सरकारों के वक्त में थी। यह तो हमेशा से है। कोई नयी बात नहीं है। यह पर्दापोशी करना है, पर्दा डालना है। असल बात यह है। मैं इस बात को पार्टी लेवल पर नहीं कहना चाहता था, लेकिन में मजबूर हूं। अगर किसानों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह डैम थे, चाहे वह स्टील मिल थे, चाहे वह साइंटेफिक लेबोरेटरीज़ थीं, चाहे नए बीज थे और चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन था, अगर किसी ने किया या हुआ तो वह 7-8 साल पहले इस देश के किसानों के लिए हुआ। लेकिन उसके बाद सब ने किसानों की बात को सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। उसका नतीजा यह है कि आज किसान की यह दुर्दशा हुई है। खासतौर से दो बातों ने किसान को मारा है जिस वजह से आज यह परिस्थिति इतनी गंभीर है। उसमें जो हमारे देश में कर्जे की प्रणाली है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कोआपरेटिव बैंकों का रेट ऑफ इन्टरेस्ट 16 से 18 प्रतिशत है और जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है उनके रेट ऑफ इन्टरेस्ट के अलावा जो प्रिंसीपल है जिसमें आप असल जो है उससे फालतू ब्याज़ नहीं ले सकते, असल तक ले सकते हैं। मेरे पास किसान आकर मिलते हैं। 95 हजार रुपया कर्ज लिया था। तीन लाख रुपया वापस कर चुके हैं और अभी भी 95 हजार रुपये बाकी हैं। वाइस चेयरमैन साहब, यह पंजाब नेशनल बैंक की बात मैं बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या परिवार को लेकर सैर-सपाटे के लिए जाएगा? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। परिस्थिति क्या है, कृषि के महकमे में एक कमेटी बनाई पंजाब-हरियाणा में कर्जे का अनुमान लगाने के लिए कि कर्जे की क्या स्थिति है। उस कमेटी की यह रिपोर्ट है कि कोआपरेटिव बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक को मिला कर जो कर्जा लेने की बात है तो वह कवरेज सिर्फ 28 से 30 परसेंट है और बाकी 70 प्रतिशत जो किसान है वे आज साहूकार और सूदखोर से कर्जा लेते हैं, जिसके ब्याज की दर 24 प्रतिशत से शुरू हो करके 36 प्रतिशत तक है, और बेजमीन लोगों से, आदिवासियों से, गरीब लोगों से तो उसकी सीमा 40 से 45 परसेंट है। इसलिए अगर वे लोग खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है? क्या सरकार ने कोई कानून बनाया है कि कर्जे के बदले में किसान को गिरफ्तार नहीं किया जाए? आज कोआपरेटिव बैंकों को, लैंड मार्टगेज बैंक को जो सैमी सरकारी अदारें है, उनको अधिकार है। वे किसान को इस तरह बांधकर ले जाते हैं जैसे गाय-बछड़े को कोई मोटर के अंदर रस्से से बांध कर ले जाते हैं। महीना-महीना भर किसान को सिविल जेल में बंद करते हैं। वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपको यह उदाहरण दे सकता हूं। किसान खुदकुशी तब करता है जब किसान

की गैरत को ललकारा जाता है। किसान की गैरत कैसे ललकारी जाती है, जब गांव में उसको गिरफ्तार किया जाता है या उसकी जमीन को सरेआम नीलामी की जाती है और नेशनलाइज्ड बैंक नीलामी करते हैं। सिविल कोर्ट से डिक्री लेकर करती हैं। ये बाते हैं जो किसान को खुदकुशी के लिए मजबूर कर रही हैं। मैंने कृषि मंत्री महोदय के बयान में बहुत सी बातें पढ़ी हैं जिसमें लिखा है कि जो पेस्टीसाइड हैं, जो इन्सैक्टीसाइड हैं, जो दूसरे खाद हैं गुणवत्ता वाले, उनका सरकार इंतजाम कर रही

है। मुझे बड़ा अफसोस है यह बात यूनिवर्सिली सब को इस देश के अंदर पता है कि तमाम इनपुट्स जो हैं पेस्टीसाइड्ज़, डीज़ल, फर्टिलाइज़र्ज़, सीड्ज़ सब के सब मिलावटी हैं। कोई भी असल नहीं है। किसान का ट्रैक्टर 6 महीने से ऊपर काम नहीं कर सकता। उसके बाद खोलना पड़ता है और मिस्त्री के पास ले जाना पड़ता है। जो ऐसे केसेज़ हैं, इस साल भी कपास की बीजाई लोगों ने की, वे बढ़िया बीज लेकर आए थे थैली वाले और जिस पर मोहर लगी थी। लेकिन एक भी कपास का पौधा नहीं उगा और दोबारा किसान को अपने घर के बीज से बीजाई करनी पड़ी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से केसेज हैं जिन में कीड़ेमार दवा के स्से ने पूरी फसल को जला दिया था। यह मेरी आंखों देखी बात है। मैं अपनी बात को छोटा कर कहना चाहता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि किसान को कैसे बचाया जा सकता है इस संबंध में सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं मांग करता हूं कि अगर किसान को, खेत मजदूर और आर्टीजंस जो खेत में काम करते हैं, सहायता करते हैं, उन को अगर बचाना है और इस देश को डिजास्टर से बचाना है तो यह किसान के अकेले की बात नहीं है। उस के लिए सरकार को, समाज को मिलकर विचार करना होगा। मेरी पहली मांग होगी कि उन के लिए रेट आफ ईंटरेस्ट ज्यादा-से-ज्यादा 6 प्रतिशत सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और सभी बैंक्स में किया जाना चाहिए किसान की जमीन की कुर्की नहीं होनी चाहिए। इस के अतिरिक्त मैं 3-4 और बातें कहना चाहता हूं कि किसान की फसल की कीमत के मामले में सब से ज्यादा चीटिंग होती है। आस्ट्रेलिया से यहां गेहूं मंगवाया और वह पड़ा 850 रुपए क्विंटल और देश के किसान का गेहूं बिके 5 सौ या 510 रुपये क्विंटल। इस से बड़ी शर्म की बात और क्या है? मेरा गेहूं बढ़िया और आस्ट्रेलिया का गेहूं निकम्मा क्योंकि उस के अंदर एक्जॉटिक सीडस, वह खाने के काम नहीं आ सकता, उस की शैल्फ-लाइफ बहुत छोटी और फिर भी ये-सरकार आंखें बंद किए हुए है। उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं फिर कहता हूं कि इस एक हजार करोड़ रुपए के गेहूं का एक दाना भी अगर हिंदुस्तान में कोई खाले तो मुझे जो सजा सरकार देना चाहे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आज एक महीना हो गया, पिछले महीने की 9 तारीख को सरकार ने एनाउंस किया था, लेकिन आज तक इसे सी०बी०आई० को इंक्वायरी के लिए एनट्रस्ट नहीं कर सकी। आप इस तरह से सरकार की मदद करना चाहते हैं?

सर, मैं और दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। जो इनपुट्स में मिलावट करते हैं, पेक्टीसाइड्स में मिलावट करते हैं उन को कम-से-कम 10 साल की सजा का प्रावधान कानून बदलकर कीजिए ताकि कोई डेटेरेंस हो, लोग डरें। उन को आप डिटेंशन में लें। मैं तो कहता हूं कि जो इतना बड़ा देशद्रोह करते हैं, उन को फांसी लगाओं। उसे खेती की पैदावर की कीमत के साथ सरप्लस देकर और उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ टैग किया जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, न्यूक्लिअर साइंस जिस का पिछले दिनों सरकार ने धमाका किया, यह साईस एग्रीकल्चर में इंक्लाब ला सकती है, यह बीजों को बोने से पहले ऐसा कर सकती है कि कभी उसे कीट न लगे। यह फ्रूट्स, वेजीटेबल्स और फसल को दो गुना, तीन गुना कर सकती है। यह हाइब्रिड दूसरी बहुत सी बातें कर सकती है। तो क्यों नहीं सरकार उस साइंस की शक्ति का इस्तेमाल किसानों और देश के हित के लिए करती है? महोदय, अंत मैं मैं कहना चाहूंगा कि जो किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है, उन के आश्रितों के लिए एक लाख रुपया कुछ नहीं है। उन्हें कम-से-कम 5 लाख रुपए दिए जाएं और उन की रिहैबिलिटेशन की स्कीम बनाई जाए। साथ ही सरकार को इंश्योरेंस और कैलेमिटी फंड रिवॉल्विंग क्रिएट करना पड़ेगा जिस से कि आपदा की सूरत में किसान को पूरी राहत मिल सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह अकेले महाराष्ट्र का, आंध्र प्रेदश का या किसी एक प्रांत का सवाल नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर तमिलनाडु तक जो पूरा हिंदुस्तान का एरिया नॉर्थ और साउथ का है, उस में पिछले दो साल से कपास बिल्कुल नहीं हुई है। किसान ने कई-कई हजार रुपए एक-एक एकड़ में लगाए हैं, लेकिन किसी सरकार ने एक फूटी कौड़ी भी किसी रूप में नहीं दी है। महोदय, पिछले साल बे-मौसम बरसात ने सारे देश की पूरी फसलें तबाह कर दी हैं। लेकिन एक कौड़ी की भी राहत किसान को नहीं दी गई।

उपसभाध्यक्ष जी, अन्त में, मैं एक फिकरा बोल कर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं यह कहता हूं कि किसान को लिबरलाइजेशन ने बुरी तरह से मारा है। आपने मार्केट फोर्सेज के जो भेड़िए हैं, उनके आगे इस देश के अनपढ़ किसानों को डाल दिया है उनके खाने के लिए, उनके भोजन के लिए। यह लिबरलाइजेशन क्या है मार्केट की? किस तरह की मार्केट फोर्सेज के आगे आप किसान को ले जाना चाहते हैं? किसान तो अंग्रेजी नहीं जानता, किसान अपनी मातृभाषा जानता है, अपनी रीजनल भाषा जानता है। आपका तो कोई कागज पत्र,

किताब, नोट एग्रीकल्चर का कोई है ही नहीं रीजनल भाषा में। आप क्या समझते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से आज किसान लड़ेगा, आज किसान उनका मुकाबला करेगा?

अन्त में, मैं यह बात कहकर खतम करता हूं कि आज ऐसी स्थिति है—

> जिस खेत से देहकान को न हो रोजी मयस्सर।
> उस खेत के खौशा-ए-गंदुम को जला दो।।

अगर आप यह चाहते हैं तो वह दिन भी दूर नहीं है। इस चेतावनी के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। जयहिंद।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the statement of the Minister gives details about the deaths and the remedial measures that have been taken by respective State Governments but I fail to understand the basic problems which agriculturists are facing which resulted in deaths in Andhra Pradesh and other places. They have not been dealt with in the statement. Sir, there are two sectors; one is the organised sector and the other is unorganised sector. In agriculture, either there are owners of the land or labourers. The agriculture comes under unorganised sector. There is no organisation to protect the interests of agriculture whereas in the organised sector there are forces, there are organisations which protect their interests. Most of the Members in this august House could be hailing from agricultural families. Even the Agriculture Minister is from an agricultural family. While approaching this issue there should be a humanistic tendency. There is a saying in Tamil which is translated as: If the accounts of an agriculturist were to be taken into account, even a small stick used to drive plough and bull will not be saved. Such is the position of agriculturists. Agriculturists of India are born in debt, live in debt and die in debt and that position is still there. Agriculturists, whether small or big have no protection. Of course, big can have some leverage or some protection in other ways but the small farmer has no other source of income except a small part of land of one or two acres. The entire family depends upon that land and they have to involve themselves for ploughing the land, sowing, seedling, fertilizing and for pesticides till a crop is grown fully, for four months. He has no other source of income. He will have to depend on the harvest of the crop. If at all he gains anything, he will have to save it for the entire year. He will have to store it and if there is some excess, he can sell it. When there is excess, he has to sell it in the free market whether there is a proper price or not. I would like to say, Sir, that so far as Southern part is concerned, paddy is grown and so far as Northern part is concerned, wheat is grown. Providing subsidy or price fixing authority is lying with the Central Government.

3. P.M.

When they fix the prices of paddy, the fix low prices, whereas, I am given to understand, subject to correction, high prices are fixed for wheat which is grown in the northern parts of the country. That dioscrimination has to be removed. The power of fixing the prices has to be given to the States also. Otherwise, this discrimination will permeate from place to place. Sir, in our nation food and water are the two primary things for man's living and the agriculture covers this area. What is the protection given to the agriculturists? No protection is given at all and the man has to rise and fall himself. This statement has come only when 300 or 400 people have committed suicide. Why had there been deaths? It is only because of the defective seeds. So far as cotton is concerned, defective seed has been supplied. Who has supplied it? Who has certified that it is a standard seed? It is only the Central Government and there is a Department of the Government which has certified that this is a seed of good quality. This seed has been purchased at the highest price. This

seed has been grown. The plants have grown but there is not flowering at all. This has resulted in so many deaths. I would like to submit that in our State Tamil Nadu there are three areas, namely, Madurai, Theni and Dindigul where cotton is grown. In these areas people used this seed and the plants grew, but there was no flowering. Why is it so? It is only because of the defective and worthless seed which has been supplied to the farmers there. What are the steps which the Government is going to take in this regard? I would like to know whether the Government is going to penalise or punish those persons who have

supplied this seed. If there is no check on such things, what will be the fate of the agriculturists in this country? Sir, I can say that this adds to the indebtedness of the farmers also. They have to depend upon banks for finances. The banks are not giving loans at the appropriate time. The procedure for getting loans is such a rigmarole that they do not get the loans in time for the seedlings and other things. As a result of this they have to approach the money-lenders. As far as finance is concerned, there is no control over finance and three or four persons join together and start a finance company. They charge exorbitant rates of interest, between 36 and 50 per cent. The farmers take loans from them for two or three months. If any farmer is not able to repay his loan, they do not go to court even though they have got pronotes and other documents. They depend on muscle power. They would go to the agriculturist and beat him. They drag him out and put him to shame. The ladies are also put to shame. Their vessels are taken away and their sale deeds are also taken away by coercion. In this way, they take away their land. So, this is the plight of the agriculturists. Is there any legislation for controlling these private money-lenders and private financiers who are charging so exorbitantly? There is no legislation at all. How are you going to save these people? Our country is basically an agricultural country which has got the potentialities for producing more food-grains. But now nobody is willing to go in for agriculture. Everybody is leaving his village and land. They are moving to urban areas where even a small shop-keeper can earn Rs. 100 to Rs. 200 a day. A person who is having even ten acres of land is not able to save anything and he is suffering like anything. What would be the fate of those people if there is drought or flood? It is said here that a moratorium has been granted. It has been re-scheduled. It has been spread over for two years and this can be recovered after two years. Do you mean to say that for the second year there will be a double crop? Sir, once a person incurs a debt, he is not able to repay it at all. I appeal to this Government, through this august House, that there should be a complete waiver of loan, whether it is Government loan or loan from co-operative departments or loan through any other source. If there is a dreadful situation due to drought or floods, there should be a complete waiver of loan. I can say with pride that my leader, Dr. M.G.R., had waived Rs. 400 crores of loans in spite of objection from the Central Government, NABARD and the Reserve Bank of India. Even my leader, Puratchi Thalaivi, waived Rs. 180 crores of loans. So, there should be a complete waiver of loan. Otherwise, we cannot save these agriculturists at all. Then, what is that we are giving? Many hon. Members have referred about the supply of pesticides which are banned by other countries, seeds and other things which are substandard and defective and dumped in India. They are not protected at all. So, I say, there should be protection to them. Sir, here I would like to add one thing. The same situation has arisen in our Tamil Nadu also. As a matter of fact, I would like to say one thing. So far as interest is concerned, when one borrow loan from a bank, they add interest. If that amount is not re-paid within a particular time, a penal interest is added. Now, both interest and penal

interest are added to the principal then again interest and penal interest. This will go on. The banks and other institutions cannot be equated even to an *eetti wala*. Even they have some humanitarian consideration. These banks do not really have any humanitarian consideration. If a person borrows Rs. 1,000 and if he is not able to re-pay that amount within about 3 years, 4 years or 5 years, it comes to Rs. 10,000. where can he go? So, the rate of interest and the pattern of fixing the interest and the penal interest provisions are to be removed completely. The hon. Minister has said that for small farmers the rate of interest is about 4%. I think, that also has to be reconsidered. Of course, there may be some marginal difference with reference to small farmers and big farmers. I appeal, once again, that the system of charging penal interest and adding that to the principal has to be removed completely?

I would like to say one more thing about sugar industries. Sugar-cane to sugar industries is supplied by agriculturists. The problem is, they do not pay the price even for one year. For example, the Aruna Sugars in the South-Arcot district, even after supply of sugar-cane by agriculturists with all difficulties, they did not pay the price for one year. They borrow monies from banks and in the agreement they put a stipulation that within 15 days the amount has to be paid. If the amount is not paid in time, they charge interest. But, these sugar industries do not pay the amount. That is the whole problem. This is the position of industry. This is the pathetic conditions in which agriculturists are living. The rate which is given for the sugar-cane is very low and in Tamil Nadu we have been demanding to pay Rs. 1,000 per tonne. That has not been done.

My last point is, recently our party, the AIADMK, had launched a protest rally before all the district collectors' offices. The demand is, the State Government has announced that in the case of drought and other things, tax and other things will not be collected. In spite of the order by the hon. Chief Minister, the land tax and the house tax have been collected. That has not been refunded at all.

We raised this point. We organized a rally also demanding that the Tamil Nadu Government should return that amount which has been collected by them. But, that has not been done. The AIADMK has been taking full interest in this regard, but what can we do? We are not in power in Tamil Nadu. The Central Government is also not coming to the aid of the agriculturists. Some legislation should be passed by the Central Government to save the dying agriculturists. Thank you.

**श्री संजय निरूपम:** उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार और इस साल के पूर्वार्द्ध में हमारे देश में फसलों की बरबादी के कारण तकरीबन 400 किसानों ने आत्महत्या की। दुर्भाग्यवश उसमें महाराष्ट्र के भी कुछ किसान थे। किसानों की इन आत्महत्याओं के लिए अगर हमने किसी सरकार को या किसी दल को जिम्मेदार ठहराया तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय समस्या का बड़ा सटीक आकलन होगा। किसानों ने जो आत्महत्याएं कीं उसके दो महलू हैं। पहला तो फसलों की बरबादी हुई और दूसरा कर्ज का जाल था, उन पर कर्ज का बोझ बढ़ा। फसलों की बरबादी के कई कारण थे हमारे देश में। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई, कहीं बे-मौसम बारिश हो गई और कहीं बारिश के नाम पर पत्थर गिरे-ओलावृष्टि हुई, कहीं पेस्टिसाइड्स से नुकसान हुआ। मैं विशेषकर महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो फसलों की बरबादी हुई वह बे-मौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुई और उस बे-मौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण महाराष्ट्र में विशेषकर विदर्भ में तकरीबन 13 हजार गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हुए। इस प्राकृतिक आपदा से साढ़े चार लाख हेक्टेयर खेती की जमीन प्रभावित हुई है और हमारे विदर्भ में 20 लाख किसान इस बरबादी से प्रभावित हुए हैं। बरबादी इतनी भयानक थी कि इसकी भरपाई करना किसी भी राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। मेरे पास आफिशियल नहीं लेकिन एक अनधिकृत सूचना है, अनधिकृत सर्वे है, उस सर्वे का कहना यह है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पिछले साल और इस साल के पूर्वार्द्ध में जो फसलों की बरबादी हुई है उसका आंकड़ा तकरीबन तीन हजार करोड़ है। किसानों के घर टूट गए, किसानों की फसलें बरबाद हो गईं, किसानों के पाइप टूट

3915/2S-F-94

गए जो खेतों में वाटर सप्लाई करने के लिए प्लास्टिक के पाइप होते हैं वह भी टूट गए। ऐसा तकरीबन तीन हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि तीन हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई कोई भी राज्य सरकार या महाराष्ट्र सरकार कर सकती हो? फिर भी हम लोगों ने किसानों की इस बरबादी की भरपाई करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कैसे किया। बावजूद इसके कि दुर्भाग्य की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार को किसान विरोधी कहा गया। हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कहा गया कि यह किसान विरोधी है, किसानों के प्रति इनके मन में सम्वेदना नहीं है। लेकिन तथ्य कुछ और है। महोदय, हम लोगों ने विदर्भ के किसानों को जिनकी फसलें बरबाद हुई उन्हें एक हेक्टेयर पर एक हजार रुपए का भुगतान किया मुआवजे के तौर पर। इससे पहले 80 के दशक में जब इसी तरह की आपत्ति आई थी, इसी तरह की प्राकृतिक आपदा आई थी तब उस समय की सरकार ने सौ रुपए प्रति हेक्टेयर दिया था। हम पर आरोप लगाया कि आपने घोषणा कि एक हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें 300 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए के चैक दिए गए। इस सदन में भी एक चैक प्रस्तुत किया गया था 350 रुपए का। मुझे लगता है कि इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हमारी सरकार ने घोषणा की थी एक हजार प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक हेक्टेयर में खेती नहीं की थी, कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने सिर्फ एक हेक्टेयर में खेती की थी, कई ऐसे किसान है जिनकी एक एकड़ की सारी फसलें बरबाद नहीं हुई थीं उसकी कुछ परसंटेज बरबाद हुई थी और उस हिसाब से जब काउंट किया गया, जब हिसाब-किताब लगाया गया तो किसी को 300 रुपए का चैक मिला, किसी को 50 रुपए का चैक मिला, किसी को डेढ़ सौ रुपए का चैक मिला। इससे पहले की जो सरकारें थीं हमारे जो विपक्ष के लोग हैं महाराष्ट्र में आज, जब वहां उनकी सरकार थी 80 के दशक में और जब इस तरह की आपदा आई थी तो बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्हें 8 रुपए और 5 रुपए के चैक दिए गए थे।

हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते। महाराष्ट्र सरकार ने, मैं यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ मुआवज़े के तौर पर किसानों को 112 करोड़ रुपए दिए थे, वे सारे बांट दिए गए किसानों को और पिछले साल के कर्ज़ का जो सारा ब्याज था 1997-98 का, वह सारा ब्याज माफ कर दिया गया। तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए का बोझ हमारे ऊपर आया। पिछले साल जो फसलों की बरबादी हुई, उसके लिए आम तौर पर महाराष्ट्र में नॉर्म्स इस तरह के हैं, एक ऐसी कसौटी बनाई गई है कि जब तक 75 फीसदी फसल की बरबादी नहीं होगी तब तक मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा लेकिन हमारी सरकार ने इस कसौटी को चेंज किया और कहा कि जिन खेतों में 50 फीसदी फसलों की बरबादी हुई है, उन किसानों को भी हम मुआवज़ा देंगे। यह हमारी सरकार की, जो किसानों के प्रति संवेदना की बात है, उसका मैं एक सुबूत रख रहा हूं। पिछले साल किसानों की जो बरबादी हुई, इस आधार को देखते हुए हमारी सरकार ने किसानों से राजस्व वसूली पूरी तरह रद्द कर दी है, पिछले साल का राजस्व उनसे नहीं लिया जाएगा। अब उनके लोन री-शेड्यूल करने की बात हो रही है। हमारी सरकार ने लोन्स को री-शेड्यूल किया है। विदर्भ के तमाम किसानों को मुफ्त में बीज दिया जा रहा है, बीज दिया जा चुका है और बुवाई भी शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या यह जो भरपाई की गई है, यह पर्याप्त है? मेरा मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है। हमारी सरकार का भी मानना है कि यह भरपाई पर्याप्त नहीं है । हमें केन्द्र सरकार से इसके लिए मदद चाहिए थी, मदद नहीं मिली। सोमपाल जी ने अपने बयान में बताया है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई एडीशनल असिस्टेंस देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई लेटर नहीं आया है। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकर को इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा प्रदेश है जहां केन्द्र सरकार की कोई टीम नहीं गई। सोमपाल जी जवाब देंगे हमें कि आपकी सरकार का कोई अनुरोध नहीं आया था। मुझे लगता है कि अनुरोध के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब गुजरात में कांडला पोर्ट पर इतना बड़ा तूफान आया तो वहां केन्द्र सरकार ने इंतज़ार नहीं किया गुजरात सरकार की रिक्वेस्ट का। यहां से सरकार गई, आडवाणी जी गए वहां पर और उन्होंने प्रत्यक्षदर्शन किए उस तबाही के। उसके बाद जितनी सहायता हो सकी, की। मेरा भी यह कहना है कि बिलकुल इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी एक सेंट्रल टीम भेजी जानी चाहिए थी बगैर इस बात का इंतज़ार किए कि वहां की राज्य सरकार कुछ अनुरोध करे। मैंने अखबारों में पढ़ा था पिछले दिनों कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक हफ्ते में दो सौ करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की।

[उपसभाध्यक्ष महोदय (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसका विकास नहीं हुआ है, उसका विकास होना चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश के खिलाफ नहीं हूं, उसके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं लेकिन बिलकुल इसी तरह मैं केन्द्र सरकार से अपेक्षा कर रहा था कि महाराष्ट्र को उसके किसानों के ज़ख्म भरने के लिए कम से कम सौ करोड़ की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी। मैं सोमपाल जी से पूछना चाहूंगा कि अब तक कितनी सहायता दी गई है इस आपदा कोष से? क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि किसानों के पिछले साल के सारे कर्ज़ माफ कर दिए जाएं जब फसलों की बरबादी हुई। क्योंकि जब फसलों की बरबादी हुई तो कोई आमद नहीं थी किसानों की और जब आमद नहीं है तो जो कर्ज़ है, उसको लौटाया नहीं जा सकता। और क्योंकि उस कर्ज़ को लौटाया नहीं जा सकता और वे कर्ज़ के एक जाल में फंस गए हैं और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, तो हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि कर्ज़ माफ किया जाए लेकिन राज्य सरकार एफोर्ड नहीं कर सकती है। कर्ज़ें को माफ करने में तकरीबन साढ़े तीन-चार सौ करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ रही है और कोई राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि साढ़े तीन-चार सौ करोड़ अपनी तरफ से दे। तो हमारी अपेक्षा थी कि केन्द्र सरकार कर्ज़ माफ करने के लिए साढ़े तीन करोड़ के आसपास महाराष्ट्र सरकार को दे। मुझे लगता है कि यह सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी जहां फसलों की बरबादी हुई प्राकृतिक आपदा के कारण, उन राज्यों से भी पूछा जाना चाहिए कि उन्हें कर्ज़ माफ करने के लिए कितना पैसा दिया जाना चाहिए? यह सिर्फ इस बार की आपदा की बात नहीं है, न यह पहली आपदा है न आखिरी आपदा है। मुझे लगता है कि यह आगे भी आती रहेगी, इससे पहले भी आती रही है। जब तक हम प्रकृति पर निर्भर करेंगे, जब तक हम नेचर पर निर्भर करेंगे तब तक इस तरह की आपदाएं, इस तरह की कैलेमिटीज़ आती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं हमारे देश में, विशेषकर किसानों के लिए, किसानों के समक्ष खेती के ऊपर, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच एक सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वह सही कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, किसी राज्य ने कुछ घोषणा कर दी, किसी ने कुछ घोषणा कर दी। कुछ राज्यों ने अलग-अलग जो मेज़र्स दिये हैं, जो अलग-अलग किसानों के लिए राहत के इंतजाम किए हैं, किसी राज्य ने कुछ इंतजाम किये हैं, किसी ने कुछ इंतजाम किये हैं, मुझे लगता है कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए और केन्द्र सरकार को इसमें पहल करके इनीशिएटिव लेते हुए यूनीफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम कहते हैं कि किसान यहां का राजा है लेकिन जब राजा आपत्तिग्रस्त होता है तो सारी जिम्मेदारी मैं देखता हूं कि राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी जाती है। केन्द्र अपने आपदा कोष से थोड़ा बहुत देकर अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। मुझे लगता है कि कृषि प्रधान देश का यह चरित्र नहीं हो सकता है। हमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। पिछले पचास साल से हम सुन रहे हैं, पचास साल से यह बात कही जा रही है। सोमपाल जी खुद किसान परिवार के हैं, किसान हैं। सचमुच उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए विशेष तौर से कोई नीति बनाई जाए, इवॉल्व की जाए ताकि भविष्य में हमारे किसानों के ऊपर कोई आपदा आए, कोई आपत्ति आए तो उससे निपटने के लिए राज्य सरकारें अकेली न पड़ जाएं। महोदय, हमेशा कृषि को स्टेट सबजैक्ट कहकर टाल दिया जाता है। मुझे लगता है कि यह सोच सही नहीं है। किसानों की चिंता सिर्फ राज्य सरकारों की चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता है। किसानों को उनकी आपत्तियों से निपटने के लिए, खेतों को उसकी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए और खेती के लिए कर्ज, बीज और खाद मुहैया कराने के लिए समन्वित कार्यक्रम की जरूरत है और वह समन्वित कार्यक्रम उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है। महोदय, हमारा विषय आत्महत्याओं का है। मैं आत्महत्याओं के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि मैं खुद विदर्भ के कुछ गांवों में गया था, मेरी पार्टी की तरफ से मुझे उन गांवों में भेजा गया था जहां किसानों ने आत्महत्याएं की थीं। जिन किसानों ने आत्महत्या की थी, जब मैं उनके घरों में गया, उनके परिजनों से मिला तो शायद इस देश का मैं अकेला सांसद रहा हूंगा जो एक ऐसे किसान के घर गया जिसने सुसाइड किया था, उसके पूरे गांव में जिसने एक दिन में पचास टन गेहूं बांटा। यह मेरी पार्टी की तरफ से मेरी पार्टी के प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे जी ने मुहैया कराया था। मेरी रिपोर्ट के आधार पर एक दिन के अंदर पार्टी की तरफ से पचास टन गेहूं उन्हें दिया गया था और कहा गया कि इसे वर्धा में बांटो। वर्धा का वह गांव है — धामन गांव। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि हमने सिर्फ शोर-शराबा नहीं किया, हमने राजनीति की बात नहीं की, हमने गंभीरतापूर्वक किसानों के दुख को शेयर करने की

कोशिश की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया। महोदय, आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण होती है, किसी की भी आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण होती है और किसान अगर हमारे देश में आत्महत्या कर रहा है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन आत्महत्याओं का राजनीतिकरण किया गया। हमारे जो विपक्ष के साथी थे, उन्होंने सिर्फ शोर-शराबा किया, उन्होंने कभी भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद किसानों को ज्यादा राहत मिलती। मैं कुछ आत्महत्याओं के बारे में यहां पर बताना चाहता हूं। बहुत सारी ऐसी आत्महत्याएं थीं, जो किसानों ने कर्ज के कारण या फसलों की बर्बादी के कारण नहीं की लेकिन उसे भी कहा गया कि किसान ने आत्महत्या कर ली। महोदय, जिन किसानों ने आत्महत्या की, मैं उनकी समस्या को कम नहीं आंक रहा हूं, उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, उनका अपमान नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि विदर्भ में महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के एक इम्पलॉई ने, जिसकी सैलरी 5000 रुपये थी, उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। उस व्यक्ति के सुसाइड के बाद सारे अखबारों में छपवाया गया कि किसान ने आत्महत्या कर ली है। वह किसान नहीं था, उसके पास खेती थी ही नहीं। इसी प्रकार वर्धा के एक सांसद के घर एक व्यक्ति नौकरी करता था, उसका कर्मचारी था। उसने सुसाइड कर लिया। उसे भी कहा गया कि किसान ने सुसाइड कर लिया। मैं एक गांव में गया था—दहे गांव मिस्किल वहां तो राज्य सरकार ने एक लाख रुपये का मुआवजा भी दे दिया—उस गांव में, उस किसान के घर में। लेकिन जिस किसान ने आत्महत्या की, उस किसान के पास जमीन थी ही नहीं। उसने कभी खेती की ही नहीं थी। बावजूद इसके कि जब रिपोर्ट आयी तो राज्य सरकार ने सोचा कि इस कंट्रोवर्सी में पड़ने के बजाय इसे मुआवजा दे दो और उसे मुआवजा दे दिया गया। मैं उस गांव का नाम भी बता रहा हूं—दहे गांव मिस्किल और उस व्यक्ति का नाम कांबले था। यह सब इसलिए किया गया कि जान-बूझकर राज्य सरकारों के खिलाफ किसानों की भावनाएं भड़काई जा रही थीं। राज्य सरकारों को बदनाम करने के लिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have one submission to make. This is a Calling-Attention Motion. Let only clarifications be sought. He need not do the public relations job on behalf of the Maharashtra Government.

**श्री संजय निरूपम:** इससे पहले आप लोग अपना सबमिशन नहीं दे रहे थे। इससे पहले भी सारी बातें हो रही थीं, तब आप कुछ नहीं बोल रहे थे।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** अब आप समाप्त करिए।

**श्री संजय निरूपम:** महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि यह प्रश्न मानवीयता से जुड़ा हुआ है। इसमें राजनीति को न लाया जाए। अगर राजनैतिक लड़ाइयां लड़नी हैं तो वह लड़ने के लिए बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लड़ी जाएं। कम से कम किसानों को राजनीति से दूर रखा जाए। जहां तक क्लैरीफिकेशंस की बात है...

मुझे तीन-चार बातें पूछनी हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): हां, आप पूछ लीजिए।**

**श्री संजय निरूपम:** मुझे माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री सोमपाल जी से पूछना है कि महाराष्ट्र बावजूद इसके कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है क्यों कोई सेन्ट्रल टीम भेजने का इरादा रख रहे हैं? अभी भी उनके मन में कोई ऐसी इच्छा है कि कोई सेन्ट्रल टीम वहां पर जाए और देखें कि वहां के हालात कैसे हैं और राज्य सरकार की कैसे मदद की जा सकती है?

दूसरा, मेरा कहना था कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पर्याप्त नहीं हुई है इसलिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरफ से और अधिक आर्थिक मदद की अपेक्षा है फसल बीमा की जो योजना है वह बहुत दिनों से लटकी चली आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी उस योजना को पूरी तरह से अभी तक इम्पलीमेंट नहीं किया है, मेरे ख्याल से अभी तक शुरू भी नहीं किया है। उसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाए और सोचा जाए कि उस योजना को कैसे तत्काल लागू किया जाए और इसके बारे में कोई एक निर्णय लिया जाए।

विदर्भ में मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसानों से बात करके मैंने महसूस किया है कि जो वहां के कोआपरेटिव बैंक्स के जरिए किसानों को लोन मिल रहा है, जो कर्ज मिल रहा है, उस कर्जे पर उनके द्वारा चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है, कम्पाउंड इन्टरेस्ट लिया जाता है। इस इन्टरेस्ट के कारण एक काश्तकार कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपनी तरफ से, आरबीआई की तरफ से एक निर्देश जारी करना चाहिए कि कम से कम

किसानों से चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे दो-तीन क्लेरिफिकेशन पूछने थे। धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: श्री आज़म खान। आज़म खान साहब जिन लोगों के नाम पर नोटिस था वह सब बोल चुके हैं। हमारे पास अभी आठ-नौ और नाम बाकी हैं और वह स्टेटमेंट के आधार पर सिर्फ सवाल पूछेंगे।

**श्री मोहम्मद आज़म खान** (उत्तर प्रदेश): सर, मेरी पार्टी से कोई नहीं बोल सका है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: नोटिस नहीं दिया था।

**श्री मोहम्मद आज़म खान**: मैं लगभग सवाल ही पूछूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: हां, पूछिए।

**श्री मोहम्मद आज़म खान**: सर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि प्रधान देश में यह सवाल सदन में उठे कि किसानों को या कृषि से जुड़े हुए सवालों को राजनीति से न जोड़ा जाए और राजनीति के लिए बहुत से मुद्दे हैं तो यह सोच सही नहीं होगी। लगभग 76 प्रतिशत लोग जिस देश के किसानों से अपना जीवन गुजराते हों और किसान को अपनी लागत का सही मूल्य भी न मिल पाता हो तो ऐसे देश मे अगर किसान खुदकुशी करे, किसान आत्म-हत्या करे समझ में आता है।

**मैं जिस प्रदेश से आया हूं उस प्रदेश में और दूसरी प्रदेशों में यह एक बड़ी लम्बी लड़ाई है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले।** लाभकारी मूल्य कितना होगा? क्या उतना होगा जितना कोई होर्डिंग करने वाला, बड़ा व्यापारी सामान बेचने वाला या वह किसान जिसे वक्त पर बिजली न मिले, उसके खेत को पानी न मिले, खाद महंगा मिले, बीज महंगा मिले और उसकी उगाई हुई फसल का उसे सही मूल्य न मिले? यह बिल्कुल सच्चाई है। अगर हम उन आंकड़ों को इकट्ठा करें जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज तैयार करती हैं तो पता चलेगा कि किसान की कोई भी फसल ऐसी नहीं होगी जिस फसल में किसान को अपने बोये हुए माल का असल दाम भी वापस आता हो। जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह कृषि प्रधान देश है और यहां पर 76 प्रतिशत लोग कृषि से अपना गुजारा करते हैं, इसी से जीत है तो जाहिर है कि उनकी समस्याएं भी इसी से जुड़ी होंगी। उनके यहां बीमारी होगी तो दवा चाहिए, मौत होगी तो कफन चाहिए, बच्चा होगा तो उसकी खुशी के लिए पैसा चाहिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस चाहिए। ये सारे सवाल उसकी जिन्दगी के सवाल हैं। हर किसी को तालीम मिले, हर किसी को मकान मिले, हर किसी को भर पेट भोजन मिले, जिस्म छिपाने के लिए कपड़ा मिले, यह नारा सरकार का होना चाहिए बल्कि है भी यह नारा। लेकिन 76 फीसदी लोग जो पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं, उनके पास पहनने को कपड़ा न हो, उनके पास रहने को मकान न हो, उनके गांव की सड़कें भी आज तक बनी न हों, उनके यहां अस्पताल न हों, प्राइमरी सेन्टर्स न हों, उनके यहां औरत को बच्चा होने वाला हो तो अस्पताल में उसको दाखिला न मिले तो ऐसे हालात में जैसा हमारे साथी ने कहा कि बहुत से सवाल हैं, यकीनन बहुत से सवाल हैं जिन पर राजनीति की जा सकती है।

लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सत्ता से यह पूछने का पूरा हक है कि जहां और सवालों के साथ-साथ हमने सत्ता हासिल की वहां कितनी बार यह सोचा कि कितने लाख हैक्टेयर जमीन इस देश में ऐसी खाली पड़ी है जो बंजर है, बेकार है? कितने किसान ऐसे हैं, जिन्हें अपने बोए हुए माल का सही दाम नहीं मिलता है, जिसे हम लाभकारी मूल्य कहते हैं? लाभकारी मूल्य से हमारी यह मंशा नहीं है कि किसान को उसके द्वारा बोई हुई फसल का इतना मुनाफा दिया जाए जितना मुनाफा घी और तेल के बेचने वालों को मिलता है बल्कि लाभकारी मूल्य से हमारी मुराद यह है कि किसान को इतना दाम जरूर मिलना चाहिए कि वह अपनी मेहनत का खून पसीना बहाकर जमीन पर छिड़कता है और उससे फसल पैदा होती है। उससे सिर्फ उसका गुजारे भर का पैसा मिल सके।

यदि हम कुछ सूबों में जाएं, राज्यों में जाए तो आज भी यह पाते हैं कि महिलाओं के पास पहनने के लिए दूसरी साड़ी नहीं होती है। यदि दो महिलाएं नहाने जाएं तो वे एक साड़ी पहन लें और दूसरी साड़ी धो लें और दूसरी महिला इंतजार कर ले। अभी दो रोज पहले मैंने खुद न्यू देहली रेलवे स्टेशन पर यह मंजर देखा था कि ट्रेन से निकली हुई गंदगी से गेहूं और चने के दाने लोग खा रहे थे जबकि दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है और यहां सौ करोड़ इन्सानों का बादशाह रहता है। ऐसा मंजर कभी दस-बारह साल पहले किसी स्टेट में देखा था। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने और सवालात के साथ यह सबसे अहम सवाल जो देश की 76 प्रतिशत आबादी से जुड़ा हुआ सवाल है उसके बगैर देश की राजनीति नहीं हो सकती। लोग कब करते हैं, वे मौत का फैसला कब लेते हैं जब जिन्दगी के सारे दरवाजे बन्द हो जाते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि खुदकुशी बुजदिली का काम है। खुदकशी बजुदिली का काम नहीं है। खुदकुशी बहुत बहादुरी का काम है क्योंकि मरने से पहले उसको पता होता है कि उसके परिवार की बरबादी होगी, उसके मां-बाप, बीवी व बच्चों का क्या होगा? जिन लोगों ने खुदकुशी की है, जो लोग मरे हैं, जिन किसानों ने अपनी जान दी है, वह इसलिए दी है, वे इसलिए मरे है कि उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिला। उनकी बोई हुई फसल की उजरत उनको नहीं मिली और इत्तिफाक से जो हमारे कृषि मंत्री सरकार में हैं, ये इस पार्टी में आने से पहले एक अच्छे किसान भी रहे है और आज भी है जो कि एक अच्छी सोच भी रखने वाले रहे हैं, हो सकता है आज भी हो!

इन्हें किसानों की सभी समस्याएं मालूम थीं। लेकिन आज कितनी मालूम है यह नहीं कहा जा सकता।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: सवाल पूछ लीजिए, मालूम हो जाएगा।

**श्री मोहम्मद आज़म खान**: इसलिए सवाल तो सोच का है। सवाल सिर्फ आज पूछने से हल नहीं हो जाता।

**श्री संघ प्रिय गौतम** (उत्तर प्रदेश): मगर सूसाइड तो बहादुरी का काम नहीं है अगर बहादुरी समझे तो ...(**व्यवधान**)... बहुत मर जाएंगे किसान।

**श्री मोहम्मद आज़म खान**: सूसाइड के बारे में क्या फरमाया आपने?

**श्री संघ प्रिय गौतम**: सुसाइड आपने बहादुरी का काम बताया है तो फिर बहुत मर जाएंगे इसे बहादुरी समझकर।

**श्री मोहम्मद आज़म खान**: चलिए आपने सत्ता में आने के बाद किसानों का मजाक तो उड़ाया। मेरे हुए किसानों के प्रति सहानुभूति रखने के बजाए, आपने उन पर कम से कम मजाक तो किया।

**श्री रामदास अग्रवाल** (राजस्थान): किसानों के मजाक का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं....(**व्यवधान**).... हम किसान की ...(**व्यवधान**)... नहीं दे रहे हैं बल्कि जिसने जिस प्रकार के शब्द कहे उनको हम ठीक करने की बात कर रहे हैं।

**श्री मोहम्मद आजम खान**: यह उपलब्धि आपकी हुई, आपको किसानों से हमदर्दी हो न हो आपकी हमदर्दी तो उनसे होगी जिनके रहते आज 64 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 72 रुपए किलों तेल और 54 रुपए किलो थी बिक रहा है। आपको किसान वर्ग से हमदर्दी न थी, न है और न होनी चाहिए। यह पूरा देश जानता है और पूरे देश में आज इसे लेकर बड़ी बेचैनी है। शुतुरमुर्ग अपना मुंह रेत में देने के बाद अगर यह समझे कि मैं महफूज हो गया तो रेत में मुंह देने के बाद शुतुरमुर्ग कभी महफूज नहीं हो जाता। देश की बढ़ती हुई महंगाई और भुखमरी के बाद अगर आप यह समझते हैं कि किसानों की समस्या, उनकी मौत, खुदकुशी हंसने के लिए है तो इसी सवाल को इस सदन के सामने और मंत्री जी के सामने रखकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, I will make only a few points.

Firstly, I submit that the pilot crop insurance scheme should be introduced throughout the country.

Secondly, the amount of the Central share in the earlier crop insurance scheme has not yet been sent to the State Government of Orissa, as a result of which the farmers of Orissa are not getting the benefit, although they have the insurance cover.

Thirdly, in 1997-98, there was seeds scam. Two companies from Andhra Pradesh had sent seeds viz. Shankar seeds. The cultivators had sown it and they incurred a huge loss. This seed was purchased from the National Calamity Relief Fund. So, I want to know from the hon. Minister very affirmatively whether the Shankar seed that was supplied by the Andhra firm was a genuine firm and whether the quality of seed was good or not.

There has been a demand from the people of Orissa that a Central team should be deputed to Orissa to verify the quality of seeds that were supplied and losses incurred by the cultivators as a whole. I would like to know from the Minister about this thing also.

So far as agricultural infrastructure is concerned, I would request the hon. Minister to give a priority to this thing also.

This is my submission. Thank You.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Yerra Narayanaswamy, you should also seek clarifications like Mr. Sanatan Bisi.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, he is the only Member from Andhra Pradesh who is participating in this debate. Kindly give him some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): All those Members who have given notice for the Calling Attention have been given sufficient time to speak. They have even delivered lectures. Those Members whose names are not there in the notice for the Calling Attention will be allowed to seek clarifications or put questions. If you want to speak more, you should have given a notice. We have certain rules to follow.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, this morning I had requested the Chairman to include the name of a Member from my party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): All the names which have been included in the notice list are being called.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is very sad and disheartening to note that 300 farmers, mostly from Andhra Pradesh, some from Karnataka and some from Maharashtra have committed suicide due to total crop failure and due to indebtedness. In our country our agricultural crops depend upon the vagaries of the monsoon. Our agricultural crops are affected due to natural calamities like cyclones, drought, floods hail-storms. All these natural calamities are creating havoc and causing huge losses to the farmers.

Sir, in Andhra Pradesh, most of the cotton farmers have committed suicide. In some parts of Andhra Pradesh, there are unusual rains, in some parts there are hail-storms, in some parts there is drought. Due to these natural calamities the cotton crop has been damaged. The cotton crop also has been damaged due to severe pest. To control the pest, farmers have used pesticides and insecticides which they have purchased from unscrupulous traders. These pesticides and insecticides were adulterated and they were spurious. The Government of Andhra Pradesh has requested the Central Government to suitably amend the Insecticides and Pesticides Act because insecticides and pesticides supplied by the traders were spurious. When the farmers used the inferior quality of insecticides and pesticides, most of the cotton crop, chilli crop and tobacco crop got damaged. That is why I would request the hon. Minister to include all the crops in the crop insurance scheme. I would request the hon. Minister to bring in a legislation for a comprehensive crop insurance scheme. The present insurance scheme is limited to only crop loans. So, this scheme must cover all the food crops, commercial crops, including cotton, tobacco and chillis.

The Government of Andhra Pradesh has done its best to provide assistance to the families of the deceased farmers. It is very unfortunate that some Members here have objected to our providing relief to the families of the deceased farmers. Of all the States, only the Government of Andhra Pradesh has provided most of the relief to the deserving families without asking for the Central Goverment assistance. According to paragraphs 3 and 4 of the statement of the hon. Minister, the Andhra Pradesh Government has given temporary relief. What I demand is that sufficient credit must be given to the farmers for all the crops. The credit given by the banks or rural banks or cooperatives is not sufficient and that is why the farmers are going to money-lenders. The money-lenders are levying huge interest rates. I request the hon. Minister to give sufficient credit facility. There should be one Crop Insurance Scheme for all crops. In respect of the

Central Insecticides Act and the Central Seeds Act, corrective measures must be taken. Thank you.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to add one point to what my colleague said.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): There is a list here.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: The hon. Minister is here. I would like to add this point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Rajkumar, we have a list here. I will go by the list. After the names in the list are over, you can make your point. Now, Mr. Ahluwalia.

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में आया है, जिस पर हम बहस कर रहे हैं। वैसे तो हम गर्व से कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है पर वह देश कभी बाढ़ से, कभी सूखा से, कभी पाले से और कभी ओले से ग्रसित हो कर इस अवस्था में पहुंच जाता है कि जब किसान को आत्म-हत्या करने का निर्णय लेना पड़ता है। किसान हमारा अन्नदाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपना बयान पढ़ कर सुनाया, उससे यह महसूस होता है कि शायद कुदरत ने, प्रकृति ने ही कुछ प्रकोप किया जिसके कारण यह सब कुछ हुआ है। महोदय, प्रकृति तो ऐसा प्रकोप करती आई है किन्तु मैं समझता हूं कि इस सामाजिक जीवन में सब से बड़ा प्रकोप तब होता है जब एक आदमी कर्ज लेने के लिए मजबूर होता है। मैं समझता हूं कि युग-युगांतर से जब किसान कर्ज लेता था और कर्ज देने वाला उससे सूद वसूल करता था और सूद के नाम पर, मूल के नाम पर जब वह चुका नहीं सकता था या जब कर्ज लेने जाता था तो कभी उसकी गाय, कभी उसका बैल, कभी उसका हल, कभी उसका घर, कभी उसकी जमीन, कभी उसके बच्चे को बंधुआ रख लिया जाता था, बच्चे और परिवार के सदस्य बंधुआ मजदूर हो जाया करते थे और अंत में जब और जरूरत पड़ती थी तो किसान को अपनी बहु और बेटी को भी बंधुआ रखना पड़ेगा तो वह मजबूर हो कर आत्म हत्या करता था। यही कारण है कि भारत में साधु, संत, महात्माओं और पैगम्बरों ने अपने धार्मिक कोड आफ कंडक्ट में यह लिखा कि सूद की कमाई खाना या सूद पर पैसा देना दोनों अपराध हैं। यह इसलिए किया गया था कि सब से बड़ा जघन्य अगर कोई अपराध है तो वह सूद की कमाई खाना है। महोदय, इस्लाम धर्म में सूद पर पैसा देना अपराध है, सिख धर्म में सूद पर पैसा देना अपराध है, बिश्नोई धर्म में सूद का पैसा खाना अपराध है, जैन धर्म में सूद का पैसा खाना अपराध है, बुद्ध धर्म में सूद का पैसा खाना अपराध है। पर वैसे लोग भी धर्मावलम्बी हैं जो इस चीज़ पर अभ्यस्त हैं क्योंकि हम दुर्नीतियों की तरफ जुड़े हैं। मैं कहता हूं कि यह परम्पराएं क्यों बनाई गईं? आज उसी मोड़ पर हम फिर खड़े हैं। उस वक्त तो समाज में परिवर्तन करते थे बड़े बड़े धार्मिक लोग, बड़े बड़े साधु, संत लेकिन आज गणतान्त्रिक देश में उस राज्य या राष्ट्र की सरकार होती है, वह ही ऐसे परिवर्तन ला सकती है। हमने पश्चिमी बंगाल में देखा और आन्ध्र प्रदेश में देखा जब नक्सलवादियों ने आवाज़ उठाई, सूदखोरों को पकड़ पकड़ कर, घर से खींच खींच कर, उनका खून करने लगे। उसका जब अत्याचार चल रहा था या पीपल वार ग्रुप जिसे कहते हैं यह पीपल वार ग्रुप के या नक्सलवादियों ने जब नक्सलबाड़ी में गोपीवल्लभपुरम में अपना आन्दोलन शुरू किया।

श्रीकाकुल्लम में नक्सलबाड़ी में जब आंदोलन शुरू हुआ तो वहां कौन लोग थे? उनके मेन मुद्दे क्या थे? ये मुद्दे वही थे। महोदय, उनके आंदोलन को तो राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर कुचल डाला गया। पर उसके परिवर्तन में, उसके जो मेन इश्यूज थे, जिन इश्यूज को लेकर ये आंदोलन खड़े हुए थे, वे इश्यूज वैसे के वैसे पड़े रहे। पिछले 50 वर्षों में जो सपना हमारे पूर्व पुरुषों का था, जिन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और जिन्होंने एक आजाद भारत में हर एक गरीब की आंखों के आंसू पोंछने की कसम उठाई थी, शपथ ली थी, आज हम उससे वंचित हैं। आज भी हम उसको इसी तरह नकार देना चाहते हैं कि मानसून ठीक तरह से नहीं आया या पाला पड़ गया या ओला पड़ गया या अतिवृष्टि हो गयी या अनावृष्टि हो गयी। महोदय, इसकी शुरुआत कब हुई? इसके पहले जब तक फिफ्थ फाइव इयर प्लान्स शुरू नहीं हुए थे, उसके पहले हमारे देश में वर्षा पर ही निर्भर करके खेती हुआ करती थी। इरीगेशन सिस्टम जब फिफ्थ फाइव इयर प्लान्स शुरू हुए, जब ब्रिटिशर्स आए, वेस्टर्न कन्सेप्ट हमारी कंट्री में आया उसके बाद आया। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले हमारे देश में वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके बादल मंडराया करते थे। हवन कराकर बारिशें की जाती थीं और खेती हुआ करती थी। आज भी गांवों का किसान पंचाग देखता है। किस नक्षत्र में किस महीने शुरुआत हुई है उस नक्षत्र के हिसाब से वह बीज की

रोपाई करता है। आज भी हमारा मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट वह चीजें उपलब्ध नहीं करा सकता है। उनको यह नहीं बता सकता है कि इस बार किस चीज की फसल अच्छी होगी और किस चीज की खराब होगी। आज भी गांवों में किसान इंतजार करता है उसी पंचाग की जिस पंचाग का जिस पंचाग को आज हम लोग नकार रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने उसको चेलैंज किया हुआ है कि नहीं हमारा पंचाग अलग है — वह मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट जो कहता है। तो मेट्रोलाजी डिपार्टमेंट ने यह क्यों नहीं बताया कि इस बार ओला वृष्टि होगी? मेट्रोलाजी डिपार्टमेंट ने या हमारे अनुसंधान कार्यों ने या वैज्ञानिकों ने यह क्यों नहीं बताया कि जो पाकिस्तानी वायरस है — जो पिछले 4 वर्षों से हमारी कपास की खेती को खा जा रहा है — उस वायरस से बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, कौन-सा पेस्टिसाइड हमें यूज करना चाहिए। उसके लिए अनुसंधान करने की जरूरत है।

मैं समझता हूं कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है जहां 96 करोड़ लोग हैं उन 96 करोड़ लोगों को खाना देने के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं और लोगों के लिए भी, किसान उपज करता है। मुझे याद है वह दिन जब पी० एल०-480 आई थी। उस पी० एल०-480 के साथ में एक मन्की ग्रास का बीज भी आ गया था। तो हिंदुस्तान के किसानों ने कसमें खाई थीं — पंजाब और पूरे उत्तर भारत के किसानों ने कसमें खाई थीं कि आइंदा हम ऐसा गेहूं बाहर से नहीं लाएंगे। हम इतना उत्पादन करके दिखाएंगे जो कि सारे विश्व में जाया करेगा। आज वह सारा सपना चकनाचूर हो रहा है। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूं कि आज हम उसकी तलाश में न बैठें कि कोई धर्मगुरू आएगा, कोई पैगम्बर और महात्मा आएगा जो हमें इन दुर्नीतियों से बचाएगा या इन कमजोरियों से निकालकर बाहर लाएगा। जब हम गणतांत्रिक सरकार चला रहे हैं तो उस सरकार के निर्णय ऐसे होने चाहिए जहां पर हम उनको सुरक्षा दे सकें। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखकर सरकार ने फैसला लिया था कि किसानों की कमाई पर इन्कम टैक्स नहीं लगाएंगे। किंतु मंत्री महोदय क्या आप बता सकते हैं कि वह इन्कम टैक्स एक्जैम्पशन किनको हासिल है? बड़े किसानों को! आज बड़े किसान महाजन बन गए हैं। वे एन्ट्री बांटते हैं। व्हाइट मनी की एन्ट्री बांटते हैं बड़े किसान! किंतु जो छोटे और मंझोले किसान हैं जो गरीब हैं जिनको दो जून की रोटी नहीं जुटती उनके बारे में हमने क्या एक्जेम्पशन किया है, यह सोचने की जरूरत है। कहने को तो कहा जाता है कि कोई न कोई राज्य मुफ्त में बीज बांटता है। लेकिन बीज कहां बांटते हैं? कौन-से बीज बांटते हैं? क्या वे उत्तम श्रेणी के बीज होते हैं? जो उत्तम श्रेणी के, ज्यादा यील्ड दे सकें, वैसी श्रेणी के बीज होते हैं? नहीं! कहते हैं खाद बांटी जाती है सब्सीडाइज्ड रेट पर। क्या वह उत्तम श्रेणी की खाद होती है? पेस्टिसाइड्स क्या उत्तम श्रेणी के होते हैं? अगर वे होते तो यह टिड्डियों का दल जो पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान की कपास की खेती को बरबाद कर रहा है यह बरबादी कभी नहीं होती। पर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमें सूरत से सीखना चाहिए था। सूरत में जब प्लेग फैला, जब चारों तरफ से इंक्वायरी होने लगी तो उस इंक्वायरी में यह भी उपलब्ध हुआ था कि कोई विदेशी ताकत तितलियां लेकर आई थी और उन्होंने तितलियां छोड़ी थीं। उन तितलियों से वायरस फैला था। इन चीजों पर रोक लगाने के लिए हम क्या सोचते हैं?

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** आप मंत्री जी से सवाल पूछ लीजिए।

**श्री एस० एस० अहलुवालिया:** सवाल ही हैं। इन सारे सवालों का उन्हें जवाब देना है और उसके बाद महोदय मेरा आज यह अंतिम भाषण है। 12 साल गुजारकर मैं कल यहां आपको नजर नहीं आऊंगा। ये जो चीजें आपके सामने रख रहा हूं इन पर आप अपना जवाब दीजिएगा। महोदय, आज हमें सोचना है कि आखिर हम इन चीज़ों पर रोक कैसे लगायेंगे? जब हम वन खरीदने लगते हैं, जब वृक्षारोपण का फैसला लेते हैं, उस टाइम विदेशों से हम उसके रोपण के लिए बीज खरीदते हैं, सैंपलिंग खरीदते हैं और लगा देते हैं। पर आज तक हमने सोचा कि युकेलिप्टस के गाच्छ लगा रहे हैं, जबकि बार-बार अनुसंधानकर्ताओं ने और वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह सब से ज्यादा पानी खींचता है। तीन सौ लिटर पर डे यह पानी खींच जाता है और यह आपके वॉटर लेवल को डाउन करता जा रहा है। क्या इसका भी कोई हल तलाश किया। नहीं, आप तो यूकेलिप्टस आयल बनाना चाहते हैं। सफेदा बिकता है, कैश क्रॉप है। इसलिए हम बेच रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हम सेाथ लेते आए हैं जो कि हमारी कृषि पर बहुत इफैक्ट करती हैं। एकदम मशरूम ग्रोथ हो गई यहां पर प्रोन कल्चर की और आपका आंध्र का बॉर्डर पूरा का पूरा भर गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि यह सब बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए, जापान में प्रॉन कल्चर सब से पहले शुरू हुआ था। प्रॉन कल्चर के कारण क्या हुआ, ब्रैकिश वाटर के कारण वहां की खेती जो है, वहां की जमीन जो है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है और वहां खेती नहीं हो सकती। जहां-जहां वह केमिकल जाता

है, जहां-जहां पर रिएक्शन होता वहां खेती नहीं हो सकती। उसको रोकने के लिए कोई कोशिश हुई? कोई कोशिश नहीं हुई। उसका अनुसंधान करिए। वह जापान से ताईवान गया। ताईवान ने भी प्रॉन कल्चर बंद कर दिया फिर इंडिया ने क्यों एडॉप्ट कर लिया और आपसे बेशी कीमत देकर जापान खरीदता है। आप फारेन एक्सचेंज ला सकते हैं, इसलिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को विचार में रखते हुए इस पर डिसिज़न दिया। पर उस पर गौर नहीं फरमाया गया। ऐसे दरख्तों को, ऐसे बीजों को....(**व्यवधान**)

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: आपका कोई सवाल बचा है तो वह भी आप कर सकते हैं।.....(**व्यवधान**)

**श्री एस० एस० अहलुवालिया**: अब मंत्री जी ने कहा कि मैं जरा लघु-शंका कर लूं....(**व्यवधान**) तो चले जाइये मंत्री जी, लीडर ऑफ् द हाउस बैठे हैं, नोट कर लेंगे।....(**व्यवधान**)

**श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश)**: अहलुवालिया जी, आप जब-जब भी बोलेंगे प्रत्येक मंत्री की यही हालत होगी, जो सोमपाल जी की हुई है।....(**व्यवधान**)

**श्री एस० एस० अहलुवालिया**: इसीलिए आज अंतिम बार बोल रहा हूं।

इसलिए महोदय, जो-जो चीजें हमारे देश में कृषि पर इफैक्ट करती हो, कृषि की उपज पर जिसका आघात पहुंचता हो, चोट पहुंचती हो या उस पर असर होता हो, वैसी चीजों पर निर्णय लेने के पहले हमें इस पर सोच-विचार कर फैसला करना चाहिए। पर हमने पिछले दिनों देखा है कि इस पर गलत फैसले किए और उसका गलत इंतजाम हुआ है। महोदय, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आत्महत्या करने के पहले एक आदमी शहीद हुआ। शहीद कहने की बात है, यह उनका अपना नज़रिया है, पर मैं समझता हूं कि किसी देश में, जो आजाद है और जिसकी आजादी हासिल करने के लिए लाखों लोग कुर्बान हुए हों, उस आजाद भारत में कोई आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए तो मैं समझता हूं कि गणतंत्र के संरक्षक के रूप में इस सदन के माननीय सदसयों का और सरकार का सिर नीच होना चाहिए और उसके लिए हमें शोक प्रस्ताव लाना चाहिए और ऐसी एक शपथ लेनी चाहिए कि आईंदा, आने वाले दिनों में राष्ट्र का कोई भी आदमी अपनी इज्जत या अपनी खेती की रक्षा करने के लिए उसको आत्महत्या करने की जरूरत न पड़े। ओवरआल इकोनोमिक डिवेलपमेंट की बात हम करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, लेकिन ओवरआल इकोनोमिक डिवेलपमेंट हम गरीबों को नहीं दे सके। आज इस पर हम उमड़ पड़े हैं, उसी कास्ट की लड़ाई में, क्लास की लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में, किन्तु हम अगर ओवरआल डिवेलपमेंट की बात करें तो शायद हम किसानों को सही रास्ते पर ला सकेंगे।

महोदय, मेरा अंतिम यही है कि हम कोशिश करें कि किसानों को सस्ते से सस्ते दर पर कर्जे दिए जाएं, और बीज व खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाए जो कि उत्तम श्रेणी की हो, यह नहीं कि अब बांटा जा रहा है, तो जो भी हो बांट दो, बीज के नाम पर चाहे कंकड़-पत्थर बांट दो। उत्तम श्रेणी की खाद और उत्तम श्रेणी के पेस्टीसाइड्स उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएं जाएं

महोदय, अभी पावर मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है कि अगर कोई मुफ्त में पावर बांटता है तो स्टेट गवर्नमेंट सोचेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में किसान को सस्ते दर पर पावर मिलना उपलब्ध न हो तो उस के लिए भी बंदोबस्त होना चाहिए। साथ ही जैसे कि सुबह गुरुदास दासगुप्त जी ने मांग की, उस के साथ में सहमत होते हुए कहना चाहता हूं कि किसान चाहे छोटा हो, मंझोला हो, उन की फसल का इंश्योरेंस करना हमारा फर्ज बनता है और उस फसल की रक्षा करने के लिए एक निर्णय लेने की जरुरत है। महोदय, जब हम कहते हैं कि पेस्टीसाइड ठीक है तो टिड्डियां मरनी चाहिए, इनसेक्टीसाइड ठीक है तो वायरस मरना चाहिए, उत्तम श्रेणी का बीज है तो उस का ईल्ड परसेंट-टू-परसेंट करेक्ट होना चाहिए। अगर वह करेक्ट नहीं है तो हमें बीमे का सारा पैसा मिलना चाहिए। महोदय, पेस्टीसाइड्स और इनसेक्टीसाइड्स बनाने वाले जितने मल्टी-नेशनल्स हैं और सीड फार्म्स भी हैं, चाहे वे गवर्नमेंट, के हैं या प्राइवेट हैं, ये लोग बड़े पैमाने पर सीड फार्म्स बनाए हुए हैं। महोदय, सीड्स जो उपलब्ध होते हैं, उस की ईल्ड को देखते हुए उस का भी इंश्योरेंस होना चाहिए तभी हम किसानों के संरक्षक बनकर उन की मदद कर सकेंगे और आने वाले दिनों में राष्ट्र में कोई भी किसान इस तरह से त्रस्त होकर ऋण के नीचे ग्रस्त होकर आत्म-हत्या नहीं करेगा। महोदय हमें ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना करना चाहिए और सोमपाल जी चूंकि वे खुद किसान हैं और किसानों के दर्द को, उन की तकलीफ को समझते हैं, मैं उन से किसानों के हक में निर्णय लेने की उम्मीद करता हूं। लेकिन कुर्सी पर बैठकर और दूसरा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह गांव के और को और गांव की मीठी-मीठी सोंधी गंध को न भूलें बाकी

सब भले की भूल जाएं। उन्हें वह जब याद रहेगी, भारत माता की मीठी-मीठी सोंधी गंध जब उन्हें याद रहेगी तो निर्णय सही करेंगे, यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

**श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ (गुजरात):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी को संक्षेप में चार सुझाव देना चाहता हूं। वह किसानों की समस्याओं के बारे में अवश्य सोच रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि उन को किसानों के प्रति सहानुभूति है और कृषि का उन्हें ज्ञान भी है, इसलिए या तो वह इस संबंध में आश्वासन दें या उसे मान लें क्योंकि यह वह जगह है जहां हम और वह इकट्ठे सवाल पूछा करते थे। अब मुझे अकेले सवाल पूछना पड़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, क्रॉप लोन मैनुअल के अध्ययन के लिए उन्होंने एक जुट बनाया है। मेरा कहना है कि क्रॉप लोन मैनुअल को रिवाइज किया जाए क्योंकि चालू खर्च के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन मिलता है, वह औसतन लागत के ऊपर मिलता है और जिन इलाकों में यह समस्या बहुत गंभीर है जैसाकि वेंकैया नायडु और दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया, औसतन लागत से कृषि की लागत बहुत बढ़ चुकी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में उन इलाकों में गंभीर है। इन राज्यों में आधुनिक कृषि में लागत औसतन लागत से ज्यादा है। और चूंकि लोन औसतन लागत के हिसाब से मिलते हैं, इसलिए इन कृषकों को लोन नहीं मिल पाते। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि या तो नॉर्मेटिव स्तर पर क्रॉप लोन मैनुअल्स में प्रावधान हो कि किसान को कोऑपरेटिव सोसायटीज, बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स ऋण दें नहीं तो आधुनिक किसान की जो लागत है, उस पर स्तर पर लोन मिलने चाहिए अन्यथा इस समस्या का सुलझान नहीं होगा और खाली बातें ही चलती रहेंगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जिन क्षेत्रों में यह समस्या है, जैसे कि सुरजेवाला जी ने कहा और मेरे प्रदेश गुजरात के खेड़ा में यह समस्याएं मैंने सुनी हैं और भी महाराष्ट्र के इलाके हैं जिन में जमीन और पानी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वहां जो हमारे पुराने दकियानूसी नॉर्म्स फायनेंसियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, उन को 8 हजार या 10 हजार रुपये लोन मिलेगा जबकि मंत्री महोदय जानते हैं कि आजकल कृषि में 50 हजार, 60 हजार से 70 हजार रुपए तक एक हैक्टेयर जमीन के ऊपर जमीन और पानी की लागत है। महोदय, कई जगह मैंने खुद इस बात में दिलचस्पी ली है और अफसरों के साथ आर्गूमेंट्स भी किए हैं। चूंकि मैं योजना आयोग का सदस्य हूं मुझे इस में दिलचस्पी है।

4 P.M.

मंत्री भी रह चुका है लेकिन ऐसी कोआपरेटिव या स्वयं सेवी संस्थाएं जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे वह लोन नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी जो ट्रेडीशन है वह यही है कि आठ/दस हजार रुपए दे दिए तो बहुत हो गया। पश्चिम महाराष्ट्र में एक जगह पर हमने बड़ी मुश्किल से यह लोन दिलवाए और वह भी एक इंटरनेशनल एजेन्सी से हमें लोन दिलवाने पड़े। तो पहले तो आप यह करवाइए कि इसके मूल स्वरूप से इसका सुलझान हो और तभी किसान को जो हम कह रहे हैं कि डटकर और देशों के साथ कम्पीट करो। वह कम्पीट कर सकेंगे। उसको अगर आप वर्किंग कैपिटल 1951 की रूरल डेट सर्वे कमेटी कि रिपोर्ट के अनुसार देंगे, तो लैंड डवलपमेंट बैंक यही कहेंगे कि दस हजार से ज्यादा हमारे नार्म्स नहीं है। इससे किसान की समस्या सुलझने वाली नहीं है और फिर वह किसान साहूकार के पास जाएगा।

उपसभाध्यक्ष जी, तीसरा मेरा सुझाव मंत्री महोदय को यह है कि जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप ऐसे केसज में अपने इंस्ट्रक्शन केन्द्रीय फाइनेन्सियल इंस्ट्रीट्यूशन्स को, बैंक को और नाबार्ड को दिलवाइए। जब मैं और मंत्री महोदय इकट्ठे काम करते थे तो हम यही कहते थे कि नाबार्ड कृषि मंत्रालय के पास होना चाहिए। अब मैं अकेला वही बात करूंगा क्योंकि इन मामलों में कई बार उनको साधन नहीं मिलते। इसलिए आप उनको अभी यह इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कम से कम इस खरीफ की फसल में और अगली रबी की फसल में इन इलाकों में क्रोप लोन मैन्युअल को छोड़कर जो औसत लागत किसान की होती है चालू खर्चे के लिए, उसके पानी और जमीन की समस्या के लिए उसको ऋण मिले।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरा चौथा सुझाव यह है कि अब हमारी थ्योरी यह है कि निजी क्षेत्र से तो ऋण मिलता ही नहीं है क्योंकि हमारा समाजवाद बहुत डेवलप कर गया है। हिन्दुस्तान में आज न लैंडलोर्डिज्म है, जब बिहार से योजना आयोग ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां चार ही टेनेण्ट्स हैं और आफिशियली थ्योरी सरकार की यह है कि प्राइवेट मनी लैंडिंग भी एबोलिश हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रूरल टेड और इनवेस्टमेंट सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसें आप देखें तो आपको पता चलेगा। अभी 1991 की जो सर्वे रिपोर्ट थी, दो-तीन महीने पहले मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह

था। कई क्षेत्रों में अभी भी यह है, लेकिन उसको रूरल प्राइवेट लेंडिंग नहीं कहते, उसका दूसरा कुछ नाम कर दिया है, वह कर्व लेंडिंग था। तो यह जो निजी क्षेत्र की लेंडिंग है उसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए। हमारे एक साथी, मेरे ख्याल से वेंकैया नायडु जी ने यह कहा था और सदस्यों ने भी

के बारे में कहा था। तो उसके लिए आप यह सोचें कि निजी क्षेत्र से जो लेंडिंग होती है, जो बैंक से नहीं या कोआपरेटिव सोसायटीज से नहीं बल्कि निजी क्षेत्र से, उसको रेगुलेट करना है। इसके साथ ही जो लोग किसानों को एक्सप्लायट करते हैं उन पर भी कंट्रोल हो और जो लोग किसानों की मदद करते हैं उनकी हम मदद भी करें।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने प्रदेश में कितने ही किसानों से मिला हूं। कई सौदागर उनके पास आते हैं, कहते हैं कि तुमको लोन मुफ्त कर देंगे। अब लोन मुफ्त कराने की बात से किसानों को पता चल गया है कि इससे कोई फायदा नहीं होता है। लोन वेव से न बैंक के पास पैसे रहते हैं, न को आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के पास पैसे रहते हैं। सात साल तक वित्त मंत्रालय ने पुराने जो लोन वेव हुए थे, उनके पैसे बैंक और कोआपरेटिव सोसायटी को नहीं दिए हैं। तो यह लोन मुफ्त कराने की बात को किसान अच्छी तरह से समझता है कि लोन मुफ्त कराने वाले जो सौदागर है वह सच में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि रीफाइनेन्स नहीं होता है, जो यह जरूरी है। जैसा कि एक माननीय सदस्य वेंकैया नायडु जी ने कहा था, यह इम्पोर्टेन्ट बात है, मैंने बजट डिसकशन के दौरान भी यह कहा था कि अगर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट को देखें तो जो हमारे पास असली आंकड़े 1996-97 तक हैं, The level of credit in respect of working capital has gone down.

जो पिछले दो साल के आंकड़ें दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के, वह उनकी योजना के आंकड़ें हैं।

That is not the real story. If you look at the real credit, it has gone down. If it has gone up marginally, it is less than the price level.

ऐसी स्थिति को अगर आप इम्प्रूव नहीं कराएंगे तो यह जो हमारे किसानों की इतनी मुश्किलें हैं वह चलती ही रहेंगी। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय को इन चीजों के बारे में बड़ी सहानुभूति है। तो ये जो स्पेसिफिक सजेशन्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनको स्वीकार करेगी। धन्यवाद।

**श्री रामदेव भंडारी** (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, हम किसान को इस देश के विकास में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हम यह भी कहते हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है और अपने खून-पसीने की कमाई से वह इस देश के लोगों को भोजन मुहैया करता है। मगर, उपसभाध्यक्ष महोदय, जो किसान इस देश को भोजन मुहैया कराता है, वह किसान स्वयं भूखा रहता है, उसको भोजन नहीं मिलता, उसे आवास नहीं मिलता, उसके बाल-बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, उसके परिवार के लिए दवा नहीं मिलती। किसानों की इन समस्याओं पर और उनकी दयनीय स्थिति पर हम चर्चा करते रहे हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह तो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि किसान में अब पीड़ा सहने की क्षमता नहीं रह गई है, दुख सहने की क्षमता नहीं रह गई है और इसलिए किसान अब आत्महत्या करने जा रहे हैं। उन्होंने तीन प्रदेशों में यह किया है और अगर किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि यह आत्महत्या दूसरे प्रदेशों में भी होने लगे क्योंकि कमोबेश सभी राज्यों में किसानों की यही स्थिति है। किसानों पर दोहरी मार पड़ती है—प्राकृतिक विपदाओं की मार पड़ती है तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, दूसरी ओर जब वे अच्छी फसल उगाते हैं तो आप जानते हैं कि कभी उनको खेतों में गन्ना जलाना पड़ता है, कभी आलू सड़ जाते हैं, कभी प्याज सड़ जाते हैं और उनका जो लागत मूल्य है, वह भी उन्हें नहीं मिल पाता है। उनकी भंडारण की क्षमता नहीं होती है और वे कर्ज से दबे रहते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि इस देश का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है।

महोदय, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और उत्तरी बिहार से आता हूं। उस क्षेत्र में हर साल नेपाल से बड़ी-बड़ी नदियां—कोसी, कमला, गंडक, आदि भयंकर बाढ़ लाती हैं और मुझे हर साल इनकी मार सहनी पड़ती है, मेरी फसल भी बर्बाद होती है। उत्तरी बिहार की लाखों एकड़ जमीन आज जल-जमाव से पीड़ित है। बिहार सरकार के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वह उस जल-जमाव से उत्तरी बिहार को मुक्त कर सके। केन्द्र सरकार को बिहार सरकार ने कई बार लिखा है कि हमें आप मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए ताकि इस जल-जमाव से हम उत्तरी बिहार को मुक्त कर सकें, मगर इस दिशा में अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ है।

महोदय, मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्रॉप इन्शयोरेंस स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** आप सवाल पूछ लीजिए।

**श्री रामदेव भंडारी:** इसी बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं। महोदय, क्रॉप इन्शयोरेंस किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब भी किसान की फसल मारी जाती है, उसे मदद करने के लिए कहीं से कोई व्यवस्था नहीं होती है। देश के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग आंशिक रूप से हुआ है, बल्कि नहीं के बराबर हुआ है। मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे तो बार-बार किसानों की समस्याओं की चर्चा किया करते थे, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और यह सदन अब उनसे आशा करता है कि मंत्री जी किसानों की जिन समस्याओं के बारे में खुद चर्चा किया करते थे, खुद मांग किया करते थे, वह अब उन समस्याओं को दूर करेंगे, उनको समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे, ऐसी हम मंत्री जी से आशा करते हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में सारे देश में लागू किया जाए और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू किया जाए। अगर प्राकृतिक मार से किसान की फसल बरबाद हो जाती है तो क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से उसके नुकसान को पूरा किया जाए।

महोदय, दूसरी बात मैं कर्ज के संबंध में कहना चाहता हूं। हर गांव में, हर क्षेत्र में किसान की फसल जब बरबाद हो जाती है तो उसका जो कर्ज होता है, चाहे वह बैंक का कर्ज हो या किसी निजी आदमी का कर्ज हो, उसका सूद के बाद सूद उसको देना पड़ता है। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा हो किसान की फसल बरबाद हो तो सूद की माफी तो उनको जरूर मिलनी ही चाहिए और मूल में भी जहां तक संभव हो माफी मिलनी चाहिए और उनको फिर से कर्ज मिलना चाहिए ताकि आगे की फसल की वे तैयारी कर सकें और उसे उगा सकें। जब इस तरह की बात होती है, जब इस तरह की आपात-स्थिति होती है तो केन्द्रीय सरकार की ओर से कहा जाता है कि राज्यों में आपात कोष की व्यवस्था है जिसमें 3 हिस्से केन्द्र के और एक हिस्सा राज्य का रहता है जो 4 इंस्टॉलमेंट्स में केन्द्रीय सरकार देती है। हम सभी जानते है कि वह राशि इतनी कम होती है कि जब कोई बड़ी आपदा होती है तो उस राशि से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी आपदाओं के लिए केन्द्रीय सरकार के पास एक कोष रहना चाहिए जिसमें से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को समय-समय पर ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए राशि मुहैया कराए।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए]**

महोदय, आजकल बाजार में नकली बीज, नकली खाद, नकली पैस्टिसाईड्स और स्पुरियस ड्रग्ज़ तादाद में मौजूद है। ये कहां से आते हैं? इस देश के बड़े-बड़े व्यापारी इसका धंधा करते हैं। ये कहीं लंदन से नहीं आता है, कहीं अमरीका से नहीं आता है। इसी देश का व्यापारी स्पुरियस ड्रग्ज़ बनाता है, नकली खाद बनाता है। सरकार इन व्यापारियों को क्यों नहीं पकड़ती है? सरकार को उन व्यापारियों को पकड़ना चाहिए और कड़ाई से उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन यह नहीं हो रहा है। इसलिए लगातार इस तरह की बातें बढ़ रही हैं और किसानों को इससे बहुत नुकसान होता है। उनकी जमीन भी बरबाद होती है। अगर वे नकली पैस्टिसाईड्स या

नकली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जमीन बरबाद हो जाती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि वे किसानों की समस्या पर केवल चर्चा ही न करें। मंत्री जी किसान की पीड़ा को जानते है, उसके दर्द को जानते हैं। इनको अभी तक इतना समय मिल चुका है। आगे पता नहीं कितना समय और मिलेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि वे इस सीमित समय का सदुपयोग करें और किसानों के हित में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उठाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ADHIK SHIRODKAR (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is with a heavy heart that I associate myself with the greif that has been expressed by the hon. Members who have preceded me in speaking about the tragedy of suicides and why the farmers have been compelled to commit suicides. Various reasons have been given — impotent seeds, fertilisers which are sub-standard, pesticides which espouse the cause of non-violence rather than killing the pests. All these reasons are valid to a certain extent in a limited way.

May I draw the attention of the hon. Minister, through you, Sir, to the fourth line of the very first page of the statement? The six words are, "due to adverse weather conditions and pest attack..." Has any study been undertaken

to find out why adverse weather conditions have started persisting nowadays? Is it because of the indiscriminate felling of trees? Is it because of the wanton destruction of the rain forests? Indiscriminate felling of trees causes solid erosion. Wanton destruction of rain forests drives away the clouds which bring the rain. These are the main reasons why we are facing this tragedy. Other conditions and other reasons are, of course, valid, but if we attack the basic cause of this, namely, the adverse weather conditions, I feel that the problem will not recur. Will the hon. Minister consider it proper to undertake a joint study with the Ministry of Environment and Forests and undertake research, which has already been undertaken elsewhere, to find out whether the main reason of this adverse weather condition is what is known as El-Nino effect? Throughout the world, everybody has suffered. We have suffered all the more. This should be considered.

Will the hon. Minister also undertake a study with the Ministry of Environment and Forests regarding the pest attack? We are considering using pesticides which are chemical. The chemical pesticides used are there in the products which ultimately enter the product whether it is fruit, vegetable or anything else and our intake is of these pesticides. All over the world, they are going away from chemcial pesticides. In India, we have been using pesticides of neem tree. Neem is the greatest pesticide. It has various effects; it has various advantages. Should we not undertake a study of the use of neem as a pesticide? If these two studies are undertaken, I am confident that this august House will not ever have to think of such tragedies in future. I hope they will seriously consider an interaction between these two Ministeries.

SHRI M. SHANKARALINGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I associate myself with the sentiments and feelings expressed by hon. Members cutting across party lines about the agony of farmers in our country. Sir, we all know that our country is primarily an agricultural country as more than 80 per cent of our people depend upon agriculture for their livelihood. With their strenuous work, we all live. We take food as they grow food for us. But for their work, but for their resorting to agriculture, our country will face a severe crisis. In the present situation, they still resort to agriculture. I feel they are not wise men because a wise man will resort to a wise business, a business which will give him more profit. But knowing well that they won't get any profit, they still resort to agriculture because they love agriculture. Their environment is such they cannot go outside their fields and villages. So, it is the primary duty of a welfare State to give all facilities so that they succeed in their venture. But, if they fail, it is not their failure. It is the failure of the State. The State should own it.

The hon. Minister in his statement has given so many reasons for these suicides. The primary reason is our failure to recognise their job and the importance of agriculture and we have failed in extending a helping hand to these poor farmers. I insist that the hon. Minister should take note of these things. Many reasons have been given here. So many worried incidents have been narrated in the statement. But mainly due to seasonal vagaries we are getting this problem. That is one thing. Why seasonal vagaries? Our country conventionally is rain-fed. We know that when our country gets rain but still their is a vagary. What is the reason for it? We have to find out. Many reasons are attributed to the failure of crops and the suicide of agriculturists. We know now what is the reason. If a man dies by committing suicide who is responsible for it. If he commits suicide, the suicide action is the last resort. He is not able to live. The circumstance leads him to commit suicide ignoring his family conditions, ignoring his dependents, ignoring his life, his loving children and wife. Committing suicide means, the State Government and the Central Government and the society of large have

mited to create a conducive atmosphere for him to live in this country. It is a very great and important responsiblity of the State, society and the Central Government. The hon. Members who participated in the discussion earlier noted that the profession of agriculture gives no profit at all. Our hon. Members, Margabandu aptly said, "If an agriculturist calculates his income, he would not get even the stick which he uses for running his cattle at the time of ploughing. Even that would not be spared". That is what we say.

I come from Kanyakumari district. Many hon. Members here narrated about North Bihar, Punjab and Andhra Pradesh and other states. What we used to say about Kanyakumari is that it is a fertile district which gets two monsoons, the South-West and the North-East monsoon. Even then there is a failure of crops. There are also destruction due to floods and other things like drought and pest attacks. As a result, agriculturists are suffering. They are suffering from Kanyakumari to Kashmir. It is in our interest. We have to protect them. What are the measures? Many people have narrated it and I do not want to repeat. Our hon. Vice-Chairman has more than once made a gesture to indicate that the time was over. Yet, I want to insist on one thing. Many devices were given by our Members. Among them, one is crop insurance. Crop insruance, at the time of raising a crop, it may not be possible for a farmer by paying Rs. 100 or 50, the first instalment to include himself into insurance scheme. When a farmer raises a crop, immediately the Government must come forward with an assistance. A provision must be there to pay the insurance premium and automatically he would be covered under the insurance scheme. If the Government wants to realise the amount invested on his behalf, it can do so when he gets the yield or, it can realise when he gets the insurance amount if his crops fail. These are the measures I suggest. All the State Governments are taking necessary steps according to their own calculations.

Our State Government, under the able leadership of our beloved Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi has waived off the land taxes of the paddy lands, due from the farmers taking into consideration the vagaries of the nature. One hon. Member has cited an incidence where, in spite of the Chief Minister's order, taxes are collected. If that is brought to the notice of the Tamil Nadu Government, I am sure, it will punish the person responsible for this and necessary action would be taken by the Government.

Moreover, the Government has given free power for agriculture. No collection was made for agricultural power. The land tax has been waived which comes to nearly Rs. 50 crores. The deposit of power connection has also been reduced substantially if they take power from the Electricity Board. So, to that extent we have done our best. The Central Government should not wait for a statement or a request by the State Governments. They must come to the aid of the State Government and extend the beneficial measures to the farmers. Our Vice-Chairman is giving indication that I should finish. Sir, I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Members and I request the hon. Agriculture Minister and the Government that they should extend all possible help to create a conducive atmosphere and allow the agriculturist to do his job that is agriculture so that we get food, cloth and other things. Even in some pockets of Kanyakumari cotton is raised. In Tamil Nadu there are so many places where cotton is raised. All the States have been affected. May be, the States of Andhra Pradesh and Karnataka are the worst affected States. I feel that all the States of the country are affected. So, the Central Government is entitled to extend a helping hand to the State Governments and the farmers. With these words, Sir, I finish.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, there is one point for clarification. Normally for a calling-attention motion, we have one speaker from one party. If we want to deviate from that convention...(*Interruptions*)... I think we should take the sense of the House. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I agree with you. But, the Members want to seek clarifications. Instead of seeking clarifications, they are making speeches.

SHRI SOMPAL: They should confine their observations to two or three minutes...(*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, there is a procedure in this regard. The party gives a name ...(*Interruptions*)... He should speak and that is all. If you start giving a chance to every Member, there will be a glue of names before you. ...(*Interruptions*)...

SHRI SOMPAL: Sir, I have to attend the meeting of the Economic Affairs Committee at five o'clock. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I request the hon. Members that they should seek only clarifications. They should not make speeches at this stage. This has been told earlier also.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, my point is that there is no death of ideas. If you go on like this, I can also give my name. But, then the business of the House will become unmanageable. We cannot go on discussing this till the night.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I again request that the Members should confine themselves to two minutes' limit.

SHRI N.R. DASARI (Andhra Pradesh): Sir, I would like to associate myself with the feelings and suggestions that have been given expression to here by the preceding speakers irrespective of party affiliation. I would also like to thank the hon. Minister for Agriculture who has come forward with a statement projecting the plight of farmers at large and also indirectly or covertly agreeing with the failure of the Government. It has been stated that after a Central team had gone to some States in general, and the State of Andhra Pradesh in particular, and after examining so many things, they came and submitted a report to the Government. They were kind enough to sanction only Rs. 12 crores from the National Calamity Fund. In this connection, I wanted to inform the hon. Minister of Agriculture, though agriculture is a State Subject, that there is also a responsibility on the Centre in some particular situations. For instance, in Andhra Pradesh, in the last two preceding years — 1996 and 1997 — the State has been a victim of continuous floods and also severe cyclone. Perhaps, the Union Government has also tried to rescue in addition to the efforts made by the State Government. Against this background, in this situation, the State has suffered consecutively for two years and this year again we find suicides for the reasons which have been explained here by the preceding speakers and I need not consume my time and put you in difficulty. That is why I would like to say that the tenor of the hon. Minister of Agriculture to throw the burden on to the State Government is not correct. That is my first submission.

My second submission is, coming to the question of agriculture, I wanted to make one point very emphatic and clear. In a country like India, the prosperity of industry depends absolutely on the prosperity of farmers and agriculture. Unless that is realised by any Government irrespective of ideologies, politics and political considerations, we are doomed. That is what I wanted to make clear. Now-a-days, in the context of growing population in a country like India, the problem of unemployment cannot be solved merely by expansion of industry and we know how seriously

3915/98-F 10B.

industrial crises are being developed in our country. As has been pointed out by some of our friends, this also depends on the growth of agriculture. Not only that, another fact which I would like to bring to the notie of the Union Government through the hon. Minister of Agriculture is, in the recent past or in the past five or ten years, it has become a phenomenon that many of the educated youth in rural parts are coming forward to adapt themselves to modern methods of agriculture in general and commercial crops in particular. You have expressed in your statement about the magnitude and failure of crops for a variety of reasons.

My third submission is, the on-going economic policies which have been dictated by the I.M.F. and the World Bank and which are being pursued by the Centre and the State governments are hitting farmers very hard. Hence, serious crisis in the sector of agriculture in India. While the prices of agricultural inputs have been increasing at an alarming rate, the price of agricultural produces have not been increasing on a par with the prices of inputs. Particularly, the price of cotton has not been increased since 1994-95. So, the deaths of farmers have been occurring year after year and they are now really in a death-trap. Sir, failure of crops, particularly of cotton this year, has aggravated the situation in our State and the agony of the distressed farmers contributed to such an extreme situation that they have lost all hopes and faith about their future and are forced to take their lives. The large-scale suicides of the farmers are very shameful to a civilised society and that too when we are celebrating the Golden Jubilee of our Independence.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BIST): Mr. Dasari, please conclude.

SHRI N.R. DASARI: I am concluding. Sir, I would also like to bring to the notice of the Minister of Agriculture that he should realise the seriousness of the problem and what I would like to suggest to the hon. Minister is to enact a crop insurance scheme, a comprehensive crop insurance scheme covering all crops in all the States. That should be the first and the foremost step in this year of Golden Jubilee of our Independence and let the hon. Minister of Agriculture get the credit for enacting this crop insurance scheme. I would also like to suggest to the hon. Minister of Agriculture to regulate and implement, strictly, private money-lending and punish the guilty who have been collecting excess amounts from the farmers.

Then, I would request the hon. Minister to declare remunerative prices for all agricultural crops before the commencement of agricultural session. Finally, before concluding, I would request the hon. Minister for agriculture to constitute a Central Board for cotton and chill as it has in the case of tobacco. Thank you.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** डॉ० रणबीर सिंह जी आप सिर्फ दो-चार प्वाइन्ट्स ही पूछ लीजिए।

**डॉ० रणबीर सिंह** (उत्तर प्रदेश): सर, गुरुदास दासगुप्त जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मुझे खुशी इस बात की है कि दासगुप्त जी ने कुछ ही दिन पहले मुझसे कहा कि यू०पी० और हरियाणा का किसान बहुत मालदार है। मैंने कहा कि यह मुगालता है। कभी आप मेरे साथ चलिए मैं आपको उनकी सही हालत दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। आज उन्होंने यहां यह किस्सा उठाया है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में से पंजाब का किसान सबसे प्रोसपरस है और पंजाब के किसान की ये बात कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बताए बगैर ही उनको यह बात मालूम हो गई है। नेशनलाइज बैंक्स रिजर्व बैंक के डायरेक्टिव के हिसाब से 18 परसेंट...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** यह सब बोल दिया है। काफी आदमी इस पर बोले हैं।

**डॉ० रणबीर सिंह:** फौरन बैंक इसमें कुछ नहीं देता है लेकिन 18 परसेंट में भी किसान को कितना मिलता है, यह देखने की जरूरत है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** कुछ नया प्वाइन्ट बोलिये।

3915/RS-L 104

**डॉ० रणबीर सिंह:** इसमें ज्यादातर हिस्सा टी-गार्डन्स और ये सब कॉरनर कर लेते हैं। मार्जिनल और स्माल फारमर्स को 4-5 परसेंट मुश्किल से मिल जाता है। अभी फसल फेल हो गई तो लोगों ने सुसाइड किया। लेकिन जब फसल ज्यादा होती है तब किसान का क्या हाल होता है। पिछली बार पोटाटो ज्यादा हुआ, यू०पी० में किसान का गन्ना ज्यादा हुआ तो उनका क्या हाल हुआ? किसान को मिल रेट के एक तिहाई या एक चौथाई पर गन्ना फैंकना पड़ा। एक साल तो किसान को खाली जगह में अपना गन्ना फैंक कर आना पड़ा था। मैं आपको हरियाणा के एक केस के बारे में बताता हूं कि अभी 16 जून को बारिश हुई, मेटिरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि मानसून आ गया। उनके पास जितनी नर्सरी थी उन्होंने खेत में धान की नर्सरी ट्रान्सप्लांट कर दी और फिर मानसून फेल हो गया तो नर्सरी भी खत्म हो गई। उन्होंने जो खेत में ट्रांसप्लांट किया था वह भी सूख गया। अब उनके पास धान को ट्रांसप्लांट करने के लिए बाकी कुछ भी नहीं बचा है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

किसान की हर फसल का इन्श्योरेंस लो प्रीमियम पर होना चाहिए। कम से कम इम्पोर्टेन्ट फसलों का तो होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे अब कुछ सिलेक्टिव इन्श्योरेंस हैं, कुछ फसलों का या उन फसलों का जिनके अगेन्स्ट लोन दिया जाता है।

लोन लो रेट आफ इन्टरेस्ट पर बैंक से मिलना चाहिए। बैंक से लोन मिलने का जो प्रोसिजर है वह सिम्पलाइज होना चाहिए ताकि मनिलेंडर्स के कर्जे से किसान बच सके। मुझे अफसोस यह है कि लोगों ने 36 परसेंट और 40 परसेंट इन्टरेस्ट बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांच परसेंट पर मन्थलीरेट पर गांव में लोग लोन देते हैं, जो 60 परसेंट आता है इस रेट आफ इन्टरेस्ट के ऊपर। इसलिए सिम्पलीफाइड मैथर्ड होना चाहिए जिससे किसान वहां पहुंच सके। एक रेमयूनिरेटिव प्राइसेस एग्रीकल्चर की होनी चाहिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** वह सब बोल दिया है।

**डॉ० रणबीर सिंह:** यह बात बहुत दिनों से चल रही है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज स्टेटस मिलना चाहिए। इससे प्रोडेक्शन के अगेन्स्ट किसान को लोन मिलेगा और वह अपनी प्रोडेक्शन को सही दाम पर बेच सकेगा। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज वाला स्टेटस मिले इस पर भी सोचना चाहिए।

**श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश):** सर, मेरा भी नाम है।

**(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI):** Just a minute. It was not added. आप केवल एक मिनिट में क्वेश्चन पूछ लीजिए।

**श्री सोमपाल:** उपसभाध्यक्ष जी, इस शर्त पर कि ये अगर अपना सवाल कविता में करें तो।

**श्री बालकवि बैरागी:** जी, हां, मैं कविता में करूंगा।

**श्री बालकवि बैरागी:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं भाषण नहीं दूंगा। मेरे दो छोटे से सवाल हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना भर चाहता हूं कि मेरे इन दो छोटे सवालों का आप उत्तर अवश्य दें। इस पर इतनी बड़ी बहस चली और सदन में इस मुद्दे को सबने गंभीरता से लिया है। आप जैसे व्यक्ति इस देश के कृषि मंत्री हैं, मुझे आपसे केवल यह बात पूछनी है कि मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर जमीन के जो मालिक हैं, उनकी सारी फसल नष्ट हो गई है, तबाह हो गई है। लेकिन अभी तक वहां यह छूत की बीमारी नहीं लगी है और हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक किसानों ने आत्महत्यायें नहीं की हैं। महोदय, 2960 करोड़ रुपया हमें मुआवजा चाहिए। इसके अगेंस्ट कुल मिलाकर आपकी यह सरकार केवल 110 दिन की सरकार है और इस सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया है, लेकिन अभी तक हमको कुल 67 करोड़ रुपया मिले हैं। इस बारे में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आप तो जानते होंगे, उनका नाम भी जानते होंगे और आपको याद होगा—इस देश के प्रधानमंत्री का नाम है पं० श्री अटल बिहारी बाजपेयी, ने मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान अपने भाषणों में कहते रहे कि....

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** आप क्वेश्चन पूछिए।

**श्री बालकवि बैरागी:** मेरा सवाल ही है।

वह कहते रहे कि हमारी सरकार आने पर 5 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कम्पनसेशन दिलवायेंगे। ... (व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** आप बैठिए। ...(व्यवधान)... मैं बोल रहा हूं।

**श्री गोविन्दराम मिरी:** (मध्य प्रदेश) हर एक मुख्य मंत्री ने किसानों को सहायता दी है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कोई सहायता नहीं दी है।...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** आप अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री बालकवि बैरागी:** मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उन भाषणों में इस बात का वचन दिया था कि हम 5 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कम्पनसेशन दिलावायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उस वचन को सरकार क्या अपना वायदा मानती है या नहीं मानती है? पहला मेरा प्रश्न यह है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि 24 तारीख को आप बैठक करने जा रहे हैं जिसमें हमारे मुख्य मंत्री जी भी एक सदस्य हैं। तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस बैठक में आप इस वायदे को निभायेंगे या नहीं निभायेंगे? मुझे आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसा आपने कहा है कि कविता में कहूं, मुझे यह शेर याद आ गया कि:

हमने तो आंसुओं की रो रो झड़ी लगाई,
इस बेवफा ने घूमकर छाता लगा दिया।

कहीं यहां भी ऐसा ही न हो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर मेहरबानी करके आप इसका उत्तर दें। मैं इस सवालों पर स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

SHRI SOMPAL: Mr. Vice-Chairman, I once again thank Shri Gurudas Das Gupta for initiating this discussion on the situation which has pushed the unfortunate farmers to commit suicide on such a large scale this year. I would like to inform him—which I have done time and again-that as per the constitutional arrangement, the responsibility of meeting such calamities rests with the States, and it is not my arrangement. So, when Mr. Gurudas Das Gupta says that I have tried to pass the buck on, it is not correct. It is a constitutional arrangement under which I also have to work and the whole Government has to work.

**श्री ईश दत्त यादव:** (उत्तर प्रदेश): आप हिन्दी में बहुत अच्छा बोलते हैं।

SHRI SOMPAL: I am replying in English because he spoke in English. *Regarding his observation and perception* that too much of commercialization has led to this situation, maybe, to some extent it is correct. But in the modern day materialistsic world, commercialisation is not the exclusive domain of the traders and industrialists. Farmers should not be barred from commercialising this vocation and it can no longer be expected that he should live along the subsistence line which he was living traditionally.

There is no harm in it. There is no fault of the farmers. Unless he produces a surplus and sells it, he will not be able to purchase the things of his need. Therefore, the concept of surplus production is, essentially, commercialisation on agriculture, which is a welcome trend. It should be rather encouraged than discouraged.

His suggestion of insurance cover is well taken. I have already informed the House on earlier occasions that our Government had already taken a decision to bring out a comprehensive, modified, crop insurance scheme based on payment of premium by the farmers.

I am constrained to observe here that all the previous Governments have been using crop insurance as a mere slogan. Whatever insurance scheme was there was limited to Rs. 10,000/-, not above. Even there, it was in respect of the marginal and small farmers only. It was not an insurance sheme at all. It was a subsidy scheme, contributed to by the State Government and the Central Government and having...

SHRI S.B. CHAVAN: (Maharashtra): Is it confined only to the recovery by the banks?

SHRI SOMPAL: I will come to that, Sir.

It would not be sustainable because considering the size of the population which is dependent on farming in India, considering the number of farmers and the amount involved, no amount of subsidy and budgetary support would be

able to sustain an insurance scheme in India, excepting when it is based on payment of premium. It must be made clear to the farmers, though it is different that we have to come up with concessional rates for the small farmers and actuarial rates for the big farmers.

He says that the Central Government seems to be abdicating its role and that we have placed everything at the doorstep of the State Governments. Again, I would say. It is not correct.

I would like to point out that there is a mechanism, there is a system, created by the Tenth Finance Commission. It is based on the recommendations of the tenth Finance Commission. Earlier, the practice was that whenever there was a calamity, the states would always rush to the Centre. The Tenth Finance Commission took note of it and came out with a standing system of devolution of funds to all the States, which have been assessed by the Commission itself, on the basis of the needs and the occurrence and recurrence of such calamities in various States.

The system has been instituted in such a way that on every first day of every quarter, money goes directly from the Finance Ministry to the State Governments. The State Government are expected to meet all such eventualities through this Fund. But in the case of a calamity of a rare severity, the Centre also contributes from out of a Fund which was instituted with an initial corpus of Rs. 700 crores. The Calamity Relief Fund was of the order of Rs. 6,300 odd crores, for a five-year period, from 1995 till 2000 AD. The second Fund is known as the National Fund for Calamity Relief, instituted with a corpus of Rs. 700 crores. In 1995-96, another Rs. 120 crores were added. Mr. Vice-Chairman, Sir, the whole money has already been spent. There is no money available in the Central Fund now.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Where is the problem? Sir, I would take just one second. He is speaking compensation after the injury, compensation after the killing. But what we are wanting to know is, what has been done to prevent it. It is not a calamity at all. It is because the whole system is not working. The hon. Minister must answer the question straight. He should tell us as to how we can prevent such suicides being committed by the farmers.

SHRI SOMPAL: Sir, through you, I would plead with Mr. Gurudas Das Gupta that unless I have completed my response, he should not conclude that I am evading the question. I am addressing all his points. But I must inform the House properly because this is what the arrangement is and every Government—I would repeat my remarks—has to work under a system, under a certain mechanism, instituted Constitutionally and legally.

So far as his view is concerned that the flow to the agricultural sector has been very meagre and less than due, I agree with him. The total flow of credit during the Seventh Five-Year plan period was less than 17 per cent. A target of 18 per cent was set by the Reserve Bank of India for all the nationalised banks during the Eighth Five-Year Plan.

But at only one point of time it has exceeded 14 per cent, and on an average it has been less than 13 per cent. Except one or two banks, none of the banks has met the target. This is not a welcome situation. Something must be done about it. We are trying to enhance the flow.

Then, Mr. Gurudas Das Gupta says that 70 per cent credit needs are met by money-lenders. He is right. Not even 30 per cent need is met by financial institutions, all institutions taken together, the regional rural banks, the co-operative banks, the land mortgage and land development banks as well as the commercial banks. More than 70 per cent credit is still provided by money-lenders. The rates of interest are exorbitant and exploitative, and something must be done to regulate them.

The sale of spurious pesticides, the use of wrong pesticides at various stages of crops and their use earlier or delayed have been some of the major causes of the failure of the crops in those States. Recently, we have issued a notification to amend the Insecticides Rules which were coming in the way of launching prosecutions against such sellers. This has been issued just last week. There has been a demand from almost all the States that the Insecticides Act must be amended. We are already undertaking the exercise. Soon we will bring the amendments to make it more stringent and effective.

He has also asked for banning of some chemicals which have already been banned in some developed countries. Their number, if I remember correctly, runs into 267 or 287, not 20. These have been banned in Western countries. We are already seized of the matter. A study group has already been created in the ICAR and the Agriculture Ministry.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Where is the question of a study group, Sir? They have been banned in other countries. Why should they not be downright banned here?

SHRI SOMPAL: If the House is of that view, it can be done.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Yes, that is my point.

SHRI SOMPAL: Let us identify them. But the perception in the Agriculture Ministry is that at the stage of agricultural development at which we are, it would not be immediately in the interest of the country to ban all such chemicals. But we have banned some chemicals. I can supply the list. We are analysing the situation. Whichever chemical can be phased out, is likely to be phased out.

On export of cotton, he has alleged that the Government did not announce the export tranches before the crop and that these were announced only after the season was over. But, may I inform him that we took over on the 19th of March, and by that time the season was already over. So far as I am concerned, I will try to include in all the agricultural committee meetings and recommendations that all export decisions must be announced well before the crop comes, the harvest comes, so that the prices received by the farmers are improved and that all import decisions must be deferred to the end of the harvest when we take stock of the situation and of the production and the whole assessment is made.

He has also tried to emphasise the need for systemic changes. I agree with him. So many systemic changes are required to be made by the States. Unfortunately, they are not agreeing. The West Bengal Government is not agreeing to having consolidation of land holdings. ... *(Interruptions)* ....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What is this?

SHRI SOMPAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, this is the difficulty when I start ... *(Interruptions)* ....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: This is too much. ... *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a national calamity, national disaster. All the time the hon. Minister is expressing helplessnes. There is no concrete suggestion that bank credit will be given. The hon. Minister is quite sympathetic, but his sympathy relates only to his helplessness. There is no decisiveness. We are protesting, we are thoroughly protesting against his statement. It is very unfortunate. ... *(Interruptions)*

श्री सोमपालः गुरूदासजी, ऐसा मत कहिए ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए ...(व्यवधान)आप सुनिए, क्या बोलते है (...(व्यवधान)... आप क्या कर रहे है ...(व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः मेरा प्वायंट् ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): इसमें अपका प्वायंट् ऑफ आर्डर है...(व्यवधान)

SHRI S.S. SURJEWALA: Sir, I am on a point of order.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): प्वायंट् ऑफ् आर्डर सुनने दीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI S.S. SURJEWALA: Let me make my submission first. यहां यूनियन होम मिनिस्टर बैठे हैं, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज तक बी०जे०पी० फुल-फ्लेज्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं बना सकी...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): इसमें प्वायंट ऑफ् आर्डर कहां है...(व्यवधान) बैठिए-बैठिए।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: यह तो प्राथमिकता है ...(व्यवधान) सोमपाल को आपने वज़ीर बना दिया ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): प्वायंट ऑफ् आर्ड कहां है, आप बैठिए ...(व्यवधान) बोलिए मि० मिनिस्टर।

SHRI SOMPAL: Sir, I have said it in all earnestness and I mean it. I would like to repeat it. The systematic changes include better management of land and consolidation has to be one of the major programmes, if agriculture has to be improved.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Do you agree on land reforms? Land reforms mean land reforms. Does the Government agree on land reforms?

SHRI SOMPAL: Land reform is a matter of consensus. *(Interruptions)* If he agrees, let him say so.

उपाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मंत्री जी को बोलने दीजिए ...(व्यवधान) आप सुनिए ...(व्यवधान)

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, the question is on the sucides committed by farmers. There are so many people in distress. He should tell us what they are going to do. Instead of talking about the processes, he should tell us what the Government is going to do. *Interruptions)*

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, people are dying and he is making casual remarks.

SHRI S.S. SURJEWALA: Sir, it is a serious matter.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): प्लीज़, आप बैठिए...(व्यवधान)... कालिंग अटेंशन का जो स्लिट है...(व्यवधान)... आप सुनिए ...(व्यवधान)... आपके खड़े होने से क्या प्राब्लम का समाधान हो जाएगा? ...(व्यवधान)... आप मंत्री जी को आगे बोलने दीजिएगा। ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, farmers are committing suicides and the hon. Minister is making a casual reply.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, we register our strongest protest against the total inaction and the failure of the Government to hold out any programme for the improvement of the agriculture. After saying so, in sympathy with the impoverished peasantry of the country, we seek to walk out.

*(At this stage some Hon. Members left the Chamber.)*

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, in protest against the attitude of the Government, we walk out of the House.

*(At this stage some Hon. Members left the Chamber.)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, the Minister has agreed that 70 per cent of the expenditure is met by the private lenders. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please take your seat.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, in protest we walk out of the House.

*(At this stage some Hon. Members left the Chamber.)*

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, यह सरकार किसान विरोधी है। ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप तो बोल चुके हैं, आपकी पार्टी बोल चुकी है, फिर कालिंग

अटेंशन में क्या हो रहा है ...(व्यवधान) कालिंग अटेंशन में आपकी पार्टी हो चुकी है ...(व्यवधान)

**श्री ईश दत्त यादव:** महोदय, सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, इसके विरोध में हम और हमारी पार्टी के लोग वाक आउट कर रहे है। ...(व्यवधान)

(At this stage some Hon. Members left the Chamber.)

**श्री रामदेव भंडारी:** उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल भी वाक आउट करता है।

(At this stage some Hon. Members left the Chamber.)

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** बोलिए मंत्री जी।

**श्री सोमपाल:** उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी मोहम्मद सलीम साहब चले गए हैं, उन्होंने भी ऋण के बोझ की बात कही, सिंचाई की व्यवस्था की बात कही, और यह भी कहा कि यह मात्र प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो एक तरफ तो विपक्ष के सारे जितने भी माननीय सदस्य बोले सब ने कहा कि यह मात्र प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक दीर्घकालीन समस्या है, जो बहुत सारे कारणों के चलते हुए इस स्थिति में पहुंची है और जब उन स्थायी हलों की ओर मैंने इंगित करना शुरू किया तो वे नाराज़ हो गए। जहां तक ऋण की बात है, मैंने पहले ही कहा है कि ऋण किसान को और कृषि क्षेत्र को ज्यादा मिलना चाहिए, प्रत्येक गतिविधि के लिए पर्याप्त मिलना चाहिए, जैसा कि प्रो॰ अलघ ने कहा और वह भी अब नहीं है। इस ऋण के प्रवाह को बढ़ाने का निर्णय इस सरकार ने किया है और इसी वर्ष नाबार्ड का जो पूंजी आधार है वह दो हजार से दो हजार पांच सौ करोड़ किया जाना, 265 करोड़ रुपया क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के पुनरुद्धार के लिए बजट में रखे जाना और ढाई हजार से तीन हजार करोड़ जो ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण का कोष है उसमें निर्धारित किया जाना...।

5.00 P.M.

58 प्रतिशत कृषि के लिए योजना व्यय में वृद्धि किया जाना, भारत के इतिहास में अपने आप में ऐतिहासिक वृद्धि है। मान्यवर, यह सब इस बात को दर्शाता है कि हम इस के प्रति कटिबद्ध हैं।

श्री अहलुवालिया जी ने पूछा कि पंजाब का विवरण क्यों नहीं दिया? महोदय, यह समस्या केवल उन राज्यों से संबंधित थी जिन राज्यों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को सूचना दी है पंजाब की तरफ से अभी-अभी यह सूचना आई थी कि 52 कृषकों ने वहां भी आत्म-हत्या की है। राजस्थान और पंजाब के विषय में केन्द्र सरकार ने जो अध्ययन दल भेजे थे, उन की रिपोर्ट है कि उन के पास आपदा राहत कोष में पहले ही पर्याप्त राशि शेष थी जिस से वह इस का प्रबंध करने में सक्षम थे। इसलिए उन्हें अतिरिक्त सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी। इस में पंजाब और राजस्थान दोनों रहे हैं। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, कर्नाटक का जो प्रतिवेदन आया था, वह अभी विचारार्थ है। महाराष्ट्र की तरफ से कोई रिपोर्ट और मेमोरेंडम अभी तक सरकार को नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट के ऊपर कार्यवाही की जा चुकी है। उस की सूचना में आप को प्राथमिक वक्तव्य मैं पहले ही दे चुका हूं।

Mr. Venkaiah Naidu has also pointed out certain problems. I agree with him that this is a culmination of so many factors, not one. He has tried to underline the need for an amendment of the Pesticides act. I have already stated that an exercise has been done. Pesticides Rules have already been amended. A notification was already been issued to that effect.

So far as the insurance cover is concerned, I have already stated that we have decided to bring forth an insurance scheme covering all kinds of farmers, all the crops throughout India. We are on the way to set up a separate institution as a subsidiary to the General Insurance Corporation of India. We have divided farmers into two categories. All the farmers who have taken loans, will have it compulsorily. They will have insurance cover. With regard to other farmers, it will be a voluntary thing.

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपने एक अध्ययन की बात कही थी। उन्होंने नाम तो उस में बताए हैं, लेकिन उन के कारणों के विषय में प्रकाश नहीं डाला है। उन्होंने ऋण की वसूली के विषय में भी उन्होंने कहा। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ग्रामीण ऋण की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल या कुछ इस तरह का संस्थागत प्रबंध किया जाए जिस से कि किसानों को होने वाले कष्टों और उत्पीड़न को कम किया जा सके। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहेगी कि किसान अनावश्यक रुप से उत्पीड़ित न हो और कोई भी किसान ऋण न देने के लिए गिरफ्तार न किया जा सके।

वैकल्पिक रोजगार की जहां तक बात है, यह विकास की प्रक्रिया का एक अंग है और निश्चित रूप से इस संबंध में मैं सुरजेवाला जी की बात से सहमत हूं।

Mr. Margabandu has raised the issue of malpractices by moneylenders which I have already replied to. Regarding waiving of loans and not recovering even half the amount of principal, I would like to say that this is one thing which is being debated. It is under consideration. I think something has to be done so that farmers are not burdened unnecessarily, particularly where they are already burdened due to damage of their crops by natural calamities. I would like to say that a package has been given to them by the NABARD and by the Reserve Bank of India, the details of which I have given in my statement.

श्री संजय निरुपम ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से महाराष्ट्र को कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गयी। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को कोई भी पत्र नहीं भेजा है जिस के अभाव में इस के ऊपर कार्यवाही की जानी संभव नहीं है। उन्होंने दीर्घकालीन कृषि नीति, फसल बीमा योजना और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिए जाने की बात कही। महोदय, जहां तक नीति का संबंध है, कृषि नीति निर्माणाधीन है और वह शीघ्र ही सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

श्री सनातन बिसि, जो इस समय पीठासीन हैं, उन्होंने बीमे और उड़ीसा के क्लेम के संबंध में बात कही थी। मैं उस की सूचना पहले दे चुका हूं। उड़ीसा से हाल में हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन जब वहां चक्रवात आया था, उस समय उन की दो किश्तें आपदा राहत कोष से अग्रिम-अवमुक्त कर दी गयी थीं। उन्होंने वहां बीज के संबंध में हुए घोटाले की बात कही। मैं सूचना देना चाहूंगा कि उस समय केन्द्र सरकार ने जानकारी ली थी और राज्य सरकार ने हम को सूचना दी है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें राज्य सरकार के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। उन्होंने दूसरे प्रदेश से हायब्रिड सीड खराब खरीदने की बात भी कही संभवतः आंध्रप्रदेश से, वह बीज खराब नहीं था और अन्य कारणों से वह फसल खराब हुई थी और किसान ठीक से फसल का रख-रखाव नहीं कर पाए। यह रिपोर्ट हमें उड़ीसा सरकार की तरफ से दी गयी थी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जी अहलुवालिया ने जितनी बातें कहीं, वह दीर्घकालीन समस्याओं के विषय में कही हैं। उनमें से कई, जैसे बीमा, अच्छे बीज और कीटनाशक उत्तम गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता, इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

प्रो॰ योगेन्द्र अलघ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कर्जा देने के मैनुअल हैं और जो उनके मानक हैं, उनमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि जो हमने ऋण पत्र या क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही है, उसमें सतत द्रव्यशीलता वाली, कैश क्रेडिट लिमिट वाली बात कही है और इससे इस समस्या का स्वतः हल हो जाता है। उनका यह कथन भी ठीक था कि ऋण और पूंजी की जो आवश्यकता है इस विशिष्ट क्षेत्र की, उसके विषय में कोई अध्ययन अभी हाल में नहीं किया गया है। पहले नाबार्ड ने जरूर 1991-92 में उसका अध्ययन किया था। यह अध्ययन किया जाना आवश्यक है और जो कर्ज देने वाले लोग हैं महाजन, उनका नियमन किया जाना आवश्यक है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री रामदेव भंडारी जी ने बिहार में जल-मग्नता की बात कही। हालांकि इस समस्या से यह विषय संबंधित नहीं है, लेकिन में दुबारा यही कहना चाहूंगा कि यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और उनको स्वयं इससे निपटना होगा। केन्द्र की तरफ से जो सहायताएं दी जाती हैं विभिन्न योजनाओं में, वह उनको सतत दी जा रही हैं।

Mr. Shirodkar has asked the Central Government to conduct a study and research of the factors which are responsible for continued adverse weather conditions. This is already going on. The India Meteorological Department and other departments are already conducting such research. So far as his suggestion on tackling pest attacks through integrated pest management and bio-controls is concerned, I agree with him a hundred per cent. Recently, a technology has been perfected by various institutes under the ICAR umbrella to tackle the ball worm attack of cotton and a virus which is known as the NPV has been perfected. Its commercial production is being undertaken to control the ball worm attack of cotton through this virus which is a predator for the ball worm. By the next year or two, it will be available in

adequate quantities throughout the year. The use of other eco-friendly pesticides like neem pesticides and others is already being propagated and all the information and technology dissemination institutions like the Krishi Vigyan Kendra and the State Agriculture Universities and various institutes are already taking up this programme on a large scale.

Mr. Dasari has observed that agriculture and industry are inter-dependent. There cannot be any disagreement. His point on credit insurance has already been replied to. Dr. Ranbir Singhji, again, has repeated the same three things. One additional thing which he has said is about the simplification of the procedures of lending in rural areas. This exercise is already on way and this year, we suppose that all the credit procedures will be simplified and a greater flow of credit to the agriculture sector to spur the activity will be made available.

श्री बालकवि बैरागी जी चले गए। उन्होंने मध्य प्रदेश की फसल के विषय में पूछा था। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट आई थी। भारत सरकार ने उसका अध्ययन किया है। वह इस बात के लिए क्वालिफाई नहीं करता कि राष्ट्रीय आपदा कोष में से उनको कुछ दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान)...

डा० रणबीर सिंहः एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात थी।

श्री सोमपालः जहां तक कृषि को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताना चाहता हूं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हां, उद्योग और वाणिज्य के अनुरूप और उसी स्तर पर कृषि को सुविधाएं दिए जाने की बात कहनी चाहिए। अगर स्टेटस ग्रांट कर दिया गया तो टैक्सेशन, ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सब किसान के लिए लग जाएंगे। तीस इंस्पेक्टर इंडस्ट्री में आते हैं, माननीय डा० रणबीर सिंह जी। अगर आप चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन गांव का आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सारे ग्रामीण क्षेत्रों में खून-खराबा हो जाएगा। इसलिए इस बारे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके अनुरूप सुविधा देने की बात कहिए, स्टेटस देने की बात कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I would like to seek one clarification from the Minister on this matter. Earlier, during my presentation, I requested the Minister to release the National Calamity Relief Fund for Karnataka. The Minister said that the matter is under consideration. Sir, the matter has been under consideration for the last more than a month or so. So, the State also does not have the necessary funds and I don't think there is any reason for the Centre to delay that matter further. I request the Minister to immediately take steps to release the amount. Secondly, as I have stated in the beginning today that whenever the farmers' issue is coming before the House, unfortunately, it is turning into a political issue. I have the necessary information with me. I didn't say that. I come from that area where these suicides have taken place. We have visited those areas. All these suicides have taken place between last September, October, November, December and January. These are the reports from various newspapers. These suicides are not connected with either the BJP Government or with the UF Government or with the Congress Government. These things had happened because of so many factors about which everyone of us is ashamed. But unfortunately, again today, our friends in the Opposition made a political issue and then tried to avoid their own responsibility. They were in power till yesterday when all these deaths took place. They are trying to make a political issue out of this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You have already referred to that.

SHRI SOMPAL: Sir, so far as release of assistance from the National Calamity Relief Fund for Karnataka is concerned, I said that the matter is under consideration. There was a difficulty. The Sub-Committee of the National Development Council which takes decisions on such matters, had not been constituted. Now it has been constituted and a meeting is likely to take place on the 24th of July,

1998, that is, during this month, and then we will take a decision.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र की तरफ से अभी भी कोई प्रपोजल आएगा तो आप उस पर सोचेंगे?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Pradhan, that matter is over now.

---

## I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE LOTTERIES (REGULATION) ORDINANCE, 1998

## II. THE LOTTERIES (REGULATION) BILL, 1998 (Contd.)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): श्री ओ०पी० कोहली। कोहली जी, आपकी पार्टी से पांच लोगों के नाम हैं और 12 मिनट का समय है, कृपया एक-दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली): ठीक है, उपसभाध्यक्ष जी, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष जी, इस बारे में पूरे समाज की एक राय है कि लॉटरी एक सामाजिक बुराई है जिसका व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक असर होता है, इसलिए

लॉटरी बैन होनी चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र पर लॉटरी के होने वाले नकारात्मक परिणामों को देखते हुए लॉटरी को बैन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। लॉटरी व्यक्ति को भाग्यवादी बनाती है, उसकी कर्मण्यता को तोड़ती है, उसके पुरुषार्थ को कम करती है, उसमें लालच की प्रवृत्ति विकसित करती है और परिवारों पर इसके घातक परिणाम होते हैं। इस लॉटरी के चलते घरों में महिलाएं सबसे अधिक दुखी होती हैं। लॉटरी के घातक परिणामों को 1808 में ब्रिटेन की सिलेक्ट कमेटी ने अपनी एक टिप्पणी में बहुत ही प्रिसाइज और संक्षिप्त तरीके से कहा है। मैं समझता हूं कि उन दो परिस्थितियों को मैं पढ़ दूं तो लॉटरी के घातक परिणाम क्या होते हैं, वे लिस्ट रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। सिलेक्ट कमेटी ने अपनी टिप्पणी में कहा था:—

> As a result of lotteries, idleness, dissipation and poverty increased, domestic comfort is destroyed, madness often created.

इसलिए लॉटरी पर बैन पाबंदी लगना समाज के हित में, व्यक्ति के हित में और परिवार के हित में है। सबसे ज्यादा इस लॉटरी का और विशेष रूप से सिंगल डिजिट लॉटरी का जो अनर्थकारी परिणाम होता है वह समाज के कमजोर वर्ग पर, गरीब वर्ग पर, मेहनतकश वर्ग पर, कम आय वाले वर्ग पर होता है, जिसके लिए हम एक ओर तो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं और दूसरी ओर इस वर्ग का अकल्याण हो, अनर्थ हो, इसके लिए लॉटरी का व्यापार चलता है। इसलिए अगर हम कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग के कल्याण की योजनाएं चलाते हैं तो यह बहुत आवश्यक है कि जो चीज उनका अकल्याण करती है, उस लॉटरी के व्यापार को बंद किया जाए। लॉटरी के व्यापार को जारी रखने में राज्यों को इसलिए रुचि हो सकती है क्योंकि इससे राजस्व प्राप्ति होती है लेकिन कुल मिलाकर लॉटरी का जो टर्न-ओवर है और इससे होने वाले राजस्व की प्राप्ति का अनुपात नकारात्मक है क्योंकि राजस्व प्राप्ति बहुत नगण्य सी होती है। लेकिन राजस्व प्राप्ति अधिक हो या कम हो, अगर व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए लॉटरी एक घातक वस्तु है तो उससे होने वाली राजस्व प्राप्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसको बंद किया जाना आवश्यक है।

महोदय, कुछ माफिया तत्व ऐसे हैं जिनका वेस्टेड इंट्रस्ट है लॉटरी को चालू रखने में। इसलिए वे नकली टिकटें छापते हैं, इनाम के पैसे का गबन होता है, इनाम पाने वालों को हैरिस किया जाता है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं इस ट्रेड में माफिया के द्वारा होती हैं और वे चाहते हैं कि यह ट्रेड चालू रहे। महोदय, यह सरकार बधाई की पात्र है कि उसने लॉटरी के इन दुष्परिणामों को रिकोगनाईज किया और लॉटरी को बंद करने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। महोदय, सवाल यह नहीं है कि सिंगल लॉटरी वर्सेज टोटलबैन ऑन लॉटरी। यह सवाल सिंगल डिजिट लॉटरी बनाम लॉथरी पर प्रतिबंध लगाने का नहीं है। लॉटरी पर तो पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन लाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय जो आर्डिनेंस के कारण सिंगल डिजिट लॉटरी पर रोक लगी हुई है, यह रोक तो जारी रहनी ही चाहिए और इसलिए यह विधेयक पारित होना चाहिए।

महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस संबंध में शीघ्र ही एक कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता है जो सब प्रकार के कानूनी पहलुओं से पुख्ता और मजबूत हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे तैयार करने में राज्यों की राय भी ली जाए और एक